चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक

हरियाणा विधानसभा में चौधरी रणबीर सिंह

भाग-2

सम्पादन : ज्ञान सिंह

हरियाणा विधानसभा में चौधरी रणबीर सिंह

भाग-2

सम्पादन : ज्ञान सिंह

हरियाणा विधानसभा
में
चौधरी रणबीर सिंह
(भाग-दो)

हरियाणा विधानसभा

में

चौधरी रणबीर सिंह

विधानसभा (1966-72) में
दिये भाषणों का संकलन

(भाग-दो)

संपादन
ज्ञान सिंह

चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

© प्रकाशक

संस्करण: 2014

प्रकाशक
चौधरी रणबीर सिंह शोध पीठ
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक

मुद्रकः
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय प्रेस, रोहतक

विषय सूची

1. Tehsil Building at Hansi in Hissar District 01
2. Roads in Hissar District 02
3. Under the Middle Income Group Housing Scheme 04
4. Housing building loans in village Kunjpura 05
5. Karnal-Kachhwa-Sambhli Kaul Road in district Karnal 08
6. तारांकित प्रश्न और उत्तर 10
7. तारांकित प्रश्न और उत्तर 12
8. तारांकित प्रश्न और उत्तर 14
9. तारांकित प्रश्न और उत्तर 17
10. तारांकित प्रश्न और उत्तर 19
11. तारांकित प्रश्न और उत्तर 21
12. तारांकित प्रश्न और उत्तर 22
13. दादरी -भिवानी रोड़ पर मिट्टी का काम 25
14. राज्य में बेरोजगारी 20
15. तारांकित प्रश्न और उत्तर 30
16. तारांकित प्रश्न और उत्तर 33
17. नलकूप कनैक्शन 34
18. Construction of Roorkee-Polangi-Jasrana Approach Roads 37
19. Construction of Jassia-Sanghi Approach Road to Civil Dispensary, Sanghi in District Rohtak 39
20. Construction of Makrauli Khurd Approach Road 41
21. Villages included in the Market Committee, Rohtak 43
22. Funds Available with the Market Committee, Rohtak 45
23. Area Irrigated in Mungan Village 46
24. Capacity of Rohtak Rajbaha and Area Irrigated 48
25. Electrification of Khadwali, Katwra, Jindran and Ghuskani villages 50

26. Electrification of Pehrawar and Kasrenti villages 52
27. Electrification of Titoli, Bhagautipur, Samar, Gopalpur and Samar Khurd village 54
28. Electrification fo Dhamar, Ladhaut, Bhayanpur and Nunand villages 56
29. तारांकित प्रश्न और उत्तर 58
30. तारांकित प्रश्न और उत्तर 61
31. तारांकित प्रश्न और उत्तर 63
32. Construction of Sukhpura-Ladhaut Road in Rohtak District 65
33. Distribution of Application Forms for obtaining Agricultural Machinery 66
34. Manufacture and Distribution of Discs. Harrow 67
35. Percentage of Kharaba recorded in village Bohar of District Rohtak 68
36. Percentage of Kharaba recorded in village Kesrenti in district Rohtak 70
37. Percentage of Kharaba recorded in village Paksma in District Rohtak 72
38. Percentage of Kharaba recorded in village Baliana in District Rohtak 74
39. Percentage of Kharaba recorded in village Kaloi Khas and Kaloi Dopana in District Rohtak 76
40. Percentage of Kharaba recorded in village Ladhaut Beyanpur in District Rohtak 78
41. Percentage of Kharaba recorded in village Dhamar in District Rohtak 80
42. Percentage of Kharaba recorded in village Makrauli Kalan and Makrauli Khurd in District Rohtak 82
43. Starred Questions and Answwers 84
44. Area irrigated in Baliana Village 86
45. Area irrigated in Village Paksma 88
46. Area irrigated in Village Kasrenti 90
47. Area irrigated in Dhamar Village 91
48. Area irrigated in Jasia Village 93
49. Area irrigated in Makrauli Kalan and Makrauli Khurd Village 95

50. Area irrigated in Ladhaut Bhayanpur Village 97
51. Area irrigated in Kanheli Village 99
52. Area irrigated in Pahrawar Village 100
53. Areas irrigated in Maina and Simli Villages 101
54. Areas irrigated in Karauntha Village 103
55. Areas irrigated in Bohar and Garhi Bohar Villages 105
56. Areas irrigated in Nunand and Kheri Sadh Villages 107
57. Areas irrigated in Kaloi Khas and Kaloi Dopana Villages 109
58. Areas irrigated in Rurkee Village 111
59. Tractor Service Stations 113
60. Import of Discs of Tractors 115
61. Manufacture of Discs Harrows and Disc Ploughs 116
62. Construction of Karauntha Approach Road 117
63. Construction of Simli Approach Road 119
64. नियम 45 के तहत पटल पर रखे गए तारांकित प्रश्न 121
65. नियम 45 के तहत पटल पर रखे गए तारांकित प्रश्न 128
66. Distribution of Tractors through the Haryana Agro-Industries Corporation 129
67. Construction of Samar-Gopalpur Approach Road 130
68. Decision announced by the Prime Minister regarding Chandigarh 132
69. Construction of Basantpur-Dhamar Approach Road 133
70. Construction of Kharwali Approach Road 134
71. तारांकित प्रश्न और उत्तर 136
72. तारांकित प्रश्न और उत्तर 137
73. तारांकित प्रश्न और उत्तर 139
74. तारांकित प्रश्न और उत्तर 141
75. तारांकित प्रश्न और उत्तर 143
76. तारांकित प्रश्न और उत्तर 147
77. तारांकित प्रश्न और उत्तर 148
78. तारांकित प्रश्न और उत्तर 149
79. अनुपूरक प्रश्न संख्या 806 150
80. अनुपूरक प्रश्न संख्या 806 151
81. अनुपूरक प्रश्न संख्या 806 152

82. तारांकित प्रश्न और उत्तर 154
83. तारांकित प्रश्न और उत्तर 156
84. तारांकित प्रश्न और उत्तर 158
85. तारांकित प्रश्न और उत्तर 159
86. तारांकित प्रश्न और उत्तर 165
87. तारांकित प्रश्न और उत्तर 169
88. तारांकित प्रश्न और उत्तर 170
89. राज्य प्रेस सलाहकार समिति/परिषद की स्थापना 171
90. Encouragement of language Newspapers/Periodicals published in Haryana 175
91. Creation of an independent Agency for releasing Advertisements to News apers/Periodicals 176
92. तारांकित पूरक प्रश्न 178
93. तारांकित पूरक प्रश्न 181
94. व्यवस्था का प्रश्न 189
95. तारांकित प्रश्न और उत्तर 190
96. Promotion of Police Inspectors 192
97. Release of Advertisements by Departments 193
98. Publication of News papers/News Magazines/Periodicals from each District 194
99. स्थगित अनुपूरक तारांकित प्रश्न संख्या 1113 196
100. तारांकित प्रश्न और उत्तर 200
101. तारांकित प्रश्न और उत्तर 207
102. तारांकित प्रश्न और उत्तर 211
103. तारांकित प्रश्न और उत्तर 213
104. तारांकित प्रश्न और उत्तर 214
105. समाचार पत्र के लिए विज्ञापन 217
106. तारांकित प्रश्न और उत्तर 220
107. तारांकित प्रश्न और उत्तर 222
108. तारांकित प्रश्न और उत्तर 225
109. तारांकित प्रश्न और उत्तर 228
110. तारांकित प्रश्न और उत्तर 230
111. तारांकित प्रश्न और उत्तर 231

112. तारांकित प्रश्न और उत्तर 233
113. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृति 234
114. तारांकित प्रश्न और उत्तर 236
115. तारांकित प्रश्न और उत्तर 237
116. तारांकित प्रश्न और उत्तर 239
117. तारांकित प्रश्न और उत्तर 240
118. तारांकित प्रश्न और उत्तर 241
119. स्कूलों का ग्रेड बढ़ाना 243
120. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृति 246
121. तारांकित प्रश्न और उत्तर 247
122. तारांकित प्रश्न और उत्तर 248
123. तारांकित प्रश्न और उत्तर 250
124. तारांकित प्रश्न और उत्तर 253
125. तारांकित प्रश्न और उत्तर 255
126. तारांकित प्रश्न और उत्तर 259
127. Expenditure incurred on entertainment 260
128. Flow of Water at the Heads and Tails of Butana Distributaries 262
129. Tariff of Electricity 264

HARYANA VIDHAN SABHA

Thursday, 8th Dec, 1966*

Tehsil Building at Hansi in Hissar District

18. Shri Amar Singh : Will the Minister for Public Works and Health be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a Tehsil Building at Hansi in Hissar District; if so, the approximate date by which the same is likely to be completed?

Chaudhry Ranbir Singh : (i) Yes.

(ii) The work for the construction of a Tehsil Building at Hansi in Hissar District has since been taken in hand and the same is expected to be completed by December, 1967.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, Unstarred Questions and Answers, 8th Dec. 1966, Vol. I, No. 2 ,Page (2) 47*

HARYANA VIDHAN SABHA

Thursday, 8th Dec, 1966*

Roads in Hissar District

25. Shri Amar Singh : Will the Minister for Public Works and Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the following roads in Hissar District by the end of the year 1967; if not, the detailed reasons therefor —

(a) Bhiwani to Jind via Igra, etc.;

(b) Hansi to Barsola;

(c) Barwala to Jind;

(d) Moth Majra to Bas via Petwar;

(e) Bhotol to Moth Majra via Thurana; and

(f) Narnaund to Kheri Jalib?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) Work on portion of this road from Jind to Igra in Jind District is proposed to be taken up during 1967-68 subject to availability of funds. A start with the work may be made this year also. The remaining missing links from Igra to Khand Kheri and Mundial to Bhiwani in Hissar District shall be taken up for construction

---

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, Unstarred Questions and Answers, 8th Dec. 1966, Vol. I, No. 2,Page (2) 49*

after 1967-68 as and when funds are available. Fourth Plan with present limited size may not be able to include the same.

(b) to (e) No, due to paucity of funds.

(f) Yes, work on the construction of this road is expected to be taken up during 1967-68 according to availability of funds.

HARYANA VIDHAN SABHA

Thursday, 8th Dec, 1966*

Under the Middle Income Group Housing Scheme

54.

Chaudhri Ranbir Singh : (a) Under the Middle Income Group Housing Scheme the following loans were granted :—

Name of the loanee	Amount sanctioned	Dates of disbursement of instalemnts
	Rs.	
1 Shri Rulya Ram, M.L.A.	10,000	1st April, 1963 19th July, 1963 16th September, 1963
2. Shri Sita Ram son of Panna Lal M.C., Gharaunda	8,000	3rd April, 1963 15th May, 1963 10th June, 1963

(b) None of them has paid the annual repayment instalments on due dates. Shri Rulya Ram, M.L.A. has not even paid any of the three instalments due on 18th March, 1964, 18th March, 1965 adn the 18th March, 1966. Shri Sita Ram has, however, paid all the instalments after

---

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,Unstarred Questions and Answers, 8th Dec. 1966, Vol. I, No. 2, Page (2) 56*

the due dates.

(c) In both these cases the Deputy Commissioner had passed orders for the lumpsum recovery on 18th October, 1965.

(d) Yes, Sir. In the case of Shri Rulya Ram, M.L.A. who has represented that he was not given an opportunity to explain his position before the lumpsum recovery orders were passed by the Deputy Commissioner.

(e) In an -on-the spot enquiry in the complaint submitted by Shri Banarsi Dass of Gharaunda conducted by Shri M.D. Asthana, I.A.S., it was disclosed by the loanee himself that he had spent about Rupees one lakh on the construction of his house against which he has obtained the loan of Rs. 10,000/- under Middle Income Group Housing Scheme and thus contravened the rules which he was entitled to spend only upto Rs. 30,000/- on the construction.

HARYANA VIDHAN SABHA

Thursday, 8th Dec, 1966*

Housing building loans in village Kunjpura

55. Comrade Ram Piara : Will the Minister for Public Works and Health be pleased to state :

(a) the names of those persons to whom loans amounting to Rs. 1,500 to 4,000 for the building of the houses were sanctioned in village of Kunjpura, tehsil Karnal during the period from 1st January, 1964 todate together with the amount sanctioned in each case;

(b) the dates when the loans were sanctioned and their instalments disbursed to each together with the amount of each instalment so disbursed;

(c) whether the D.C., Karnal had received any complaint regarding the misuse of loan by the above referred to persons, if so, the names thereof;

(d) whether it is a fact that in some cases loans/instalments were disbursed in the year 1964, but houses were not constructed in the year 1965; if so, the names of such loanees of Kunjpura and the action, if any, taken in the matter;

(e) whether it is a fact that some of the loanees of Kunjpura had

---

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,Unstarred Questions and Answers, 8th Dec. 1966, Vol. I, No. 2,Page (2) 56-57*

sold their plots through a registered deed on which a loan had been granted; if so, the names of such loanees of Kunjpura;

(f) whether any action has taken in regard to the cases referred to in part (e) above; if not, the reasons thereof?

Shri Ranbir Singh :(a) Loan of Rs. 2,000 was sanctioned to Shri Chandan Singh son of Thakar Sher Singh of village Kunjpura.

(b) (i) Loan was sanctioned on 31st March, 1964.

(ii) 1st instalment of Rs. 400 was released on 3rd April, 1964.

(iii) 2nd instalment of Rs. 1,000 was released on 9th April, 1964.

(c) Yes. An unsigned complaint was received regarding the misuse of loan in July, 1966.

(d) Two instalments were released to the loanee in 1964 on production of certificate of authenticity in form Ligh-13. The 3rd instalment has not been released as the loanee is reported to have not completed the house. Further action against the loanee is being taken.

(e) Yes. The said Shri Chandan Singh has transferred his plot.

(f) Necessary action is being taken against the loanee under the provisions of Rules as the fact regarding the sale of the plot has recently been brought into notice of the District Authorities.

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 9th Dec, 1966*

Karnal-Kachhwa-Sambhli Kaul Road in district Karnal

***8. Comrade Ram Piara :** Will the Minister for Public Works and Health with reference to the reply to Starred Question No. 8894 fixed for 16th February, 1966, be pleased to state —

(a) the present stage of progress of work in the 1st five miles, indicated in reply to part (e) of the Question No. 8894 on the Karnal-Kachhwa-Sambhli Kaul Road together with the number of bridges and of culverts completed/and of those not completed so far separately and also the progress of the work indicated in reply to (d) of the said question;

(b) whether the Government has received any reply to a circular letter issued to all M.L.As of Haryana during the month of November, 1966 on the subject of inclusion of roads in the Fourth Five-Year Plan from any legislator of Karnal; if so, by whom together with the copy/ copies of the same be laid on the Table of the House;

(c) whether any date has been fixed for the completion of the said road or dates fixed for completion of different stages; if so, the details thereof; if not, the reason therefor?

Chaudhri Ranbir Singh : (a) 21 culverts in first five miles are proposed out of which 12 have been constructed in first 3¼ miles and

---

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,Starred Questions and Answers, 9th Dec. 1966, Vol. 3, Page (3) 13*

remaining 9 culverts are yet to be constructed—one in first ¼ mile for which alignment of road is under dispute, one in mile 3 for which design of culvert is under decision and the rest 7 in mile 4 and 5 which were stopped for want of adequate funds. Earthwork in first 3 miles except ¼ mile of disputed alignment is almost complete and in the remaining 2 miles is in progress and will be completed during the current financial year. Laying of soling in first 2 miles except disputed alignment will be completed during the current financial year. Consolidation of stone metal in this very reach will also be completed including surface treatment during the current financial year. More work can be done on availability of more funds. Expenditure so far incurred on this work is given below :—

		Rs.
(i) 1964-65	..	1,402
(ii) 1965-66	..	1,62,605
(iii) 1966-67 ending September, 1966	..	26,637
	Total	1,90,644

(b) Yes, the list together with the copies of the replies received from M.L.As of Karnal is placed on the table of the House.

(c) No, Sir. The works wil be carried on according to the availability of fund.

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 16 फरवरी, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि अगर वर्क चार्जिज का फी माइल का हिसाब नहीं, तो दो मील, चार मील, या दस मील का तो कोई हिसाब होगा, यदि है तो वह बताने की कृपा करें।

चौधरी रण सिंह : यदि आप अलग से इस प्रश्न के लिये नोटिस दें तो उत्तर दे दिया जाएगा।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि किसी सड़क पर जो वर्कचार्ज का खर्चा है। क्या वह रिपेयर्ज़ में या मुरम्मत में शामिल नहीं है और अगर शामिल नहीं है तो क्यों नहीं है? क्या वह खर्च मुरम्मत का हिस्सा नहीं है?

चौधरी रण सिंह : कुछ तो परमानेंट स्टॉफ रखा जाता है और कुछ एमरजैंसी की वजह से जैसे फलड्ज में सड़क टूट जाती है उनकी वजह से स्पेशल सैंकशन देनी पड़ती है। इसलिये अलग अलग जो काम हैं वे इसके साथ जोड़ने वाली बात नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : प्रश्न को पढ़ने से यह बात साफ जाहिर होती है कि कोई स्पेशल रिपेयर के बारे में ही जवाब नहीं चाहिये। उसमें यह पूछा है कि रिपेयर के

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *16 Feb. 1970, Vol. I, No. 2, Page (2) 4-5*

ऊपर कितना खर्च हुआ है? मैं मानता हूँ कि मन्त्री महोदय के पास में आंकड़े जरुर होंगे कि वर्कचार्ज के ऊपर कितना खर्च हुआ है? वह मुरम्मत का हिस्सा भी जरुर होगा या वह सड़क बनाने का हिस्सा नहीं है, तो क्या मन्त्री महोदय मुरम्मत का पूरा खर्च बताने का कष्ट करेंगे?

चौधरी रण सिंह : वर्क चार्ज के आंकड़े पूछे नहीं गए थे, इसलिये नहीं लाया। अगर ये अलग से पूछे जायें तो बताए जा सकते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : मेरा प्रश्न बिल्कुल साफ है। इसमें यह माना गया है कि वर्कचार्ज के खर्चे को छोड़ कर सवाल नहीं पूछ गया है। इसमें सदन को, अध्यक्ष महोदय आपके संरक्षण की जरुरत है। इस सवाल के अन्दर बिल्कुल साफ है क्योंकि वर्कचार्ज जो है, उसका काम मुरम्मत का है तो उनके ऊपर यह ऑना चाहिये था कि कितना वर्कचार्ज के ऊपर खर्चा हुआ है? वह परमानेंट है या कच्चा? सवाल में यह नहीं पूछा गया कि परमानेंट और टैम्पनोरेरी स्टॉफ पर कितना खर्च होगा?

श्री बंसी लाल : मैं समझता हूँ कि इस सवाल के जवाब में अर्थवर्क पर अलग, बजरी पर अलग, विंडर, विचुमैन और फियूल पर अलग अलग खर्चा बताया गया है। लेकिन, जो ये गैंगमैन का पेमेंट करते हैं, वह इन मदों से एक्सट्रा खर्चा होता है और वही इस सवाल के जवाब में दिया गया है।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय मैं मुख्यमंत्री और मन्त्री महोदय से आपके द्वारा पूछना चाहता हूँ कि यह जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है, वह आम मुरम्मत का है या खास मुरम्मत का?

चौधरी रण सिंह : मैं समझता हूँ कि गैंगमैन के अलावा जो खर्चा है, वह भी इसमें इन्क्लूड है।

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 16 फरवरी, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : मैं मन्त्री महोदय जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई कनैक्शन बगैर लाइन के ऊपर खर्चे के भी लग सकता है?

श्री के.एल. पोसवाल : कोई भी कनैक्शन बगैर लाइन के नहीं लग सकता।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि बिजली हरियाणा और पंजाब को भाखड़ा के प्रोजैक्ट से मिगलती है तो क्या कारण है कि हरियाणा में रेट 66 प्रतिशत और 20 प्रतिशत बढ़े हैं?

मुख्यमंत्री (श्री बन्सी लाल) : हमारी लाइनें दूर दूर हैं इसलिये खर्चा ज्यादा पड़ता है और उनकी लाइनें नजदीक हैं। इंडस्ट्रीज, एक जगह पर हैं। इसलिये 20 से 100 इंडस्ट्रीज के लिए एक ट्रांसफार्मर काफी है। लेकिन ट्यूबवैल की लाइन तीन-तीन मील तक जाती है, इसलिये खर्चा ज्यादा आता है। ट्यूबवैलों के लिये हमें दूर-दूर तक लाइनें ले जानी पड़ती हैं जैसे झोझू, लोहारु वगैरह हैं जो दूसरी इडस्ट्रीज हैं, उनमें हमें सेल्ज टैक्स और दूसरे टैक्स मिलते हैं, जिससे टोटल आमदनी लाखों रुपया हो जाती है। ऐग्रीकल्चर को जो बिजली देते हैं उसका वह लॉस इंडस्ट्री से मैकअप हो जाता है।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *16 Feb. 1970, Vol. I, No. 2, Page (2) 7-8*

चौधरी रणबीर सिंह : क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भाखड़ा नंगल से जो फासला गुड़गांव का है, वह फासला फाजिल्का या अमृतसर के फासले से कम है (व्यवधान)।

श्री के.एल. पोसवाल : सिर्फ गुड़गांव का सवाल नहीं है रोहतक को भी तो देखो।

चौधरी रणबीर सिंह : सवाल यह है कि क्या जो भाग नंगल से दूर से दूर स्थान हमारे प्रवेश का है वह पंजाब के प्रदेश के दूर से दूर स्थान से दूर है?

श्री के.एल. पोसवाल : दूरी का सवाल नहीं है उन्होंने तो पहले ही लाइन खींची हुई है और कनैक्शन मिले हुए थे। हमने नए सिरे से काम शुरु किया है। हमने एक साल में 22-22 हजार कनैक्शन दिये हैं। वहां पर पहले लाइनें नहीं थी। वहा ंपर सब-स्टेशन पहले नहीं थे।

चौधरी रणबीर सिंह : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूँ कि जो दूर लाइनें खींचने की बात है वह कौन सी लाइनों का जिक्र है? क्या कहीं इसमें हमारा ज्यादा खर्च है? क्या हमको इसे घटॉना चाहिये और ..... ?

श्री मंगल सैन : उनके तो समझ में नहीं आया।

श्री के.एल. पोसवाल : यह साहब अगर इतने ज्योतिषी न हों तो अपोजीशन में क्यों बैठें? वैसे अगर मैं भी न बोलूं तो दिक्कत नहीं। लेकिन, मैं जवाब देना चाहता हूँ। सर, मैं यह एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि मसलन 1968-69 में इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को रैवेन्यू में 66 लाख रुपये का नुकसान हुआ। वह इसलिये कि जितना खर्च हमारा होता था, उतना हम वसूल नहीं करते थे और इसके बावजूद भी हमने कम से कम रेट्स लिये। यह ठीक है कि हमारे रेट्स ज्यादा हैं तो हम सोच रहे हैं कि इन्हें कम कर दिया जाए। नई लाइनें खिंच चुकी हैं, सब-स्टेशन्ज़ बन चुके हैं तो उसमें भी हम कम से कम रेट्स करना चाहते हैं।

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 16 फरवरी, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेजर साहब का प्रश्न बिलकुल साफ है कि पंजाब और हरियाणा में जहां दोनों बिजली भाखड़ा से लेते हैं, फिर हरियाणा में उसका भाव मंहगा क्यों है? यह प्रश्न है। इस सिलसिले में मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या यह मंहगा भाव इस कारण से तो नहीं है कि लोटेनसन लाइन की नजदीकी फासले वाले कनैक्शन है वहां खर्च कम होता है और दूसरा कारण यह तो नहीं है कि सस्ते दामों से बिजली जो पानी से पैदा होती है, भाखड़ा को न लेकर और जो दूसरे जरिये यानी कोयले से बिजली बनती है वह बिजली ली जाती है? क्या इस घाटे का कारण इन दो कारणों में से कोई है, यदि है तो कौन सा है? चीफ मिनिस्टर साहब, जहां तक पंजाब के साथ कम्पैरिजन करने का सवाल है, हमारी स्टेट का पंजाब के साथ कम्पैरिजन करने से कोई बात नहीं बनती।

श्री बन्सी लाल : इसके लिये ऑनरेबिल मैम्बर अगर नोटिस दें तो जवाब दे दिया जायेगा।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ। क्योंकि, यह तो इस प्रदेश के लिये एक बहुत अह्म सवाल है कि हम, जो दोनों ही एक ही प्रदेश के हिस्से थे एक ही स्थान यानी वहीं से हम आज भी बिजली लेते हैं तो बिजली के रेट्स में फर्क क्यों है? इसका जवाब चाहिये बजाय इसके कि इसको

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *16 Feb. 1970, Vol. I, No. 2, Page (2) 11-12*

ऐसे ढंग से बन्द करने की कोशिश की जाए। प्रजातन्त्र में इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती कि 60 प्रतिशत हमारे रेट्स ज्यादा हों। जनता आपसे जानना चाहती है कि पंजाब से 60 परसैंट का खर्चा आप क्यों ज्यादा लेते हैं? जबकि आप बिजली लेते हैं, उसी कोमन गरिड से। इसके बावजूद भी फर्क क्यों है? क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताएंगे कि जब कोई ऑनरेबल मैम्बर कोई प्रश्न रेज़ करता है तो क्या कारण है कि उसको सही जवाब नहीं दिया जाता? यह पॉलिसी का तो सवाल नहीं है। मैं प्रश्नों के वक्त पर कोई पॉलिसी का सवाल नहीं उठाऊंगा।

Shri Bansi Lal : We are not going to compare our State with that of the Punjab in this respect.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम जानकारी चाहते हैं कि यहां हमारे हरियाणा में बिजली के रेट 60 फीसदी ज्यादा क्यों हैं? जब पंजाब और हरियाणा के लिये जहां से बिजली पैदा होती है, वहां पर रेट एक जैसे हैं। पंजाब में बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिये रेट सस्ते हैं। हमारे यहां महंगे हैं, इसका क्या कारण है? इसकी जानकारी सरकार को देनी चाहिये।

श्री बन्सी लाल : सब प्रश्नों का उत्तर दिया जा चुका है। अगर, ऑनरेबल मैम्बर पालिसी मेटर रेज करें तो हर बात कही जा सकती है। हमारे रेट ऊंचे हैं। इसलिए हमने 40 हजार ट्यूबवैल लगाये हैं, और मेजर साहब के वक्त में तो साढ़े पांच हजार भी नहीं लगे थे।

Mr. Speaker : I think, I may try and help you in this regard. The hon. Minister has stated earlier on that there has been a loss of Rs. 66 lacs and so on. So, naturally they are going far and wide to give connections wherever required. And, when there are losses of that nature, they have to make them up somehow. So, I think, we should try and understand otherwise also from the answers given by the hon. Minister

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ सकता हूँ कि इस वक्त में हमारे यहां के रेट पंजाब के रेटों से ज्यादा क्यों हैं? वे आज की रफ्तार से 5 साल या 10 साल पहले की रफ्तार से मुकाबला कर रहे हैं। वह ठीक नहीं है। इसकी जानकारी लेनी होगी और देनी होगी।

श्री के.एल. पोसवाल : चौधरी साहब तो मेजर साहब की बात को

खामखाह ही बीच में ले आते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, मेरी समझ में नहीं आता कि यहां की प्रथा क्या है? मुख्यमंत्री तो उनके जवाब को बदल सकते हैं। लेकिन, प्रजातन्त्र के अन्दर यह प्रथा नहीं है कि कोई मन्त्री, मुख्यमंत्री की बात को बदल सके। मुख्यमंत्री जी ने जो मेरा नाम लिया था, वह मैं सही मानूं या उनकी बात को सही मानूं?

श्री मंगल सैन : मुख्यमंत्री जी ने मेजर साहब का भी नाम लिया, चौधरी साहब का भी नाम लिया, मैं आप से प्रार्थना करता हूँ ..... (विघ्न)।

श्री अध्यक्ष : आप सप्लीमैन्टरी करना चाहते हैं?

श्री मंगल सैन : मैं सप्लीमेंटरी करना नहीं चाहता। मेरी तो एक गुजारिश है। पहले यहां चीफ मिनिस्टर साहब ने इनका नाम लिया, फिर उनका नाम लिया और जब उनको आंखें दिखाई गई तो मैदान से भाग खड़े हुए।

मेजर अमीर सिंह चौधरी : अगर यह घरेलू मामला है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है और अगर यह घरेलू नहीं है तो फिर मुझे भी, स्पीकर साहब नहले पर दहला मारने की इजाजत दी जाए।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से कहूँगा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया है, उसके ऊपर दो घंटे की चर्चा की इजाजत दी जाए।

श्री मंगल सैन : मैं इस बात का समर्थन करता हूँ।

Mr. Speaker : If proper notice is given, I shall certainly consider. The next question (572) is by Dr. Malik Chand Gambhir.

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 16 फरवरी, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : मन्त्री महोदय ने अपना जवाब देते हुए कहा कि जिला अधिकारी के पास हल्कों के गांवों की फे हरिस्त नहीं जाती तो क्या मैं सरकार से मांग करुं कि वह शिक्षा अधिकारी के पास या नहर के अधिकारी के पास हल्के से सम्बन्धित जो भी गांव हों उनकी लिस्ट भेज दी जाए?

चौधरी खुरशीद अहमद : वह हल्का 5 साल के बाद बदल जाता है, यह कोई परमानेंट चीज नहीं होती, इसलिये फे हरिस्त भेजने की जरुरत नहीं है।3

Mr. Speaker : I think really the question hour is most important for the hon. Members and if the members keep on asking either unnecessary questions or lengthy questions it will be their own loss and secondly the members should take question-hour very seriously. I think the issue raised by the hon. Minister in the last supplementary need not have been raised. It is too small a point. Chaudhri Ranbir Singh Jee it would be better if you kindly explain your question again.

चौधरी रणबीर सिंह : मैंने यह प्रश्न किया है कि क्या सरकार शिक्षा विभाग के अफसरों के पास हर हल्के के गांवों की फे हरिस्त भेजने की कोशिश करेगी या क्या शिक्षा विभाग के अधिकारी के पास भी फे हरिस्त भेजी जाएगी?

चौधरी खुरशीद अहमद : इस में कोई ऐतराज की बात नहीं है।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *16 Feb. 1970, Vol. I, No. 2, Page (2) 14*

चौधरी रणबीर सिंह : मेरा मुख्यमंत्री से निवेदन है कि वह इस बात का जवाब दें कि क्या गांवों की लिस्ट भेज दी जाया करेगी ?

मुख्यमंत्री (श्री बन्सी लाल) : मैं समझता हूँ कि किसी कांस्टीचुएंसी के गांवों की लिस्ट भेजने की जरुरत नहीं है। हां, जो परमानेंट यूनिट है उनके बारे में हिसाब किताब रखा जायेगा।

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 16 फरवरी, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : इसकी क्या वजह है कि मंहगाई तो बढ़ गई मगर मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ा? क्या मुख्यमंत्री जी बतलाएंगे कि कब इनकी तनखाहें बढ़ाई गई थीं और क्या तब से कोई मंहगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? अगर दूसरे महकमों के कर्मचारियों के भत्ते बढ़ाए गए तो इनके भत्ते क्यों नहीं बढ़ाए गए?

श्री बन्सी लाल : दूसरे महकमों के कर्मचारियों की तनखाहों की बढ़ोतरी के साथ इनकी तनखाहों में भी बढ़ोतरी हुई है।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं जानना चाहूँगा कि हरियाणा बनने से पहले के जो जिलों की रि-आर्गेनाइजेशन के बारे में कागज थे, क्या वह हरियाणा सरकार को नहीं मिले हैं?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : मिले होंगे। लेकिन, इस समय मुझे नहीं पता कि उनमें क्या लिखा हुआ है?

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, मैं इस बारे में आपकी प्रीटैक्शन चाहता हूँ। I seek your protection Sir. The answer given by the Hon. Minister, I don't think, is appropriate. अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत यह वित्त मन्त्री महोदया से दरखास्त करना चाहता हूँ कि ऐसे अहम सवाल के जवाब में वह पहले

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *16 Feb. 1970, Vol. I, No. 2, Page (2) 16-18*

वाले कागजात क्यों नहीं पढ़कर आए? क्या तैयार न हो कर ऑना दुरुस्त बात है?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : मुझे अफसोस है कि चौधरी साहब ने इस तरह समझा है। उनको यह मालूम है कि जींद का जिला तो री-आर्गेनाइजेशन के बाद ही बना है। इसलिये, उसकी पहले की बात मैं क्या बता सकती हूँ।

चौधरी रणबीर सिंह : क्या वित्त मंत्री साहिबा यह बताएंगी कि जिलों के पुनर्गठन के जो कागजात आए थे क्या उस समय मंत्रिमण्डल में आप मन्त्री थी?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : हां जी, थी।

Mr. Speaker : I think, the answers may be given while standing.

चौधरी रणबीर सिंह : बिजली और पानी विभाग के मन्त्री कभी वित्त मन्त्री साहिबा की मदद करना चाहते हैं और कभी चीफ मिनिस्टर साहब की। मैं जानना चाहता हूँ कि उनके इरादे में क्या बात है?

Mr. Speaker : The question is ruled out of order.

चौधरी रणबीर सिंह : क्या मैं जान सकता हूँ कि जींद जिले से करनाल के जिले के नजदीक से नजदीक गांव का कितना फासला है?

Mr. Speaker : I think, we have lost lot of time. The loss is entirely yours. If you keep on asking unreasonable supplementaries, you will be losing your time and the valuable information that you would be able to get from the Government on various matters. Let us go to that next question.

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 16 फरवरी, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : मैं समझता हूँ कि यह अधिकार आपके पास ही रहना चाहिये कि कितने अनुपूरक प्रश्न पूछे जायें और कितने ना पूछे जायें? अगर कोई अह्म सवाल है तो 10 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। हमने अभी देखा कि अभी पहले बिजली के बारे में एक बड़ा अह्म सवाल था। ऐसे सवाल पर 10 की जगह 15 भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह तो आप देखें कि कौन सवाल कितना अहम है और उसके मुताबिक सवाल पूछने की इजाजत दें।

चौधरी चांद राम : इसमें डिस्क्रशन तो, स्पीकर साहब, आप को ही है। लेकिन, आमतौर पर हाऊस का कनसैंसिस भी ले लिया जाता है। आप फै सला कर लें। कनसैंसिस देखकर कि तीन या पांच से ज्यादा सप्लीमैंटरी एक सवाल पर न हों दूसरा, मेरा सुझाव यह है कि जो सवाल आज की तारीख में नहीं आता है उसे अगली तारीख पर रख लें जैसा कि पहले भी होता रहा है।

Mr. Speaker : This will adversely affect the question which will come on the partitional day. What we will decide is : generally speaking three questions or at the most five from each member and then, of course, on important questions, as suggested by Chaudhri Ranbir Singh, the matter rests with me.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *16 Feb. 1970, Vol. I, No. 2, Page (2) 20*

हरियाणा विधानसभा

मंगलवार, 17 फरवरी, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : मैं वित्त मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको इस बात का इलम है कि जिन जिन गांवों में मुरब्बाबन्दी हो चुकी है और जो जमीन हरिजनों और दूसरे लोगों में मकान बनाने के लिये रखी गई थी, बंटी है, या नहीं बंटी है क्या इसके बारे में वित्त मंत्री महोदया कोई सूचना सदन को देंगी ?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : डिपार्टमैंट के नोटिस में यह बात हो, मैं कह नहीं सकती। पर, मेरे नोटिस में यह बात तो आई नहीं है।

Mr. Speaker : As already observed by me this is a very important question. The plea, however, taken by the hon. Minister is that as this supplementary does not arise out of the information already given or from the answer to the question, a separate notice will have to be given by the honourable Member. I am sure that this being a very important matter, the hon. Members are deeply interested in it and would like to discuss it further.

चौधरी बनवारी राम : स्पीकर साहब, ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर सर, वित्त मंत्री जी ने कहा कि मेरे नोटिस में नहीं है। वह हमारे सवालों का जवाब नहीं देती। इनकी तरफ से इस तरह का हम लोगों के साथ सलूक किया जा रहा। जब पर्चे

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *17 Feb. 1970, Vol. I, No. 3, Page (3) 8-9*

पूछते हैं तो जवाब नहीं मिलता। जब पर्चे देने का समय आता है तो दिल्ली बैठ जाएं बाद में।

श्री अध्यक्ष : चौधरी बनवारी राम जी मैं आपकी बात समझता हूँ। मैं सुबह ही बात कर रहा था कि प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर आपको समझाऊंगा।

चौधरी बनवारी राम : स्पीकर साहब, मैं तो हरि मानस हूँ, अगर कोई गलती हो जाया करे तो माफ किया करो।

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (श्री के.एल. पोसवाल) : इनको तो कच्ची कौड़ी में रहने दो स्पीकर साहब।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, आप जो कुछ कहना चाहते हैं, शौक से कहिये, कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर न कहियेगा।

चौधरी रणबीर सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि जहां पर कन्सोलीडेशन हो चुका है, उसमें कितने गांव हैं, जहां ऐसी जमीन जो लोगों के बसने के लिए रखी गई थी, वह बांटी गई है?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : मेरे पास इस समय यह इन्फार्मेशन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बहुत से ऐस गाँव हैं जहां पर जमीन बांटी नहीं गई है। मेरे हल्के में भी बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें जमीन बांटी नहीं गई।

श्रीमती ओम प्रभा जैन : स्पीकर साहब, मेरा निवेदन यह है कि यह प्रश्न लिखकर दे दें, तो उसका उत्तर मिल जाएगा।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आज वह प्रश्न आपको दफ्तर के अन्दर लिखकर भेज दूं तो 10-11 दिन के बाद उस का उत्तर दिया जाता है तो क्या वह 10-11 दिन की पाबन्दी आप हटा देंगे?

श्री अध्यक्ष : यह पाबंदी हटाई जाएगी।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मेरी इस बारे में यह राय है चौधरी साहब तो बड़े पुराने पार्लियामंटेरियन हैं। दो हफ्ते का नोटिस होता है, नार्मल स्टार्ड क्वैश्यन के लिये। शार्ट नोटिस अगर आप करवा दें तो प्रश्नों का जवाब दो दिनों में आ सकता है।

Mr. Speaker : The Minister concerned has agreed and accepted the suggestion.

श्री दया कृष्ण : क्या वजीर साहिबा, यह बताने की कृपा करेंगी कि बचत की जमीन को मुरब्बाबन्दी में रही हैं, पंचायत के पास चली गई थी, उसकी दोबारा तकसीम हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार क्या जमीदारों में हो चुकी है या नहीं ?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : 298 गांवों में यह प्रोबलम थी, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 20 गांवों का निपटॉन हो चुका है। जो स्कीमें 1964 के पहले बनी हैं, वह गलत है। लेकिन, फैसला मेरे विचार से पिछले साल में हुआ है।

श्री रणधीर सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि दरिया यमुना के पास जितने गांव पड़ते हैं और उससे इफैक्टिड जितने गांव हैं, उनमें क्या चकबन्दी हुई है, या अभी नहीं हुई ? (विघ्न)।

महन्त गंगा सागर : क्या वित्त मंत्री महोदया से पूछ सकता हूँ कि अगर मैं इन चार नियमों को जैसे कि रेत वाले इलाके में नहीं कर सकते चकबन्दी, दूसरे पहाड़ वाले इलाके में नहीं कर रहे, तीसरे दरिया वाले इलाके में नहीं और चौथे जहां झगड़े हैं वहां नहीं कर रहे, इनके अलावा अगर मैं नाम दूं तो क्या वह चकबन्दी करेंगे ?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : हां करेंगे।

श्री दया कृष्ण : मैं मन्त्री महोदया से पूछना चाहूँगा कि जो जमीन बकाया है, उसको तकसीम करने की क्या जल्दी से जल्दी कोशिश की जाएगी ?

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत मन्त्री महोदया से पूछना चाहता हूँ कि शामलात की जमीनें जो गांवों में हैं, वे पंचायत के पास रहेंगी या गांव के लोगों को मिलेंगी ?

श्री अध्यक्ष : वह बताया जा चुका है।

हरियाणा विधानसभा

मंगलवार, 17 फरवरी, 1970 ई.*

दादरी -भिवानी रोड़ पर मिट्टी का काम

चौधरी रणबीर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब वहां कोई सैलाब नहीं आते तो वहां पर स्पैशल रिपेयर की क्यों जरूरत पड़ी?

चौधरी रण सिंह : अगर सड़क के बरम टूट जाएं तो उसके लिए अलग ऐस्टीमेट पास किया जाता है।

चौधरी रणबीर सिंह : मेरा प्रश्न यह है कि जो कारण बताए गए हैं, अगर वह कारण सही नहीं हैं, जिनकी वजह से रिपेयर कराई जा रही है तो क्या सरकार उन कारणों की जांच कराने के लिए तैयार है?

चौधरी रण सिंह : पहली गवर्नमेंट ऐसी थी कि जिसने किसी टूट-फूट को देखा तक नहीं था अब हमने यह देखा है कि कहां-कहां सड़कं टूट रही हैं तो काम भी करवाया जा रहा है। (इंट्रप्शन)

श्रीमती चन्द्रावती : जहां सड़कें न टूटें तो क्या मन्त्री महोदय बतलाएंगे कि स्पैशल रिपेयर किस वक्त की जाती है?

चौधरी रण सिंह : नार्मली रिपेयर होती ही रहती है, लेकिन जब टूट-फूट अधिक हो जाए तो स्पैशल रिपेयर कराई जाती है।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* ,Starred Questions and Answers, *17 Feb. 1970, Vol. I, No. 3, Page (3) 10-12*

Mr. Speaker : It appears the intention is that normal gangmen should be able to carry on normal repairs if proper supervision is being done and if either in some cases proper attention was not paid, or proper supervision was not done or some heavy floods occur then special repairs become necessary. That is what you are saying.

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : चौधरी रणबीर सिंह जी ने जो सवाल पूछा है कि क्या सरकार कारणों की जांच-पड़ताल करेगी ? मैं कहना चाहता हूँ कि जहां सड़कें ज्यादा टूटी-फूटी हैं वहां पर जांच करेंगे।

श्री अध्यक्ष : It is a good idea कई जगह ऐसा होता है कि सड़कें टूट जाती हैं।

श्री फतेह चन्द विज : नार्मली क्या सड़क रेगुलर गेंग से बनवाई जाती हैं, या डेली वैजिज पर ?

चौधरी रण सिंह : नार्मल काम के लिए अलग प्राविजन है और जो स्पैशल रिपेयर का काम है, वहां स्पेशली लेबर लगाई जाती है।

चौधरी रणबीर सिंह : सवाल के जवाब में यह बतलाया गया है कि मुरम्मत करने में केवल मिट्टी डालने का खर्च 12 हजार हुआ। सड़क बनाने के लिए जहां बिलकुल मिट्टी न हो वहां पर मिट्टी डालने का पर-माइन खर्च सिर्फ 10,000 आता है तो क्या मैं जान सकता हूँ कि यह खर्च कितने मील के लिए है ?

चौधरी रण सिंह : यह स्पैशल रिपेयर का खर्चा हुआ है। यह तो बनी हुई सड़कों के बारे में है और अर्थ वर्क के बारे में है

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, होता क्या है कि मिट्टी डाल देते हैं, और खर्चा कई-कई हजारों में दिखा देते हैं लेकिन सड़क टूटी की टूटी रह जाती है। जो मुख्यमंत्री ने इन्क्वायरी करवाने का आश्वासन दिया है मैं उसका स्वागत करती हूँ।

श्री बंसी लाल : सवाल सिर्फ मिट्टी डलवाने के खर्च का था और स्पैशल वर्क का। उसका जवाब दे दिया गया है। उनके पास पूरा ब्रेक-अप नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, सवाल का उत्तर सही नहीं था। मैं समझता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मन्त्री महोदय को वक्त दे दिया जाए, ताकि यह पूरा जवाब दे सकें।

श्री बंसी लाल : ठीक है, एक हफ्ते की तारीख रख दें।

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि जो मुद्दा था, वह पूरा हो गया। इसलिए, अधिक टाईम वेस्ट करने की मैं जरुरत नहीं समझता। We should be satisfied.

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब, बहन चन्द्रावती जी ने किसी खास सड़क का नाम लेकर तो पूछ लिया है। लेकिन, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आम सड़कें हैं उनकी मैंटेनेंस कितनी देर के बाद की जाती है?

श्री अध्यक्ष : यह सवाल आप अलहदा पूछ लेना।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, चौधरी रणबीर सिंह को इस बारे में आपत्ति थी कि मन्त्री महोदय तैयार हो कर नहीं आते और जवाब ठीक तरह से नहीं देते। लेकिन, उन्हें मालूम होना चाहिए...

Mr. Speaker : I may mention one thing. You (Shri Mangal Sein) said it in humour. But, I don't think you should cast aspersions on the Ministers.

Shri Bansi Lal : Sir, those remarks should be expunged.

Mr. Speaker : I agree to maintain the decorum and the normal proper conduct of the House. Therefore, the remarks made by the hon. Member (Shri Mangal Sein) should be expunged.

हरियाणा विधानसभा

मंगलवार, 17 फरवरी, 1970 ई.*

राज्य में बेरोजगारी

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, अभी जो आपने कहा है, यह बड़ा गम्भीर मामला है। पहले लोकसभा में एक सवाल के लिए 5 मिनट का टाईम रखा जाता था। लेकिन, आजकल लोकसभा में भी चार-पांच से ज्यादा सवालों के जवाब नहीं हो पाते हैं। उसका कारण यह है कि सवाल में कुछ बातें ऐसी नई आती हैं जिनका जवाब गवर्नमैंट को देना पड़ता है और स्पीकर महोदय भी मानते हैं कि खास-खास सवालों का जवाब देना ही चाहिए। इसलिए, कुछ समय ज्यादा लग जाता है। आसान तरकीब यह है जो चौधरी चान्द राम जी ने बताई है कि आधे घंटे की मांग की जाए लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि सवाल पूछने पर पाबन्दी लगा दी जाए। जो भी कुर्सी पर बैठता है उसका यह अधिकार हो जाता है कि वह जैसी सिचुएशन हो उसे देखकर उसका फै सला करें। ऐसा मैं मानता हूँ।

श्री अध्यक्ष : कल हमने एक सवाल के बारे में फै सला किया है कि जो जरुरी इम्पार्टेंट सवाल हों उसके बारे में हम सोच सकते हैं।

Shri S.P. Jaiswal : Sir, the answer to the problem lies in giving precise and correct answers by the Treasury Benches. If they give appropriate and correct answers to questions, so many supplementaries would not arise. These arise only they give irrelevant adn avoidable answers. Then, effor is made to extract as much information as possible

---

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *17 Feb. 1970,Vol. I, No. 3, Page (3) 17-19*

from the Government.

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, दिक्कत यह है कि कभी-कभी सप्लीमेंटरी पूछने वाले सवाल न पूछकर कई माननीय सदस्य बड़े-बड़े भाषण देने लग जाते हैं।

Mr. Speaker : Let me make the question clear. I am quite sure that the fault lies on earlier side. Firstly the questions must be thoroughly prepared and full answers msut be given. Secondly, no length supplementary should be put and only a few really necessary supplementaries should be put. This is what exactly should be done.

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, क्या करें, अगर लम्बे जवाब दें तो कहते हैं कि बोर हो गए और अगर छोटे जवाब दें तो भी मुश्किल है।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न तो नहीं उठाना चाहता, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि प्रश्नोत्तर के घंटे में अगर कोई सदस्य या मंत्री यह कहे कि तुम्हारी वजारत में क्या हुआ पहली वजारत ने अच्छा या बुरा काम किया गया प्रश्नोत्तर के घण्टे में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ऐसी बातें चाहे इधर से हों या उधर से हों, इन को कड़े हाथों से लेना चाहिए। समय बचाने का सिर्फ यही एक तरीका है कि ऐसी बातें एवाइड की जाएं। इसके इलावा दूसरी चीज जैसे कि मेरे माननीय सदस्य श्री जैसवाल ने जिक्र किया है, इसमें बड़ा वजन है। सवालों के जवाब सही हों और सप्लीमेंटरी का जवाब भी टू दी प्वायंट हो तो काफी समय बच सकता है। अगर किसी मन्त्री महोदय के पास सूचना नहीं है तो वह समय मांग ले। अगर, वह बाद में भेज दे तो इसमें क्या हर्ज़ है, कुछ इन्फर्मेशन आगे मिल सकती है। फजूल के बहस मुबाहसे में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं आपके सुझाव को नहीं मानता, मैंने नोट किया है, एक दो जगह जहां मिनिस्टर थोड़ा सा जवाब देने में रिलेक्टेंट हो गया वहां ज्यादा सवाल आते हैं। इस तरह अगर मैं किसी को रोकने की कोशिश करुंगा तो उस मैम्बर के लिए तकलीफ पैदा करने वाली बात होगी। मेरा अपना ख्याल है कि आप सवाल ठीक-ठीक प्रिपेयर करके आयें और ठीक-ठीक सप्लीमेंटरी पूछें।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, मैं सदस्य हूँ, सदस्यों के बारे में मैंने कुछ कहा ही नहीं। मैंने यह कहा है कि मन्त्रिमण्डल के जो मन्त्री हैं, अगर वे सवाल का जवाब दाएं बाएं दें तो वक्त ज्यादा लगता है। (विघ्न)

हरियाणा विधानसभा

वीरवार, 19 फरवरी, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार कोई ऐसे हालात पैदा करने के लिये तैयार है जिसमें या तो अध्यापकगण रिट वापिस ले लें या वह रिट इनफ्रकचुअस हो जायें ?

चौधरी खुरशीद अहमद : इसमें फिर मेरा वही जवाब है कि हाईकोर्ट में केस है। इसलिए, हम कोई कुमिटमैंट नहीं दे सकते।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई कुमिटमैंट की बात नहीं कही है और न ही कोई ऐसी बात कही है कि जिससे किसी भी पार्टी को मुकदमेबाजी में कोई घाटा या नफा हो सके। मैंने तो मामूली बात जानने की कोशिश की है कि क्या सरकार ऐसे हालात पैदा करने के लिये तैयार है कि जिससे वह रिट इनफ्रकचुअस हो जायें ?

श्री बंसी लाल : गवर्नमैंट रिट विदड्रा करने के दबाव में आकर या रिट पैटीशन के दबाव में आकर कोई बात कन्सिडर करने के लिये तैयार नहीं है। वैसे सरकार हर किसी की हर जायज बात कन्सिडर करने के लिये तैयार है।

चौधरी रणबीर सिंह : क्या मैं मुख्यमंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि जायज बात यह कौन सी करना चाहते हैं और उनके मुताबिक कौनसी बात जायज हो

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *19 Feb. 1970, Vol. I, No. 5, Page (5) 7-9*

सकती है?

श्री बंसी लाल : यह सपैसिफिक बात इस वक्त ऐनेलाइज करके नहीं कही जा सकती है। अदालत में जब फै सला हो जायेगा तब सरकार इस पर विचार करेगी।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय प्रश्न में यह बात पूछी गई है कि जो सरकारी कर्मचारियों का भत्ता है इसमें किसी और कैटेगिरी के कर्मचारियों के भत्ता में भी कट लगाया हुआ है?

Mr. Speaker : His question is, whether the cut imposed on this particular category of perosnnel has been applied to other Government servants also?

चौधरी रणबीर सिंह : मुख्यमंत्री जी ने फरमाया था कि दूसरे कर्मचारियों का सवाल इस सवाल में नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें अध्यापकों की ही बात है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रश्न के ''सी पार्ट'' को अगर आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि उसमें दूसरे कर्मचारियों के बारे में भी पूछा हुआ है कि आया जो महंगाई भत्ता है वह दूसरे कर्मचारियों के पे-सकेल के हिसाब से एक जैसा ही मिलता है या उसमें कोई फर्क है या कट लगा है?

श्री बंसी लाल : पार्ट सी का जवाब दिया जा चुका है।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि कल ही इस किस्म का एक सवाल आया था जो सिपाहियों और हवालदारों के बारे में था। उसका जवाब अगर आप पढ़ें और उस जवाब को अगर इस सवाल के जवाब से मिलाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि सरकार की तरफ से एक ही किस्म के सवालों के दो किस्म के जवाब आये हैं। कल कुछ कहा और आज कुछ कहा। कल के जवाब में बताया गया कि उनकी तनखाह 1966 में बढ़ा दी थी। इसलिये, उनको डी.ए. और मुलाजमों की तरह नहीं दिया और अब कहा कि सबका बढ़ा है। फै क्ट को फै क्ट के ढंग से कबूल करना चाहिये। इन दोनों जवाबों में कुछ अन्तर है।

श्री बंसी लाल : कोई दो किस्म के जवाब नहीं हैं। जिस महकमा का जिस ढंग का जवाब था वह यहां सदन में बता दिया गया है। अगर मैंबर साहब को इसके बावजूद डिसक्रिपैंसी लगती है तो जब बजट हर डिसक्शन होगी तो उस वक्त यह बात

डिसकस हो सकती है और सरकार की तरफ से जवाब दिया जा सकता है।

चौधरी रणबीर सिंह : ऐसे प्रश्नों के बारे में जहां कोई सदस्य बताये कि सरकार की तरफ से दो प्रकार के उत्तर आये हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं तो यह प्रथा है कि स्पीकर साहब आमतौर पर यह बात देखते हैं कि आया जवाबों में कोई अन्तर है या नहीं। तो मैं आप से प्रार्थना करता हूँ कि अब नहीं तो बाद में आप दोनों सवालों के जवाब देख लें और देखकर अगर आप समझें कि फर्क नहीं है तो ठीक है।

Mr. Speaker : I shall give you my decision tomorrow.

हरियाणा विधानसभा

वीरवार, 19 फरवरी, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, कल आपने बिलकुल सही कहा था कि प्रश्नोत्तर में ज्यादा समय लगता है। अध्यक्ष महोदय, आपने इस प्रश्न के जवाब में देखा होगा कि एक मंत्री महोदय ने कह दिया कि मामला सबजुडिस है और दूसरे मंत्री के साथ आपकी लम्बी चौड़ी बहस के बाद अब जाकर जवाब दिया। (विघ्न) अगर वित्त मंत्री महोदया इस तरह का जवाब पहले ही दे देती या इस तरह का जवाब पहले ही दे दिया जाता तो मैं समझता हूँ कि काफी समय बच सकता था। यह तो सबजुडिस के नाम से बात को बंद करना चाहते थे। मगर, हम वित्त मंत्री महोदया के धन्यवादी हैं कि उन्होंने आखिर सदन को वह जानकारी दी, जिसे सदन चाहती थी। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि सबजुडिस कह करके जो संरक्षण में लेना चाहते थे क्या वह ठीक था?

श्री अध्यक्ष : वह तो मैंने बहिन जी से पहले ही कहा था कि पहले ही क्यों नहीं इस तरह का जवाब दे दिया था। अगर उन्होंने जो कुछ कहा है इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ बैक-ग्राउंड दी है।

चौधरी रणबीर सिंह : सदन भी इसी बैक-ग्राउंड को जानना चाहता था जिसको कि ये सबजुडिस के नाम से नहीं बताना चाहते थे।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *19 Feb. 1970, Vol. I, No. 5, Page (5) 12-13*

हरियाणा विधानसभा

वीरवार, 19 फरवरी, 1970 ई.*

नलकूप कनैक्शन

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या फ्री कनैक्शन के खर्च में एल.टी. लाइन की लम्बाई का कोई असर पड़ता है कि नहीं ?

श्री के.एल. पोसवाल : स्पीकर साहब, इसका इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। मलाहिदा नोटिस दे दें मैं पता कर दूंगा।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का मुख्य सवाल से बहुत ज्यादा सम्बन्ध है। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि दरखास्तें ज्यादा और पैसा कम होने की वजह से सबकी मांग को पूरा नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि अगर एल.टी. लाइन लम्बी हो तो खर्च ज्यादा आता है और अगर छोटी हो तो खर्च कम होता है। अगर सरकार छोटी लाइनों वाले काम को प्राथमिकता दे तो खर्च कम होने की वजह से ज्यादा कनैक्शन्ज दे सकती है। लेकिन, मैं इस बात की इनसे पुष्टि करवाना चाहता था कि आया की कनैक्शन पर तार की लम्बाई का असर पड़ता है या नहीं पड़ता है।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : तार की लम्बाई का असर पड़ता है। जितनी लम्बी लाइन ज्यादा चलेगी उतना ज्यादा खर्च होगा। पैसे का फिलहाल हमारे

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers *, 19 Feb. 1970, Vol. I, No. 5, Page (5) 14-15*

पास प्रबन्ध नहीं है। इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए ओपन मार्किट, कारपोरेशन्ज और बैंकों आदि से लोन लेकर काम किया जाता है। टारगैट तो पीछे भी वक्तन-फक्तन रीवाइज करते रहे हैं और इस साल भी कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कनैक्शन मुहैया किए जाएं। फ्री ट्यूबवैल पर क्या खर्च आता है, ये आंकड़े इस वक्त नहीं हैं। अगर ऑनरेबल मेम्बर कहेंगे तो आंकड़े भी दे देंगे।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, बड़ी खुशी की बात है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने माना कि असर पड़ता है। मंत्री महोदय ने तो कह दिया था कि मालूम नहीं।

श्री के.एल. पोसवाल : मैंने यह तो नहीं कहा था, मैंने तो यह कहा था कि इससे सवाल पैदा नहीं होता।

चौधरी रणबीर सिंह : यह तो आप नहीं कह सकते, स्पीकर साहब कह सकते हैं कि पैदा होता है या नहीं होता है।

श्री के.एल. पोसवाल : मैं सजैस्ट तो कर सकता हूँ।

चौधरी रणबीर सिंह : सजैस्ट भी नहीं कर सकते, सबमिशन कर सकते हैं।

श्री के.एल. पोसवाल : अच्छी बात।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। ये बाते तो आपको करनी थी। मगर, मेरे दोस्त ने मेरे से ही कहलवा दी। (हंसी)

श्री के.एल. पोसवाल : हम दोनों ही माफी मांगते हैं।

Mr. Speaker : I am glad.

चौधरी रणबीर सिंह : मेरे नाम की तो, स्पीकर साहब, यह माफी भी नहीं मांग सकते, मैं ही मांग सकता हूँ (हंसी)।

खैर, स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने कबूल किया है कि लो-टैन्शन की लाईन अगर लम्बी होगी तो खर्च ज्यादा आएगा और अगर कम होगी तो कम आएगा। क्या इस बात को तथा पैसे की कमी को देखते हुए ऐसी लाइनों को जिनकी लम्बाई कम हो प्राथमिकता दी जाएगी?

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, इस बात पर गौर किया जा सकता है।

महंत गंगा सागर : स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने अभी बताया कि हमारे पास पैसा तो है नहीं। मगर, टारगैट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं काफी देर से सोच रहा था कि पैसा तो है नहीं टारगैट कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि, लोन लेने में भी काफी दिक्कतें आती हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि टैरीफ बढ़ाकर टारगैट पूरा करने का इरादा तो नहीं है।

बंसी लाल : हर साल स्पीकर साहब, इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड बैकों और कारपोरेशन्ज आदि से लोन लेकर काम करता है और इसके लिए नैगोसिएशन्ज करनी पड़ती है। कोई हां करता है, कोई नहीं करता है। दिक्कतें तो हमें हैं। मगर, अन-नैसेसरली टैरिफ बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है।

HARYANA VIDHAN SABHA

Thursday, 19th Feb, 1970*

Laid on the Table under Rule 45

Construction of Roorkee-Polangi-Jasrana Approach Roads

*665. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state -

(a) the date on which the beneficiaries share, if any, was deposited in respect of approach roads of Roorkee-Polangi-Jasrana of tehsil and district Rohtak;

(b) the estimated sanctioned cost of the roads;

(c) the date on which the administrative sanction for the construction of the said roads was issued;

(d) the date on which the work was started and the period within which it is likely to be completed; and

(e) the reasons for the delay, if any, in the completion of the work?

Agriculture and Labour Minister (Chaudhri Ran Singh):

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,*,*Written Answers to Starred Questions *Land on the Table under Rule 45, 19 Feb. 1970, Vol. I, No. 5, Page (5) 20*

(a) (i) Roorkee-Polangi Road - Rs. 3,000 deposited in cash in October, 1966 Rs. 5,000 deposited in cash in May, 1067.

(b) (i) Roorkee-Polangi Road - Administratively approved cost in 1966 Rs. 91,500.

(ii) Polangi-Jasrana Road - Administratively approved cost in 1966 - Rs. 89,060.

(c) 23rd November, 1966.

(d) The work of Roorkee-Polangi approach road was started in March, 1967 and of Polangi-Jasrana road in February, 1967. These roads will be completed in a year's time provided beneficiaries contribute their share in full.

(e) The beneficiaries have not deposited their share in full for both the roads so far. Dispute of alignment of Polangi-Jasrana road has also to be settled.

HARYANA VIDHAN SABHA

Thursday, 19th Feb, 1970*

Laid on the Table under Rule 45

Construction of Jasia-Sanghi Approach Road to Sanghi Civil Dispensary, Sanghi in District Rohtak

***666. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state -

(a) the date on which the beneficiaries share, if any, was deposited with the Public Works Department in respect of approach road from Jasia-Sanghi approach road to Sanghi Civil Dispensary, Sanghi of tehsil and district Rohtak.

(b) the date on which the administrative sanction for the construction of the road was issued;

(c) the date on which the work was started and period within which it is likely to be completed; and

(d) the reasons for the delay, if any, in the completion of the work?

Agriculture and Labour Minister (Chaudhri Ran Singh) : (a) Rs. 1,000 deposited in October, 1966 and Rs. 1,000 in February, 1967.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Written Answers to Starred Questions *Land on the Table under Rule 45, 19 Feb. 1970, Vol. I, No. 5, Page (5) 27*

(b) 24th April, 1967.

(c) The work was started on 1st January, 1970 and is likely to be completed by 30th June, 1970, subject to the availability of funds and the beneficiaries depositing their full share of Rs. 5,025.

(d) Non-availability of earth near the road.

HARYANA VIDHAN SABHA

Thursday, 19th Feb, 1970*

Laid on the Table under Rule 45

Construction of Makrauli Khurd Approach Road

***667. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state -

(a) whether Makrauli Khurd approach road taking off from Rohtak Gohana Road lies in the Rohtak Market Committee area?

(b) the funds earmarked for this road;

(c) whether the administrative sanction for the construction of the said road has been issued, and

(d) the date on which the work was taken up together with the period within which it is likely to be completed?

Agriculture and Labour Minister (Chaudhri Ran Singh) : (a) Yes.

(b) No funds have been deposited by the Market Committee so far.

(c) No.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Written Answers to Starred Questions *Land on the Table under Rule 45, 19 Feb. 1970, Vol. I, No. 5, Page (5) 33*

(d) The earthwork was started in the 1st week of January 1970 and is almost complete. The work will be completed during 1970-71 provided funds are made available by the Market Committee immediately.

HARYANA VIDHAN SABHA

Thursday, 19th Feb, 1970*

Villages included in the Market Committee, Rohtak

332. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state the number and names of the villages included in Rohtak Market Committee area?

Agriculture and Labour Minister (Chaudhri Ran Singh) : Part (a) 82.

Part (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement of the villages falling in the Market Committee, Rohtak

Sr. No.	Name of Village	Sr. No.	Name of Village
1.	Kheri Sadh	43.	Kutana
2.	Bhalot	44.	Gadhi Khera
3.	Kaloi Khas	45.	Bhali Anand Pur
4.	Kaloi Dupana	46.	Bodh
5.	Dhamt Pur	47.	Jalan Pur
6.	Basan	48.	Sunari Kalan
7.	Makraili Kalan	49.	Sunari Khurd

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Unstarred Questions and Answers, *19 Feb. 1970, Vol. I, No. 5, Page (5) 33-34*

8. Ladhot Ina
9. Bhaya Pur
10. Para and Sukhpura
11. Astal Bohar
12. Bohar
13. Garhi Bohar
14. Pahrawar
15. Karontha
16. Simli
17. Mayana
18. Kanehli
19. Rohtak
20. Kamroli Khurd
21. Sarai Ahmad
22. Nasir Pur
23. Sisroli
24. Chamarian
25. Bhamanwas
26. Sahan Majra
27. Jassia
28. Sanghi
29. Katwara
30. Khadwali
31. Ghuskani
32. Jindran
33. Tatoli
34. Bhagoti Pur
35. Samar Gopal Pur
36. Naya Gaon
37. Sunder Pur
38. Singh Pura Khurd
39. Singh Pura Kalan
40. Bahu Jamal Pur
41. Bahu Akbur Pur
42. Taja Majra
50. Marodhi Jattan
51. Kaka Srana
52. Garanaothi
53. Balland
54. Retoli
55. Kabul Pur
56. Mattana
57. Masudpur
58. Balab
59. Tehmur Pur
60. Sundana
61. Kahanaur
62. Manjha
63. Katesara
64. Nigana
65. Garhi Balab
66. Patwa Pur
67. Marodhi Rangran
68. Manyanai
69. Lahli
70. Anwal
71. Gudhan
72. Kalanaur Kalan
73. Kalanaur Khurd
74. Mioana
75. Madina Gidran
76. Muradpur Tekana
77. Mokhra Khas
78. Kokra Kheri Roz
79. Madina Kaurasan
80. Sangahara
81. Pilana
82. Basana

HARYANA VIDHAN SABHA

Thursday, 19th Feb, 1970*

Funds Available with the Market Committee, Rohtak

333. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state-

(a) total funds available with the Market Committee, Rohtak.

(b) funds, if any, earmarked, schemewise, for construction of approach roads under Crash Programme

(c) estimated annual income of the Market Committee.

Agriculture and Labour Minister (Chaudhri Ran Singh) :

(a) Rs. 9,66,321.03 (including long term investment).

(b) Rs. 6,25,000.

(c) Rs. 7,25,444.00 for the year 1969-70.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Unstarred Questions and Answers, *19 Feb. 1970, Vol. I, No. 5, Page (5) 34*

HARYANA VIDHAN SABHA

Thursday, 19th Feb, 1970*

Area Irrigated in Mungan Village

334. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the area irrgated during 1963-64 to 1969-70 year-wise by each of the outlet of Bhalaut Branch or its distributories in the revenue estate area of Mungan village of tehsil and district Rohtak.

Irrigation and Power Minister : (Shri Ran Dhari Gaur) : Yearwise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its distributaries in the revenue estimate of village Mungan of tehsil and district Rohtak are indicated in the enclosed statement.

S. No.	Name of Disty.	R.D. of Outlet	O.A.A.	1963 -64	1964 -65	1965 -66	1966 -67	1967 -68	1968 -69	1969-70 (upto January,1970)
1.	Jasrana Mr.	45578-R	514	334	200	281	158	119	261	176
	-do-	42200-R	101	...	...	...	69	66	32	15
2.	Rurkee Mr.	10780-L	258	184	145	138	150	102	176	89
	-do-	18050-TL	246	101	68	73	84	67	67	25

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Unstarred Questions and Answers, *19 Feb. 1970, Vol. I, No. 5, Page (5) 34-35*

Note : Figurs of Irrigation for the year 1969-70 (upto January, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will be completed by the end of March, 1970.

HARYANA VIDHAN SABHA

Thursday, 19th Feb, 1970*

Capacity of Rohtak Rajbaha and Area Irrigated

335. Chaudhri Ranbir Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the sanctioned and existing capacity of Rohtak rajbaha, the discharges, if any, observed at the outlet head in the Revenue Estate Area of village Sanghi, Jasia, Kherwali, Chamarian and Sunderpur of Tehsil and District Rohtak.

(b) whether desilting of the 'Rajbaha' together with the area irrigated yearwise, in respect of the above said villages from 1963-64 to 1969-70 by each outlet of Rohtak Rajbaha.

Irrigation and Power Minister (Shri K.L. Poswal) : (a) Sanctioned and existing capacity of Rohtak Distributary are 107, 25 cusecs and 99 cusecs, respectively. Outletwise discharges are given in the statement, which is laid on the Table of the House.

(b) Yes. As per details below.

R.D. 85000 - 116000

R.D. 50000 - 85000

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Unstarred Questions and Answers*, 19 Feb. 1970, Vol. I, No. 5, Page (5) 43-44*

(c) C.C.A. of Rohtak Rajbaha is 35,911 acres. Outletswise irrigation alongwith C.C.A. in the years 1963-64 to 1969-70 is given in the Statement which too is laid on the Table of the House.

Statement showing discharge of outlets in Rohtak Distributary

R.D. of Outlets	Discharge of Outlets	R.D. of Outlets	Discharge of Outlets
1. 69940-L	1.40	10. 90676-L	1.10
2. 70720-R	0.33	11 .99330-L	0.73
3. 72880-L	2.00	12. 104873-L	0.35
4. 73688-R	0.85	13. 105685-R	1.79
5. 76736-L	0.25	14. 108049-L	0.41
6. 78420-R	0.50	15. 112774-L	1.41
7. 82727-L	2.65	16 113876-R	0.67
8. 82832-R	1.50	17. 118596-R	1.67
9. 84932-L	2.00	18. 126003-R	0.85

HARYANA VIDHAN SABHA

Thursday, 19th Feb, 1970*

Electrification of Kharwali, Katwra, Jindran and Ghuskani villages

343. Chaudhri Ranbir Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the estimated population of villages Kharwali, Katwara, Jindran and Ghuskani of the tehsil and district Rohtak;

(b) distance of each of the villages mentioned in part (a) above from 11 K.V. lines;

(c) whether the said villages are covered under any project or sub-project of rural electrification; if so, the name of the project or sub-project of the rural electrification with date of sanction in each case;

(d) the estimated cost for rural electrification of the villages referred to in part (a) above; and

(e) whether the funds have been sanctioned; if so, the date thereof and if not, the reasons therefore together with the time within which the work is likely to be commenced and completed?

Irrigation and Power Minister (Shri K.L. Poswal) : (a) 4,097, 384, 699 adn 606, respectively.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Unstarred Questions and Answers*, 19 Feb. 1970, Vol. I, No. 5, Page (5) 44*

(b) Half time, 1 mile, 1½ miles and 1½ miles, respectively.

(c) Sub-project estimate cost electrification of villages Samar Gopal Pur, Kharainthi, Tatoli and surrounding Rural Areas sanctioned - *vide* composite Punjab State Electricity Board office order No. 1/PSEB/ (F&B), dated 27th January, 1962.

(d) Rs. 30,000, Rs. 20,000, Rs. 30,000 and Rs. 20,000, respectively.

(e) No. Rohtak district has the higher percentage of electrified villages in the State. Electricity Board is trying to narrow down the gap in the percentage of electrified villages of various districts. The villages in question are likely to be electrified during the Fourth Five-Year Plan depending upon the availability of funds for the purpose.

HARYANA VIDHAN SABHA

Thursday, 19th Feb, 1970*

Electrification of Pahrawar and Kasrenti villages

344. Chaudhri Ranbir Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) the population of villages Pahrawar and Kasrenti of tehsil and district Rohtak.

(b) distance of each of the villages mentioned in part (a) above from 11 K.W. lines;

(c) whether the villages referred to in part (a) above are covered under any project or sub-project of rural electrification; if so, the name of the project or sub-project of the rural electrification in each case;

(d) the estimated cost for rural electrification of the villages referred to in part (a) above, and;

(e) whether the funds have been sanctioned; if so, the date thereof and if not, the reasons therefore together with period within which the work is likely to be commenced and completed?

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Unstarred Questions and Answers*, 19 Feb. 1970, Vol. I, No. 5, Page (5) 45*

Irrigation and Power Minister (Shri K.L. Poswal) : (a) Pehrawar 1,634, Kasrenti 1,374.

(b) Pehrawar 2 Miles, Kasrenti 1 mile.

(c) Not covered under any Sub-Project Estimate.

(d) Rs. 35,000 and Rs. 20,000 respectively.

(e) No. Rohtak district has the highest percentage of electrified villages in the State. The gap in the percentage of electrified villages in each district is being narrowed down so as to mitigate the imbalance. The villages in question are likely to be electrified during the Fourth Five-Year Plan depending upon the availability of funds for the purpose.

.

HARYANA VIDHAN SABHA

Thursday, 19th Feb, 1970*

Electrification of Titoli, Bhagautipur, Samar, Gopalpur and Samar Khurd village

345. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state -

(a) the estimated population of villages Titoli, Bhagautipur, Samar, Gopalpur and Samar Khurd of Rohtak Tehsil;

(b) distance of each of the villages mentioned in para (a) above from 11 K.V. Lines;

(c) whether the villages referred to in part (a) above are covered under any project or sub-project of rural electrification; if so, the name of the project or sub-project of the rural electrification in each case;

(d) the estimated cost for rural electrification of the villages referred to in part (a) above; and

(e) whether the funds have been sanctioned; if so, the date thereof and if not, the reasons therefore with the period within which the work is likely to be commenced and completed?

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Unstarred Questions and Answers*, 19 Feb. 1970, Vol. I, No. 5, Page (5) 45-46*

Irrigation and Power Minister (Shri K.L. Poswal) : (a) 4,325, 2,462, 3,670 and 500, respectively.

(b) Each of the villages Titoli, Gopalpur and Samar Khurd (Naya Gaon) is one mile from the existing line and village Bhagautipur is under the existing line.

(c) Sub-project estimate for electrification of villages Samar Gopalpur, Kharainthi, Titoli and surrounding rural areas sanctioned - *vide* composite Punjab State Electricity Board office order No. 1/ PSEB(F&B), dated 27th January, 1962.

(d) Rs. 30,000, Rs. 30,000, Rs. 40,000 and Rs. 15,000, respectively.

(e) Funds have been provided for the electrification of villages Bhagautipur in the Budget estimates for the year 1969-70. Work of electrifying this village is in hand is likely to be completed by the end of March, 1970. Funds for the electrification of other villages in question have not been sanctioned. Rohtak district has the highest percentage of electrified villages in the State. The Electricity Board is trying to narrow down the gap in the percentage of electrified villages of various districts. The villagers in question are likely to be electrified during the Fourth Five Year Plan depending upon the availability of funds for the purpose.

HARYANA VIDHAN SABHA

Thursday, 19th Feb, 1970*

Electrification fo Dhamar, Ladhaut, Bhayanpur and Nunand villages

346. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state -

(a) the estimated population of villages Dhamar, Ladhaut, Bhayanpur and Nunand of tehsil and district Rohtak and whether there is any Government High/Middle School in any of these villages;

(b) distance of each of the villages mentioned in part (a) above from 11 K.V. Lines;

(c) whether the villages referred to in part (a) above are covered under any project or sub-project of rural electrification; if so, the name of the project or sub-project of the rural electrification in each case;

(d) the estimated cost for rural electrification of the villages, referred to in part (a) above; and

(e) whether the funds have been sanctioned; if so, the date thereof and if not, the reasons therefore together with the period within which the work is likely to be commenced and completed?

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Unstarred Questions and Answers*, 19 Feb. 1970, Vol. I, No. 5, Page (5) 46*

Irrigation and Power Minister (Shri K.L. Poswal) : (a) 2,417, 1,496, 700 and 1,963, respectively.

(b) villages Dhamar, Ladhaut and Bhayanpur (Bhinpur) are under an existing line. Nunand is two miles away from the line.

(c) Not covered under any sub-project estimate.

(d) Rs. 30,000, Rs. 20,000, Rs. 20,000 adn Rs. 30,000, respectively.

(e) No. Rohtak district has the highest percentage of electrified villages in the State. The gap in the percentage of electrified villages in each district is being narrowed down so as to mitigate the imbalance. The villages in question are likely to be electrified during the Fourth Five-Year Plan depending upon the availability of funds for the purpose.

हरियाणा विधानसभा

शुक्रवार, 20 फरवरी, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब मैं सवाल पूछने से पहले निवेदन करना चाहता हूँ कि क्वैश्चन ऑवर में सरकार या हां में जवाब दे सकती है या न में और या समय मांग सकती है। कभी आए होंगे या भेज दी होंगी वाली बात नहीं होनी चाहिये। मैं निवेदन करता हूँ कि इसके बारे में आप को अपनी रुलिंग देनी चाहिये। इस वक्त मैं इसके साथ ही अपना सप्लिमेंटरी सवाल भी पूछ लेना चाहता हूँ।

क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जहां जहां नहर की औगमेन्ट (पानी का बढ़ावा) करने के लिए ट्यूबवैल लगाए हुए हैं उनके साथ-साथ वहीं के लोगों की पानी की मांग को पूरा करने के लिये सरकार एक-एक और ट्यूबवैल लगाने के लिए तैयार है कि नहीं? क्योंकि, उस पर तो कुछ लाईन वगैरा का खर्चा नहीं होगा?

श्री के.एल. पोसवाल : मैं इस बात को एग्जामिन करवा सकता हूँ। इस वक्त ऑफहैंड कुछ नहीं कह सकता।

Mr. Speaker: It is apparent that it is a sound suggestion.

Shri K.L. Poswal : It is a good suggestion.

(At this stage Chaudhri Ranbir Singh rose in his seat)

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 6-7*

Mr. Speaker : You earlier referred that a Minister can only say 'yes' or 'no' in reply to a question. I can not find any rule of that nature.

श्री बंसी लाल : चौधरी साहब ने एतराज किया है कि मैंने यह कहा है कि वह मिले होंगे और मैंने उनकी ऐपलिकेशन्स भी आगे भेज दी होंगी। यह मैंने इसलिए कहा है कि महकमा नहर की बहुत सी ऐपलिकेशन्ज आती रहती है और हरेक को याद नहीं रखा जा सकता। इसके इलावा महकमा नहर की बहुत सी ऐपलिकेशन्ज ऐसी होती हैं जो कि जूडिशियल नेचर की होती है जिनके ऊपर कि मैं अपनी तरफ से कोई ऐक्शन नहीं ले सकता और वह एक्स.ई.एन. या एस.ई. को भेजनी पड़ती है। चौधरी साहिब तो खुद इस बात को जानते हैं।

Mr. Speaker: I think, his question was different. I can not find any rule which says that the Government is obliged to say 'yes' or 'no'. If the Minister does not know, I think he could say so. I do not know. But, you can enlighten me about it.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सिलसिले में मैं आपसे आपके चैम्बर में आकर बात करुंगा कि मकहमा नहर को यह सुझाव सरकार की तरफ से पहले भी दिया गया था कि जहां पर डायरैक्ट ट्यूबवैल लगे हुए हैं, उनके साथ साथ शैलो ट्यूबवैल लगा दिए जायें ताकि वहां के लोगों की मांग पूरी की जा सके और वाटर लैवल भी नीचे जा सके।

श्री के.एल. पोसवाल : स्पीकर साहिब शैलो ट्यूबवैल का केस माईनर इरीगेशन में आता है और वह एग्रीकल्चर वाले डील करते हैं।

Mr. Speaker : But that was with you till recently.

श्री के.एल. पोसवाल : नहीं, जी, यह उनके पास ही है।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय को जानकारी के लिये अर्ज कर दूं कि मेरे पास काफी समय तक यह सिंचाई और बिजली विभाग रहा है और मुझे पता है कि यह काम भी सिंचाई मन्त्री के पास ही रहा है। हमेशा और ड्रेनेज का भी यह पार्ट है क्योंकि वाटर टेबल का नीचा करने के लिये जहां सरफे स ड्रेनेज है, वहां शैलो ट्यूबवैल भी उनका ही पार्ट होता है। अगर अब यह महकमा उनके पास नहीं है तो दूसरे साथी से पता करके क्या वह जानकारी लेकर जानकारी देने की कृपा करेंगे ?

श्री के.एल. पोसवाल : मुझे नोटस दे दें, जरुर पता करके बता दूंगा।

Mr. Speaker : It is good for the welfare of the people. We will try to get it, Chaudhry Sahib, in the next few days.

हरियाणा विधानसभा

शुक्रवार, 20 फरवरी, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न ट्यूबवैल के बारे में था लेकिन इसमें नहर भी आ गई, मोघे भी आ गये। इसलिए, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक सवाल नहर के बारे में कर दूं।

श्री अध्यक्ष : अब तो आपको इजाजत देनी ही पड़ेगी, आप पूछ सकते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि डी-सिल्टिंग से पहले वस्टर्न जमुना कैनाल की कपैसीटी कितनी थी? दरिया जमुना से हरियाणा को जो पानी मिलता है उस कपैसीटी से ज्यादा पानी किन किन महीनों में था या किन किन महीनों में होता है?

श्री बंसी लाल : इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता, इसको ऐग्जामिन करके देखेंगे।

Mr. Speaker : We will try to get the answer for the hon. member after 4/5 days. We now come to the next question 640 for which an extension has been sought upto tenth March.

Voices : The session is only upto 4th March.

Mr. Speaker : I will discuss this matter with the Leader of the

---

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 11*

House and see if we can get the answer during the current session.

Shri Daya Krishan : We must get the answer, Sir, during the present session.

Mr. Speaker : I can not assure you at the moment, but I shall try.

हरियाणा विधानसभा

शुक्रवार, 20 फरवरी, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, जहां तक मुझे मालूम है यह सजैशन तो नही है। मगर, एलिसिटिंग ऑफ इन्फर्मेशन है। आदरणीय वित्त मन्त्री महोदया ने आर्डिनरी पांच एकड़ की सूचना दी है। स्टैण्डर्ड एकड़ज की इनके पास है नहीं। अब यह सदन वित्त मंत्री महोदया में यह जानना चाहता है कि पांच एकड़ की ऐसी भूमि की जिसकी न तो ट्यूबवैल से, न नहर से और न तालाब से सिंचाई होती है। क्या यह सरकार इकनौमिक होल्डिंग मानती है या नहीं? इसमें स्पीकर साहब, पालिसी और ओपिनियन का कोई सवाल नहीं है, यह तो एक इन्फर्मेशन है जोकि सदन वित्त मन्त्री महोदया से लेना चाह रहा है।

श्रीमती ओम प्रभा जैन : स्पीकर साहब, इसमें सरकार को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को तो हर आदमी समझ सकता है।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आवश्यकता बताने का वक्त तो तब आएगा जब बजट स्पीच आएगी। लेकिन, इसके ऊपर फीस माफ हो सकती है। (विघ्न) इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री महोदया से विनम्र प्रार्थना करुंगा कि यह जानकारी हासिल करें कि यह इकनौमिक होल्डिंग या नहीं है और साथ ही साथ यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रकार की इन्फर्मेशन का होना सरकार को अपना कामकाज चलाने के लिए जरुरी है या नहीं?

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 16-17*

श्रीमती ओम प्रभा जैन : स्पीकर साहब, अब इसका क्या जवाब दिया जाय ?

Mr. Speaker : Let us not go into it. I think this will vary from State to State and it is a good thing for Government to consider this matter sometime and find out as to how much land they consider to be an economic holding. As you know it varies from five to eleven acres, it is 6¼ acres in Uttar Pradesh and 8 acres in Rajasthan. So it varies from State to State as to what is an economic or uneconomic holding, and I think, in view of what we have been saying from various platforms that will have to be thought of and a decision has to be taken.

चौधरी रणबीर सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट की ओर से जो खेती के बारे में सर्वे की किताब छपी है उसके मुताबिक कितने एकड़ जमीन चाहें, वह नहरी हो या बंजर हो इकनौमिक होती है और कितने एकड़ अनइकनौमिक समझी जाती है।

श्रीमती ओम प्रभा जैन : यह इन्फर्मेशन पूरी इस समय मेरे पास नहीं है। यदि ऑनरेबल मेम्बर पूरी इनफर्मेशन चाहते हैं तो बाद में देखकर बतला दी जायेगी।

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Construction of Sukhpura-Ladhaut Road in Rohtak District

***670. Chaudhry Ranbir Singh :** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state —

(a) whether administartive sanction for the construction of Sukhpura Ladhaut Road of Rohtak District has been issued from cane cess fund; and

(b) whether work on the road has been started. If not the reasons therefore, together with the period within which the work is likely to be started and completed?

Agriculture and Labour Minister (Chaudhri Ran Singh) : (a) Yes.

(b) Not yet. the administrative approval for the work has been accorded on 6th February 1970 and the work is being taken in hand shortly. It is likely to be completed in 3 years subject to the availability of funds.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 44*

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Distribution of Application Forms for obtaining Agricultural Machinery

***306. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state whether any arrangement has bee made to distribute application forms for obtaining, under hire purchase system the Diesel Pumps/Electric Motors or other Agricultural Machinery through Haryana Agro-Industries Corporation at any place in Rohtak district, if not the arrangement, if any, now proposed to be made by

Agriculture and Labour Minister (Chaudhri Ran Singh) : No. The Corporation, however, proposes to set up a Base Workshop at Rohtak and operational Centres at selected places in the district wherefrom arrangements for supply of these forms would be made.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Unstarred Questions and Answwers*, 20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 44-45*

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Manufacture and Distribution of Discs. Harrow

***307. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state whether the manufacture of discs. harrow have been organised by the Haryana Agro-Industries Corporation; if not, the steps, if any, the Government proposes to take to distribute the imported discs at reasonable price to the mechanised cultivators of the State?

Agriculture and Labour Minister (Chaudhri Ran Singh) : The Agro-Industries Corporation has not started the manufacturing of the discs. harrow at present. It has, however, made arrangements regarding the utilisation and distribution of 20,250 imported discs as allotted to the Corporation by the State Trading Corporation with a view to ensure early availability of discs harrow to the farmers in the State at reasonable prices.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers*, 20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 45*

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Percentage of Kharaba recorded in village Bohar of District Rohtak

***308. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) the percentage of Kharaba, if any, recorded in the flood affected areas of village Bohar in district Rohtak during Kharif, 1969;

(b) whether the Deputy Commissioner, Rohtak, recommended for remission of land revenue and Abiana for the period referred to in part (a) above;

(c) whether the member representing Kaloi Constituency represented to Chief Minister/Revenue Minister for the remission of land revenue and Abiana referred to in part (b) above;

(d) if the reply is in the affirmative, action, if any, taken by the Government in this behalf; and

(e) the amount of cash relief, if any, sanctioned and disbursed to the flood affected people of the village referred to in part (a) above?

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers*, 20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 45*

वित्त मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : (ए) 10 प्रतिशत।

(बी) नहीं।

(सी) नहीं।

(डी) फिर भी मामला विचाराधीन है।

(ई) शून्य।

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Percentage of Kharaba recorded in village Kesrenti in district Rohtak

***309. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) the percentage of Kharaba, if any, recorded in the flood affected areas of village Kasrenti in district Rohtak during Kharif, 1969;

(b) whether the Deputy Commissioner, Rohtak, recommended for remission of land revenue and Abiana during Kharif, 1969 for the period referred to in part (a) above;

(c) whether the member representing the Kaloi Constituency represented to Chief Minister/Revenue Minister for the remission of land revenue and Abiana referred to in part (b) above if the reply is in the affirmative action, if any, taken by the Government in this behalf, and

(d) the amount of cash relief, if any, sanctioned and disbursed to the flood-affected people of the village referred to in part (a) above?

वित्त मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : (ए) 16 प्रतिशत।

(बी) नहीं।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 45-46*

(सी) हां। मामला विचाराधीन है।

(ई) शून्य।

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Percentage of Kharaba recorded in village Paksma in District Rohtak

***310. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) the percentage of Kharaba, if any, recorded in the flood affected areas of village Paksma in district Rohtak during Kharif, 1969;

(b) whether the Deputy Commissioner, Rohtak, recommended for remission of land revenue and Abiana for the period referred to in part (a) above;

(c) whether the member representing Kaloi Constituency, represented to the Chief Minister/Revenue Minister for the remission of land revenue and Abiana referred to in part (b) above;

(d) if the reply is in the affirmative action, if any, taken by the Government in this behalf; and

(e) the amount of cash relief, if any, sanctioned and disbursed to the flood affected people of the village referred to in part (a) above?

वित्त मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : (ए) 53 प्रतिशत।

(बी) नहीं।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers*, 20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 46*

(सी) हां।

(डी) मामला विचाराधीन है।

(ई) रुपये 2,300/-

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Percentage of Kharaba recorded in village Baliana in District Rohtak

***311. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) the percentage of Kharaba, if any, recorded in the flood-affected areas of village Baliana in district Rohtak during Kharif, 1969;

(b) whether the Deputy Commissioner, Rohtak, recommended for remission of Land Revenue and Abiana for the period referred to in part (a) above;

(c) whether the member representing Kaloi Constituency represented to the Chief Minister/Revenue Minister for the remission of land Revenue and Abiana referred to in part (a) above;

(d) if the reply is in the affirmative, action, if any, taken by the Government in this behalf; and

(e) the amount of cash relief if any, sanctioned and disbursed to the flood-affected people of the village referred to in part (a) above?

वित्त मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : (ए) 53 प्रतिशत।

(बी) नहीं।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers*, 20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 47*

(सी) हां।

(डी) मामला विचाराधीन है।

(ई) रुपये 2,800/-

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Percentage of Kharaba recorded in village Kaloi Khas and Kaloi Dopana in District Rohtak

***312. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) the percentage of Kharaba, if any, recorded in the flood-affected areas of village Kaloi Khas and Kaloi Dopana in district Rohtak during Kharif, 1969;

(b) whether the Deputy Commissioner, Rohtak, recommended for remission of land revenue and Abiana for the period referred to in part (a) above;

(c) whether the member representing Kaloi Constituency represented to Chief Minister/Revenue Minister for the remission of land revenue and Abiana referred to in part (b) above;

(d) if the reply is in the affirmative, action, if any, taken by the Government in this behalf; and

(e) the amount of cash relief, if any, sanctioned and disbursed to the flood affected people of the villages referred to in part (a) above?

वित्त मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : (ए) किलोई खास : 56 :,

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers*, 20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 47-48*

किलोई दोपाना 51 :।

(बी) नहीं।

(सी) हां।

(डी) मामला विचाराधीन है।

(ई) किलोई खास - रुपये 1,700/-

किलोई दोपाना - रुपये 1,630/-

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Percentage of Kharaba recorded in village Ladhaut Beyanpur in District Rohtak

***313. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) the percentage of Kharaba, if any, recorded in the flood-affected areas of village Ladhaut Beyanpur in district Rohtak during Kharif, 1969;

(b) whether the Deputy Commissioner, Rohtak, recommended for remission of land revenue and Abiana for the period referred to in part (a) above;

(c) whether the member representing Kaloi Constituency represented to Chief Minister/Revenue Minister for the remission of land revenue and Abiana referred to in part (b) above;

(d) if the reply is in the affirmative, action, if any, taken by the Government in this behalf; and

(e) the amount of cash relief, if any, sanctioned and disbursed to the flood affected people of the villages referred to in part (a) above?

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers*, 20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 48*

वित्त मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : (ए) 63 : ।

(बी) नहीं।

(सी) हां।

(डी) मामला विचाराधीन है।

(ई) रुपये 1,102/-

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Percentage of Kharaba recorded in village Dhamar in District Rohtak

***314. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) the percentage of Kharaba, if any, recorded in the flood-affected areas of village Dhamar in district Rohtak during Kharif, 1969;

(b) whether the Deputy Commissioner, Rohtak, recommended for remission of land revenue and Abiana for the period referred to in part (a) above;

(c) whether the member representing Kaloi Constituency represented to Chief Minister/Revenue Minister for the remission of land revenue and Abiana referred to in part (b) above;

(d) if the reply is in the affirmative, action, if any, taken by the Government in this behalf; and

(e) the amount of cash relief, if any, sanctioned and disbursed to the flood affected people of the villages referred to in part (a) above?

वित्त मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : (ए) 53 :

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers*, 20 Feb. 1970, Page Vol. I, No. 6, (6) 48-49*

(बी) नहीं।

(सी) हां।

(डी) मामला विचाराधीन है।

(ई) किलोई खास - रुपये 900/-

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Percentage of Kharaba recorded in village Makrauli Kalan and Makrauli Khurd in District Rohtak

***315. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Minister for Finance be pleased to state —

(a) the percentage of Kharaba, if any, recorded in the flood-affected areas of village Makrauli Kalan and Makrauli Khurd in district Rohtak during Kharif, 1969;

(b) whether the Deputy Commissioner, Rohtak, recommended for remission of land revenue and Abiana for the period referred to in part (a) above;

(c) whether the member representing Kaloi Constituency represented to Chief Minister/Revenue Minister for the remission of land revenue and Abiana referred to in part (b) above;

(d) if the reply is in the affirmative, action, if any, taken by the Government in this behalf; and

(e) the amount of cash relief, if any, sanctioned and disbursed to the flood affected people of the villages referred to in part (a) above?

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers*, 20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 49*

वित्त मंत्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : (ए) मकरोली कला : 18 :, मकरोली खुर्द 22 :।

(बी) नहीं।

(सी) हां।

(डी) मामला विचाराधीन है।

(ई) मकरोली कलां - रुपये 1,125/-

मकरोली खुर्द - रुपये 700/-

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Starred Questions and Answwers

316. Chaudhry Ranbir Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distributaries in the revenue estate of village Bhalaut or Tehsil and District Rohtak?

Irrrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the revenue estate of village Bhalaut of Tehsil and District Rohtak are indicated in the enclosed statement-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Distly.	R.D. of O/let	C.CA	1963 -63	1964 -65	1965 -66	1966 -67	1967 -68	1968 -69	1969-70 upto Jan. 1970
1.	Bhalaut	1500-R	289	328	287	514	447	363	195	180
	-do-	5816-R	457	..	..	..	..	430	224	461
	-do-	6850-L	133	103	114	186	130	132	135	113

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 50*

	-do-	10999-L	749	260	239	435	450	541	472	459
2.	Asan Minor	950-R	607	..	..	..	444	349	442	373
	Ditto	7350-L	234	70	63	111	100	84	90	96
	Ditto	8812-L	146	79	84	99	150	145	..	150
	Ditto	9060-R	602	280	286	503	459	441	441	371
	Ditto	12500-R	436	339	223	400	334	292	279	236
	Ditto	14073-L	10	4	5	11	13	4	13	14
	Ditto	15625-R	682	261	230	460	526	406	524	882
	Ditto	19225	330	187	173	266	280	302	297	283

Note — Figures of irrigation for the year 1969-70 (upto January, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will completed by the end of March, 1970.

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Area irrigated in Baliana Village

317. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the Rabi from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distributaries in the revenue estate of village Baliana of Tehsil and District Rohtak?

Irrrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the revenue estate of village Baliana of Tehsil and District Rohtak are indicated in the enclosed statement-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Distly.	R.D. of O/let	C.CA	1963 -63	1964 -65	1965 -66	1966 -67	1967 -68	1968 -69	1969-70 upto Jan. 1970
1.	Bhalaut	11596-R	852	560	396	660	502	503	507	683
	-do-	13618-L	184	121	128	147	161	137	202	212
	-do-	17930-I	558	442	323	524	435	343	416	502
	-do-	20799-R	807	610	431	717	513	462	567	710

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 50-51*

2.	Kheri Sadh Minor	4867-R	368	270	187	291	238	185	269	230
	Ditto	17396-L	275	151	126	175	412	337	136	746
	Ditto	24289-L	266	118	125	155	92	113	109	8

Note — Figures of irrigation for the year 1969-70 (upto January, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will completed by the end of March, 1970.

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Area irrigated in Village Paksma

318. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the Rabi from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distributaries in the revenue estate of village Paksma of Tehsil and District Rohtak?

Irrrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the revenue estate of village Paksma of Tehsil and District Rohtak are indicated in the enclosed statement-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Distly.	R.D. of O/let	C.CA	1963 -63	1964 -65	1965 -66	1966 -67	1967 -68	1968 -69	1969-70 upto Jan. 1970
1.	Bhalaut	17930-L	486	344	166	387	302	250	378	278
	-do-	29416-L	652	364	285	513	441	426	475	402
	-do-	30130-L	427	299	182	230	296	298	263	252
2.	Asan Minor	19225-R	271	..	12	137	141	136	138	137

***Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 51*

Ditto	21628-R	873	535	305	405	219	222	213	462
Ditto	28530-R	372	183	127	136	113	104	147	125

Note — Figures of irrigation for the year 1969-70 (upto January, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will completed by the end of March, 1970.

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Area irrigated in Village Kasrenti

319. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distributaries in the revenue estate of village Kasrenti of Tehsil and District Rohtak?

Irrrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the revenue estate of village Kasrenti of Tehsil and District Rohtak are indicated in the enclosed statement-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Distly.	R.D. of O/let	C.CA	1963 -63	1964 -65	1965 -66	1966 -67	1967 -68	1968 -69	1969-70 upto Jan. 1970
1.	Bhalaut	30130-R	191	102	85	79	76	72	82	68
2.	Asan Minor	28500-T.I.	258	122	124	101	52	88	101	48

Note — Figures of irrigation for the year 1969-70 (upto January, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will completed by the end of March, 1970.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 52*

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Area irrigated in Dhamar Village

320. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distributaries in the revenue estate of village Dhamar of Tehsil and District Rohtak?

Irrrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the revenue estate of village Dhamar of Tehsil and District Rohtak are indicated in the enclosed statement-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Distly.	R.D. of O/let	C.CA	1963 -63	1964 -65	1965 -66	1966 -67	1967 -68	1968 -69	1969-70 upto Jan. 1970
1.	Bhalaut Sub-Branch	111200-L	95	...	...	...	...	...	...	29
	Ditto	114100-R	452	...	...	...	...	...	...	95
2.	Rithal Distly.	66066-L	98	29	39	37	35	35	22	...
	Ditto	69418-L	52	39	21	30	30	24	20	...
	Ditto	75048-T.C.	43	10	14	21	21	9	...	...

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 52-53*

3.	Kahni Disty.	67487-R	485	266	243	363	351	336	385	408
	Ditto	74380-R	404	155	304	313	323	257	262	163
4.	Makrauli Minor	2510-R	281	219	170	245	230	195	196	160
	Ditto	8000-R	279	234	215	265	347	223	248	176
	Ditto	10500-L	575	375	293	453	446	369	365	399
	Ditto	12300-R	98	48	23	30	23	24	16	19
	Ditto	6200-L	304	316	294	286	248	207	249	340
5.	Rithal Disty.	64375-TC	98	...	...	...	...	...	...	15

Note — Figures of irrigation for the year 1969-70 (upto January, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will completed by the end of March, 1970.

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Area irrigated in Jasia Village

321. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distributaries in the revenue estate of village Jasia of Tehsil and District Rohtak?

Irrrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the revenue estate of village Jasia of Tehsil and District Rohtak are indicated in the enclosed statement-

Sr. No.	Name of Distly.	R.D. of O/let	C.CA	1963 -63	1964 -65	1965 -66	1966 -67	1967 -68	1968 -69	1969-70 upto Jan. 1970
1.	Rohtak	82727-L	788	355	333	496	442	456	417	385
	Ditto	84932-L	657	318	298	434	356	279	249	270
	Ditto	90676-L	162	28	10	41	15	29	28	20
2.	Makrauli	2500-R	1,490	444	511	914	836	655	852	894

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 53*

Note — Figures of irrigation for the year 1969-70 (upto January, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will completed by the end of March, 1970.

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Area irrigated in Makrauli Kalan and Makrauli Khurd Village

322. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distributaries in the revenue estate of village Makrauli Khurd and Makrauli Kalan of Tehsil and District Rohtak?

Irrrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the revenue estate of village Makrauli Khurd and Makrauli Kalan of Tehsil and District Rohtak are indicated in the enclosed statement-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Distly.	R.D. of O/let	C.CA	1963 -63	1964 -65	1965 -66	1966 -67	1967 -68	1968 -69	1969-70 upto Jan. 1970
	Village Makrauli Khurd									
1.	Bohar	3500-L	297	183	140	210	193	176	207	201
	Makrauli Minor	23500-L	446	234	226	297	290	232	221	281

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 54*

	Ditto	26200-TR	323	93	138	147	124	202	51	95
	Village Makrauli Kalan									
2.	Makrauli	13500-R	720	270	336	460	485	370	463	433
	Do	13500-L	875	508	385	379	528	478	546	740
	Do	22300-R	1,030	270	332	494	469	385	395	462
	Do	23500-L	318	217	195	247	218	203	182	184

Note — Figures of irrigation for the year 1969-70 (upto January, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will completed by the end of March, 1970.

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Area irrigated in Ladhaut Bhayanpur Village

323. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distributaries in the revenue estate of village Ladhaut Bhayanpur of Tehsil and District Rohtak?

Irrrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the revenue estate of village Ladhaut Bhayanpur of Tehsil and District Rohtak are indicated in the enclosed statement-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Distly.	R.D. of O/let	C.CA	1963 -63	1964 -65	1965 -66	1966 -67	1967 -68	1968 -69	1969-70 upto Jan. 1970
1.	Bhalaut Sub-Branch	114100-R	418	...	...	...	...	...	...	215
2.	Kahni Disty.	75678-TC	638	137	295	345	352	347	375	169
3.	Bohar Disty.	3500-R	606	522	438	458	560	420	539	536

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 54-55*

4.	Bhalaut Disty.	1500-R	57	21	1	2	2	...	8	4
5.	B.S.B.	122629-R	129	94	76	80	67	71	60	64
6.	Bohar Minor	3500-R	135	...	104	116	127	116	142	169
	Ditto	4335-R	1,336	756	555	795	979	713	1,004	710

Note — Figures of irrigation for the year 1969-70 (upto January, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will completed by the end of March, 1970.

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Area irrigated in Kanheli Village

324. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distributaries in the revenue estate of village Kanheli of Tehsil and District Rohtak?

Irrrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the revenue estate of village Kanheli of Tehsil and District Rohtak are indicated in the enclosed statement-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Distly.	R.D. of O/let	C.CA	1963 -63	1964 -65	1965 -66	1966 -67	1967 -68	1968 -69	1969-70 upto Jan. 1970
1.	Bohar Mr.	24082-L	101	...	202	202	202	202	202	202
2.	J.S. Branch	345-R	496	96	141	278	211	157	144	173
	Ditto	3000-R	555	140	234	310	327	180	318	322
	Ditto	1246-L	92	29	34	47	35	19	28	78

Note — Figures of irrigation for the year 1969-70 (upto January, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will completed by the end of March, 1970.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 55*

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Area irrigated in Pahrawar Village

325. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distributaries in the revenue estate of village Pahrawar of Tehsil and District Rohtak?

Irrrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the revenue estate of village Pahrawar of Tehsil and District Rohtak are indicated in the enclosed statement-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Distly.	R.D. of O/let	C.CA	1963 -63	1964 -65	1965 -66	1966 -67	1967 -68	1968 -69	1969-70 upto Jan. 1970
1.	Dulehra	500-L	747	656	579	672	690	662	680	831
	Ditto	8520-R	602	...	...	...	536	518	605	306
2.	Kheri Sadh	31212-R	283	143	113	170	127	192	176	154

Note — Figures of irrigation for the year 1969-70 (upto January, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will completed by the end of March, 1970.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 56*

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Areas irrigated in Maina and Simli Villages

326. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distributaries in the revenue estate of village Maina, Simli of Tehsil and District Rohtak?

Irrrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the revenue estate of village Maina and Simli of Tehsil and District Rohtak are indicated in the enclosed statement-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Distly.	R.D. of O/let	C.CA	1963 -63	1964 -65	1965 -66	1966 -67	1967 -68	1968 -69	1969-70 upto Jan. 1970
	Maina 1									
1.	Jhajjar Sub. Br.	5418-L	362	168	203	238	275	257	433	291
	Ditto	1246-L	670	340	386	478	470	403	573	388

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 56-57*

Ditto	3040-R	30	22	13	15	16	7	7	7
Ditto	9450-R	35	19	25	22	22	23	15	23
Ditto	9700-L	291	172	192	196	217	191	238	266
Ditto	16865-L	136	112	157	163	118	120	99	132
Ditto	18080-L	446	234	280	280	267	301	232	297
Simli 2									
Ditto	1246-L	227	148	194	164	153	115	182	90
Ditto	18080-L	267	127	148	157	156	142	175	169
Ditto	31700-L	355	121	152	153	166	162	220	199

Note — Figures of irrigation for the year 1969-70 (upto January, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will completed by the end of March, 1970.

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Areas irrigated in Karauntha Village

327. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distributaries in the revenue estate of village Karauntha of Tehsil and District Rohtak?

Irrrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the revenue estate of village Karauntha of Tehsil and District Rohtak are indicated in the enclosed statement-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Distly.	R.D. of O/let	C.CA	1963 -63	1964 -65	1965 -66	1966 -67	1967 -68	1968 -69	1969-70 upto Jan. 1970
1.	Ismaaila Disty.	38500-R	389	251	240	174	129	174	169	82
	J.S.B.	31700-L	1143	589	776	776	650	731	702	728
	Do	36800-L	140	121	152	148	139	156	131	156
	Barahana Mr.	3200-L	83	86	120	114	144	186	122	130

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 57-58*

Ditto (Karaur)	10000-L	948	450	632	637	651	689	606	633
Ismaila	39165-R	315	190	170	213	157	174	268	169
Do	45007-R	368	310	284	282	231	220	197	84
Kheri Sadh Mr.	34005-TL	88	43	48	44	36	93	96	...
Dulhera Disty.	14900-R	280	...	...	...	242	160	318	249
Ditto	16750-L	39	...	...	...	29	50	...	44

Note — Figures of irrigation for the year 1969-70 (upto January, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will completed by the end of March, 1970.

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Areas irrigated in Bohar and Garhi Bohar Villages

328. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distributaries in the revenue estate of village Bohar and Garhi Bohar of Tehsil and District Rohtak?

Irrrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the revenue estate of village Bohar and Garhi Bohar of Tehsil and District Rohtak are indicated in the enclosed statement-

Sr. No.	Name of Distly.	R.D. of O/let	C.CA	1963 -63	1964 -65	1965 -66	1966 -67	1967 -68	1968 -69	1969-70 upto Jan. 1970
1.	Bohar Disty.	4735-R	1316	717	561	1078	1122	1011	1204	1184
	Ditto	15704-R	316	156	176	350	315	302	374	314
	Ditto	18200-L	966	505	496	862	849	719	549	635
	Ditto	21200-R	338	203	194	289	314	242	536	389
	Ditto	21418-L	473	313	267	398	421	358	615	556

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 58*

Note — Figures of irrigation for the year 1969-70 (upto January, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will completed by the end of March, 1970.

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Areas irrigated in Nunand and Kheri Sadh Villages

329. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distributaries in the revenue estate of village Nunand and Kheri Sadh of Tehsil and District Rohtak?

Irrrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the revenue estate of village Nunand and Kheri Sadh of Tehsil and District Rohtak are indicated in the enclosed statement-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Distly.	R.D. of O/let	C.CA	1963 -63	1964 -65	1965 -66	1966 -67	1967 -68	1968 -69	1969-70 upto Jan. 1970
1.	Bhalaut	21120-R	456	264	303	327	290	160	428	273
	Ditto	26916-R	529	254	305	328	312	199	384	309
	Ditto	29416-R	149	97	110	130	101	93	123	114
	Ditto	30780-R	300	198	197	206	187	214	267	217

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 59*

Ditto	30130-L	169	125	124	162	135	108	147	140
Ditto	33315-R	8	...	...	1	...	...	...	...
Kheri Sadh	Mr. 6695-L	818	525	445	815	758	777	820	935
Ditto	11970-L	526	213	206	407	412	409	437	425
Ditto	17396-L	673	259	305	356	191	257	448	380
Ditto	21268-R	273	...	112	212	231	234	273	341
Ditto	21624-R	136	158	98	177	179	158	162	183
Ditto	24289-L	569	268	186	267	292	241	257	196
Ditto	27000-L	441	386	311	420	127	229	178	106
Ditto	25900-R	217	124	107	162	143	142	197	298

Note — Figures of irrigation for the year 1969-70 (upto January, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will completed by the end of March, 1970.

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Areas irrigated in Kaloi Khas and Kaloi Dopana Villages

330. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distributaries in the revenue estate of village Kaloi Khas and Kaloi Dopana of Tehsil and District Rohtak?

Irrrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the revenue estate of village Kaloi Khas and Kaloi Dopana of Tehsil and District Rohtak are indicated in the enclosed statement-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Distly.	R.D. of O/let	C.CA	1963 -63	1964 -65	1965 -66	1966 -67	1967 -68	1968 -69	1969-70 upto Jan. 1970
1.	Bhalaut Sub. Br.	111200-I	33	...	...	...	...	...	...	3
	Ditto	120100-L	1508	742	779	956	781	684	858	724

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970,Vol. I, No. 6, Page (6) 60-61*

	Ditto	122679-R	114	59	54	66	58	41	53	122
2.	Bhalaut Disty.	308-R	251	185	89	154	133	108	178	185
	Ditto	1500-R	55	20	10	12	18	19	22	14
3.	Asan Mr.	7350-L	232	128	81	128	133	73	105	162
4.	Rithal	64375-TC	52	...	...	...	...	...	...	24
	Ditto	66066-L	52	25	27	40	32	5	7	...
	Ditto	75043-TC	33	...	...	...	...	...	...	...
5.	Kaloi Mr.	9290-R	765	358	388	311	381	210	289	249
	Ditto	17055-TR	235	84	56	78	55	63	93	88
6.	Bhalaut Sub. Br.	111290-L	1650	...	...	...	...	...	240	793
	Ditto	114100-R	39	...	...	...	...	...	...	...
7.	Rithal Disty.	66066-L	114	46	33	95	58	63	...	...
	Ditto	64375-TC	114	...	...	...	...	...	18	83
	Ditto	69418-L	922	278	277	359	373	215	50	...
	Ditto	75043-TC	732	351	208	58	391	238	178	...
8.	Kaloi Mr.	9300-R	521	225	248	255	277	173	209	171
	Ditto	9300-L	540	135	137	181	244	1301	162	142
	Ditto	17055-TR	197	124	124	124	118	88	150	97
	Ditto	17055-TL	89	47	49	60	68	69	65	41
9.	Rurkee Mr.	6431-R	98	...	11	37	50	29	76	31
	Ditto	11385-R	79	72	59	75	32	13	19	47

Note — Figures of irrigation for the year 1969-70 (upto January, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will completed by the end of March, 1970.

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Areas irrigated in Rurkee Village

331. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the respective outlets of Bhalaut Branch or its distributaries in the revenue estate of village Rurkee of Tehsil and District Rohtak?

Irrrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : Year-wise areas irrigated during the period from 1963-64 to 1969-70 by the outlets of Bhalaut Branch and its Distributaries in the revenue estate of village Rurkee of Tehsil and District Rohtak are indicated in the enclosed statement-

STATEMENT

Sr. No.	Name of Distly.	R.D. of O/let	C.CA	1963 -63	1964 -65	1965 -66	1966 -67	1967 -68	1968 -69	1969-70 upto Jan. 1970
1.	Rurkee Mr.	11385-R	343	118	134	162	190	160	225	116
	Ditto	15014-L	491	350	300	290	353	262	312	174
	Ditto	18050-TL	492	258	233	247	207	127	206	149
	Ditto	18050-R	544	268	241	258	227	169	276	133
2.	Kaloi Mr.	17055-TL	596	225	201	186	321	176	327	195

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 61-62*

3.	Asan Minor	8812-L	181	171	160	183	183	140	125	118
	Ditto	14073-L	457	314	266	311	227	186	271	201
	Ditto	15625-R	8	...	...	...	...	3	4	3
	Ditto	19160-L	261	179	141	181	242	187	163	113
	Ditto	19225-R	84	64	51	63	52	52	52	49

Note — Figures of irrigation for the year 1969-70 (upto January, 1970) are tentative because final check measurement of Rabi crop will completed by the end of March, 1970.

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Tractor Service Stations

337. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state-

(a) whether any service stations have been organised by Haryana Agro-Industries Corporation for the benefit of Agriculturists who have obtained tractors through the Corporation;

(b) whether the Haryana Agro-Industries Corporation proposes to start any new service stations for the aforesaid purpose; if so, the names of stations where such service stations are proposed to be opened;

(c) whether any service stations has been opened in Rohtak District;

(d) if the reply to part (c) above be in the negative whether the Government proposes to open any service station at Rohtak now, if not the reasons therefor?

Agriculture and Labour Minister (Chaudhri Ran Singh): (a) Yes, Three service stations have been set up by the Corporation at Nilokheri, Panipat and Hisar.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 62*

(b) Yes. The scheme for full coverage of the State is under preparation. The Corporation proposes to set up base workshops so as to cover all the District Headquarters with operational centres at other places in the districts.

(c) No.

(d) Yes. The Corporation proposes to open service station at Rohtak in the near future.

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Import of Discs of Tractors

338. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state-

(a) the number of discs, if any, imported by the Haryana Agro-Industries Corporation through the State Trading Corporation of India since May, 1968;

(b) the names of persons to whom the discs been distributed; and

(c) whether it is a fact that the entire lot has been taken possession of by any one firm and the same has been sold at open market rates?

Agriculture and Labour Minister (Chaudhri Ran Singh): (a) Agro-Industries Corporation have been allotted a total of 20,250 discs out of the imported discs by the State Trading Corporation. Out of these 15,000 discs are to be distributed among the fabricators out of which 1000 would be reserved for replacement of discs of genuine farmers possessing tractors.

(b) These discs have not yet been distributed.

(c) No.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers, *20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 62-63*

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 20th Feb, 1970*

Manufacture of Discs Harrows and Disc Ploughs

339. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state the number of discs imported since May, 1968 through the State Trading Corporation of India by Haryana Agro-Industries Corporation for manufacture of disc harrows and disc ploughs for distribution amongst the tractor-owners?

Agriculture and Labour Minister (Chaudhry Ran Singh) : Agro-Industries Corporation have been allowed by the State Trading Corporation 15,000 discs for distribution among the approved fabricators in the State. In addition to this, the Agro-Industries Corporation have been given 5,250 discs for the manufacture of implements under their own programme. The Agro-Industries Corporation have decided that out of 15,000 discs 1000 discs would be reserved for replacement of discs of genuine farmers having tractors.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answwers*, 20 Feb. 1970, Vol. I, No. 6, Page (6) 63*

HARYANA VIDHAN SABHA

Monday, 23th Feb, 1970*

Construction of Karauntha Approach Road

***677. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state —

(a) whether Karauntha approach road from Jhajjar-Rohtak road lies in the Rohtak Marketing Committee area;

(b) the funds, if any, earmarked by the Marketing Committee for the construction of roads together with the date of the deposits with P.W.D. of any such fund for the road;

(c) whether the administrative sanction for the construction of the said road has been issued; and

(d) the date on which the work is likely to be taken up and the period within which it is likely to be completed?

Agriculture and Labour Minister : (Chaudhry Ran Singh) : (a) Yes.

(b) Approach road from Rohtak-Jhajjar road to village Karauntha is already metalled. As such the question of depositing funds for this work does not arise.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Written Answers to Starred Questions Laid on the Table Under Rule 45*, 23 Feb. 1970, Vol. I, No. 7, Page (7) 56*

(c) Doest not arise.

(d) Does not arise.

HARYANA VIDHAN SABHA

Monday, 23th Feb, 1970*

Written Answer to Starred Question Laid on the Table Under Rule 45

Construction of Simli Approach Road

***677. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state —

(a) whether simili approach road from Jhajjar-Rohtak road lies in the Rohtak Marketing Committee area;

(b) the funds, if any, available with the Marketing Committee for construction of roads;

(c) the funds, if any earmarked by the Marketing Committee for the construction of this road together with the date and amount, if any, deposited with the P.W.D. for the construction of said road;

(d) whether the administrative sanction for the construction of the said road has been issued; and

(e) the date on which the work is likely to be taken up together

---

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Written Answers to Starred Questions Laid on the Table Under Rule 45*, 23 Feb. 1970, Vol. I, No. 7, Page (7) 62*

with the period within which it is likely to be completed?

Agriculture and Labour Minister : (Chaudhry Ran Singh) : (a) Yes.

(b) This road has not been approved under the Market Committee roads scheme and has been approved under the village roads contributory scheme under the IV Five Year Plan.

(c) No funds have been earmeked by the Market Committee. However, the villages have contributed that full share in shape of land and cash.

(d) Yes.

(e) The work was started in March, 1969 and it is likely to be completed during 1970-71.

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 23 फरवरी, 1970 ई.*

नियम 45 के तहत पटल पर रखे गए तारांकित प्रश्न

चौधरी रणबीर सिंह : क्या वित्त मन्त्री महोदया यह बतायेंगी कि केन्द्रीय सरकार और प्रदेश सरकार के बजटों में हर साल कैलेमिटी के लिए जो पैसा रखा जाता है उसके ऊपर लैंड मैनुअल की जो धारा इन्होंने बताई वह लागू होती है या उसके बगैर उस पैसे में से इमदाद दी जा सकती है?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : स्पीकर साहब, बजट की चीज और है। बजट में तो जितना पैसा रखा गया था उससे हमारा टारगैट एक्सीड हो गया था। ये तो केवल रुल्ज हैं और इनसे इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : क्या वित्त मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि हिन्दुस्तान की सरकार कलेमिटीज के लिए, चाहे फ्लड है या चाहे फैमिन है, किस असूल पर प्रदेश सरकारों को सहायता देती है?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : वह चीज़ फाईनैन्स कमीशन अपनी रिपोर्ट में दिया करती है। हिन्दोस्तान की सरकार हर पांच साल के बाद फाईनैन्स कमीशन को बनाती है। इस साल तो जल्दी भी बना दी थी। यह स्टेट गवर्नमेंट्स के पिछले पांच साल के खर्चे की एवरेज निकागलती है। इस हिसाब से जो उन्होंने हरियाणा का खर्च निकाला था, वह मेरे अन्दाजे से 78 लाख बनता है। 1968-69 में हमने 101 लाख

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions Laid on the Table Under Rule 45, *23 Feb. 1970, Vol. I, No. 7, Page (7) 8-23*

रुपया खर्च किया था। इसलिए हमें कोई 22-23 लाख रुपया मिलना था, जिसमें 50 परसैन्ट सबसिडी होनी थी और 50 परसैन्ट लोन होना था। लेकिन, उन्होंने हरियाणा को कुछ नहीं दिया क्योंकि उनके हिसाब से यहां की वेज एंड मीनज पोजीशन अच्छी है। अबकी बार फाईनैन्स कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में, जो कि अगले पांच सालों तक रहनी है, हमारी लिमिट 150 लाख के ऊपर रखी है। इसलिए में समझती हूँ कि फिलहाल इस मामले में कोई इमदाद हमें नहीं मिल सकेगी।

चौधरी रणबीर सिंह : क्या वित्त मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि हिन्दुस्तान की सरकार अपनी हिदायतों के मुताबिक ऐसे इलाकों के लिए जहां 80 लाख या एक करोड़ से कुछ ज्यादा का नुकसान हुआ हो प्रदेश सरकार को कितनी सहायता देती है?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : मैंने अभी बताया है कि 1968-69 में हमारा खर्चा 101 लाख रुपए हुआ था जब कि 78 लाख की हमारी सीलिंग थी। तकरीबन 22-23 लाख रुपया हमारा बनता था, 14-15 लाख की सबसिडी बनती थी और 14-15 लाख का लोन बनता था। मगर हमें उन्होंने कुछ नहीं दिया क्योंकि यह इमदाद स्टेट की वेज एण्ड मीनज की पोजीशन के ऊपर निर्भर करती है। हमारी वेज एंड मीनज की पोजीशन को देखने के लिए प्लानिंग कमीशन की एक कमेटी यहां आई थी। उसने एरियाज को विजिट करके हमें कोई इमदाद रिकमैन्ड नहीं की।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, वित्त मंत्री महोदया जिस बात का जिक्र कर रही हैं वह प्लान का सवाल है, चाहे वह पांच साला प्लान हो या एक साला प्लान हो। मेरा सवाल तो असूल का है न कि क्वांटम का है। मैंने पूछा है कि एक करोड़ से ज्यादा की अगर कोई तकलीफ प्रदेश में आये और उसके लिए अगर प्रदेश की सरकार हिन्दुस्तान की सरकार से इमदाद मांगे तो हिन्दुस्तान की सरकार कितनी इमदाद देती है? कितनी से मेरा मतलब परसैन्टेज से है।

श्रीमती ओम प्रभा जैन : स्पीकर साहब, फै मिन बगैरा प्लान में नहीं आते। यह रेवेन्यू एक्सपैंडिचल है जो नौन-प्लान साईड में आता है और नौन-प्लान साईड के लिए जो भी ग्रांट-इन-एड मिगलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उसे फाईनेन्स कमीशन मुकर्रर करती है। 1968-69 के लिए हमारी सीलिंग 78 लाख की थी। हमने उससे ओवर एंड अबव खर्च किया। लेकिन, उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। अबकी बार कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में, जो जुलाई में उसने दी है, हमारी सीलिंग बढ़ाकर 155

लाख की कर दी है। अगर इससे ज्यादा खर्च होगा तो हो सकता है कि मदद मिले। मगर, मदद वेज एंड मीनज की पोजीशन को देखते हुए ही मिलेगी। (विघ्न)

चौधरी रणबीर सिंह : क्या वित्त मन्त्री महोदया को मालूम है कि इकट्ठे पंजाब में, जिसकी पोजीशन हरियाणा से ज्यादा अच्छी थी, जो 10 करोड़ रुपया इमदाद और 14 करोड़ रुपया कर्जे की शकल में आठ साल के अन्दर दिया गया था वह किस नियम के तहत दिया गया था?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : मेरे ख्याल से तो नहीं दिया गया था। अगर दिया गया होगा तो देखकर बता दूंगी।

चौधरी रणबीर सिंह : सरदार प्रताप सिंह कैरों, जो पंजाब के अन्दर आठ साल तक मुख्यमंत्री रहे, के समय में 24 करोड़ रुपया फ्लड और फैमिन के तहत इमदाद दी गई थी। इसमें से 10 करोड़ रुपया ग्रांट और 14 करोड़ रुपया तकाबी बगैरा लोनज के रुप में था। क्या हिन्दुस्तान की सरकार ने अब वह इमदाद देने का असूल छोड़ दिया है जिसके तहत यह इमदाद दी गई थी?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : स्पीकर साहब, मेरे ख्याल से इनको मिसअन्डरस्टैंडिंग है। इतना रुपया कभी नहीं मिला है।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं इस बात को चैलैन्ज करता हूँ।

श्रीमती ओम प्रभा जैन : अगर ऐसी बात है तो स्पीकर साहब ठीक तरह से मैं कल बता दूंगी।

Mr. Speaker : This will be looked into and the hon.Finance Minister will give a definite reply about this supplementary question tomorrow.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मेरी आपसे एक सबमिशन है, क्योंकि जो बात आप इन्हें कहेंगे वह मान ली जाएगी। आपने अभी थोड़ी देर पहले चौधरी रणबीर सिंह जी से कहा कि चौधरी साहब अगर आपको पता है तो आप ही बता दीजिए। मगर क्या ही अच्छ होता अगर आप चौधरी बंसीलाल जी से भी कहते कि पहले इन्हें राज भवन में ले जाओ और ओथ दिलाकर जो मर्जी कहलवाओ क्योंकि अगर इस तरह से मैम्बर यहां पर सूचना देने लग जायें तो कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। (हंसी)

क्या वित्त मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि हिन्दुस्तान की सरकार

कलेमिटीज के लिए, चाहे फ्लड है या चाहे फैमिन है, किस असूल पर प्रदेश सरकारों को सहायता देती है?

चौधरी रणबीर सिंह : क्या वित्त मन्त्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि फ्लड अफैकटिड एरिया में, जैसे कैथल का एरिया है, उसमें जो इमदाद देने का असूल था वही असूल रोहतक तहसील और दूसरे एरियाज के लिए रखा गया था? अगर उसी असूल को रखा है तो धामड़ वगैरह के गांव में, जिसमें पचास फीसदी एरिया खराब है, लेण्ड रेविन्यू क्यों माफ नहीं किया गया?

राव वीरेन्द्र सिंह : अगर चौधरी रणबीर सिंह जी आपको भी वही तकलीफ है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। हम अलग-अलग क्यों लड़ें?

Mr. Speaker : Order please. A very important question is being answered.

श्रीमती ओम प्रभा जैन : स्पीकर साहब, चौधरी रणबीर सिंह जी ने जिस धामड़ वगैरह गांवों के नाम लिए हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं। जहां तक कैथल तहसील का सवाल है, स्पीकर साहब, जिन्होंने वहां के हालात को नहीं देखा है वह इस बात को महसूस नहीं कर सकते। लेकिन, मैं उनकी सूचना के लिए अर्ज करुं कि कैथल तहसील के अन्दर फ्लड के टाईम पर मिल्टरी की बोटें चलीं और वहां पर दस-दस फुट के करीब पानी इकट्ठा हो गया था। छ : महीने तक वहां से पानी नहीं निकल सका, और लोग बड़े परेशानी में रहे। वे गांव मेरी अपनी कान्स्टीच्यून्सी के भी नहीं है। उसमें तो चार कान्स्टीच्यून्सीज आती है। उन गांवों में से जो बहुत बुरी तरह से अफैकिटिड थे, उनका ही लैण्ड रेविन्यू माफ किया गया है। करनाल जिले में दो लाख नो हजार रुपया माफ किया गया है।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदया ने कहा है कि धामड़ वगैरा गांवों का मामला जेरे गौर है। उन गांवों का 1968-69 का लैण्ड रेविन्यू वसूल हो गया है तो क्या वित्त मंत्री महोदया उसको वापिस दिलाने की कृपा करेंगी?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : क्या आप 1969 का मामला कह रहे है?

चौधरी रणबीर सिंह : बहिन जी, यह सवाल तो 1968-69 के बारे में है 1969-70 के बारे में नहीं है। स्पीकर साहब, मुझको अश्योरैन्स मिल गयी है और उम्मीद है कि आप भी मेरी मदद करेंगे। अगर वित्त मंत्री महोदया पल्ला छुड़ा कर

भागना चाहें तो दूसरी बात है।

Mr. Speaker : Not so easy from you.

श्रीमती शकुन्तला : स्पीकर साहब, आपके जरिए मैं वित्त मंत्री महोदया से यह पूछना चाहती हूँ कि मेरे हल्के साल्हावास तहसील झज्जर में हर साल 15 गांवों में बुरी तरह से पानी भर जाता है। परन्तु, उनके बारे में आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है और न ही उस एरिया के लिए कोई पैसा दिया गया है। यदि नहीं दिया गया है तो उसका क्या कारण है?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में जवाब देना तो मुश्किल है अगर नोटिस दें तो बतला दिया जायेगा।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, वित्त मन्त्री महोदया जवाब दें कि किसी ने इस बारे में लिख दिया है या नहीं दिया है?

मलिक मुख्तियार सिंह : स्पीकर साहब, मैं एक सबमिशन करना चाहता हूँ। अर्ज यह है कि जो क्वैश्चन ऑवर होता है वह सिर्फ क्वैंश्चनज़ और स्पलीमैंटरीज के लिए ही होता है। These long submission may not be allowed during the Question-hour. यहां तो क्रोस क्वैश्चन्ज और क्रोस एग्जामिनेशन के ऊपर ही एक घंटा खत्म हो गया। मेम्बर्ज में इसके बारे में रिजेंटमेंट है और वे चाहते हैं कि यह जो क्वैश्चन ऑवर है यह आगे के लिये सप्लीमेंटरीज के लिये ही इस्तेमाल किया जाये।

Mr. Speaker : In view of the enthusiasm and the other things I noticed amongst the Members, I do not think your statement is correct that there is resentment in the House. This may be to you and a few others but generally speaking I can see the House was interested and I am sure that replies to 90 per cent of the hon. Members questions have been given. I think personally that the Hour has been well spent. This is an important matter and the question-hour has been well spent.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, इसकी इम्पोरटेंस कम नहीं है, इसमें कोई शुबहा नहीं है। लेकिन, आपने देखा कि राव साहब के सवाल में ये लाजवाब हो गये और इसका बड़ा पूअर इम्प्रेशन हम लोगों पर पड़ा। इसलिये स्पीकर साहब आप उन्हें कहें कि वे वैल प्रिपेयर्ड होकर आया करें, ताकि मामला 15-20 मिनटों में निपट जाये।

Mr. Speaker : Chaudhri Mukhtiar Singh Jee, if I may point out to you as Leader of the Jan Sangh that the longest introduction normally given to a question is by Dr. Mangal Sein, then what would you say? (Laughter)

Shri Mangal Sein : No, Sir, no, never, never. स्पीकर साहब यह तो हमारे साथ बेइन्साफी है।

मलिक मुख्तियार सिंह : स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन तो जैनुअन थी। उसमें कोई भी मैम्बर हो, मेरा तो पर्टिकुलरली किसी भी मैम्बर की तरफ रेफरैन्स नहीं।

Mr. Speaker : Generally speaking, I agree with you, but not pertaining to this question.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, सवाल तो इसलिये पूछे जाते हैं कि मुफीद इन्फर्मेशन आ जाये, और तो इसका मतलब कोई रह नहीं जाता। मैंने तो अर्ज किया कि या तो नैकस्ट-डे के लिऐ यह क्वैश्चन को पोस्टपोन करिये या कोई और तरीका निकालिये। मैंने तो टाईम भी ज्यादा नहीं लिया, स्पीकर साहब।

Mr. Speaker : Chaudhri Sahib, the point is that this all depend on the Members. Upto the end there were four or five Members standing every time with a view to asking questions. Now tell me what should I do when all the time five or six Members were on their legs? (Interruption). So I am afraid, it is up to you the hon. Members. They have devoted all this time. If the Members did not want they could have kept quiet and we would have gone to the next question.

महन्त गंगा सागर : स्पीकर साहब, वित्त मंत्री महोदया ने बजट पेश करना है, इसलिये मैं एक सैकेंड के लिए उनका एक अश्योरेंस उनको याद दिलाना चाहता हूँ। कन्सोलिडेशन के बारे में उन्होंने कहा था कि अगर कोई ऐसा गांव है, जहां पर न कोई रेत का झगड़ा है, न कोई पहाड़ का झगड़ा है, न किसी रिट की वजह से यह रुका हुआ है। उस गांव का नाम हम बता दें तो ये वहां फौरी एक्शन लेंगे। गांव का नाम कन्हवा है और यह तहसील झज्जर के अन्दर है। कृपया ये इसे नोट कर लें।

श्री अध्यक्ष : उनको एक चिट्ठी भी लिख दीजिये।

महन्त गंगा सागर : बहुत अच्छा जी।

श्री दया कृष्ण : स्पीकर साहब, हमारी एक अर्ज है कि अपोजिशन वाले अपने आप ही बहुत सी सप्लीमेंटरीज पूछते हैं और फिर बाद में खुद एतराज करते हैं। इनका एक-एक सदस्य दस-दस सप्लीमेंट्रीज पूछता है। इसलिये मैं आपके द्वारा लीडर ऑफ दी अपोजिशन से दरखास्त करुंगा कि अपने मैंम्बरों को समझायें और कहें कि कोई भी सदस्य तीन से ज्यादा सप्लीमेंट्रीज न पूछे। मैं आपसे भी गुजारिश करुंगा कि आप भी क्वेश्चनज के परव्यू से मैम्बरों को बाहर जाने की इजाजत न दें तभी यह मसला हल हो सकता है वरना नहीं। अगर वे एक-एक घंटा एक-एक प्रश्न के लिये लगायेंगे तो और दूसरी क्वश्चन्ज का क्या हश्र होगा। यह सबके सोचने की बात है।

मलिक मुख्तियार सिंह : स्पीकर साहब, यह तो नेचुरल ही है कि सप्लीमेंट्रीज भी इधर से ही, क्योंकि इन गूंगों की तरफ (ट्रेजरी बेन्चीज की तरफ इशारा) से भी तो हमें ही बोलना पड़ता है।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, इस बारे में मैं एक सबमिशन करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह प्रिविलेज मंत्रीमण्डल का है कि जवाब दे और सदस्यगण का प्रिविलेज है कि सवाल पूछे लेकिन जवाब सही हों, यह प्रिविलेज हाऊस का है। अगर मंत्रिमंडल की तरफ से सवाल का जवाब सहीं नहीं आता है तो वह हाऊस के प्रिविलेज के साथ खिलवाड़ है। इसलिये इसमें हमको आपका संरक्षण मिलना चाहिये।

Mr. Speaker : I did not follow your last phrase. Will the hon. Member please clarify?

Chaudhry Ranbir Singh : I meant, we seek your protection.

श्री अध्यक्ष : प्रोटेक्शन जरुर मिलेगी आपको।

हरियाणा विधानसभा

मंगलवार, 24 फरवरी, 1970 ई.*

नियम 45 के तहत पटल पर रखे गए तारांकित प्रश्न

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पहले का जो सरकार का फैसला था कि जहां भी और जिस गाँव में भी 50 फीसदी से ज्यादा खराबा होगा, चाहे वह फ्लडज़ से हो, चाहे फेमिन से हो, वहां पर तमाम लैण्ड रेवेन्यु और आबियाना माफ किया जायेगा और जहां पर 25 से 50 फीसदी तक खराबा होगा वहा ंपर आधा माफ किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या संयुक्त पंजाब या हरियाणा कैबिनेट का फै सला था या नहीं ?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : इस प्रकार का फै सला नहीं है। लेकिन, अगर नुकसान ज्यादा हो और डी.सी. रिकमैंड करे कि स्पैशल इन्सट्रक्शन्ज लागू होनी चाहिये तो स्पैशल इन्सट्रकशन्ज के तहत माफ हो सकता है। आर्डिनरी रुल्ज के मुताबिक सिर्फ ससपेंशन मिगलती है।

चौधरी रणबीर सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदया बताने की कृपा करेंगी कि जिस मन्त्रीमण्डल में वे मन्त्री थीं और मैं भी उसका सदस्य था क्या उस मंत्रिमण्डल ने यह फै सला किया था ? अगर किया था तो क्या इस सरकार ने उस कैबिनेट के फै सले को बदल दिया है ?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे नोटिस चाहिए।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions Laid on the Table Under Rule 45, *24 Feb. 1970, Vol. I, No. 8, Page (8) 4*

HARYANA VIDHAN SABHA

Tuesday, 24th Feb, 1970*

Distribution of Tractors through the Haryana Agro-Industries Corporation

***682. Chaudhry Ranbir Singh :** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state the number of tractors of D.T. 14 H.P. which have been distributed through the Haryana Agro-Industries Corporation during the year 1969, together with the profit, if any, derived out of the said distribution of tractors?

Agriculture and Labour Minister (Chaudhry Ran Singh) : 250 D.T. 14 H.P. tractors have been distributed by Haryana Agro-Industries Corporation during the year 1969. The exact amount of profit which would accrue to the Corporation on the sale of these tractors has not been worked out as yet.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Written Answers to Starred Questions Laid on the Table Under Rule 45*, 24 Feb. 1970, Vol. I, No. 8, Page (8) 32*

HARYANA VIDHAN SABHA

Tuesday, 24th Feb, 1970*

Construction of Samar-Gopalpur Approach Road

***679. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state —

(a) whether Samar-Gopalpur approach road lies in the Rohtak Marketing Committee area;

(b) the funds, if any, earmarked for this;

(c) whether the administrative sanction for the construction of the said road has been issued; and

(d) the date on which the work is likely to be taken up together-with the period within which it is likely to be completed?

Agriculture and Labour Minister : (Chaudhry Ran Singh) : (a) Yes.

(b) Market Committee, Rohtak, have deposited Rs. 2,21,000/- for the construction of six roads and this road is one of these.

(c) No.

(d) Earth work has been started by the villagers from January,

---

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Written Answers to Starred Questions Laid on the Table Under Rule 45*, 24 Feb. 1970, Vol. I, No. 8, Page (8) 33*

1970 and is in progress. The work of metalling by P.W.D. wll be taken up after earth work is completed by villagers. The road is likely to be completed in 1970-71 provided full funds are made available by Market Committee and earthwork completed by the villagers only.

HARYANA VIDHAN SABHA

Tuesday, 24th Feb, 1970*

Decision announced by the Prime Minister regarding Chandigarh

***695. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the total number of villages together with their names which are to be given to Haryana in pursuance of the decision announced by the Prime Minister of India regarding inclusion of Chandigarh in Punjab?

Chief Minister : (Shri Bansi Lal) : The total number of villages together with their names which are to be given to Haryana in pursuance of the decision announced by the Prime Minister of India has not yet been published/announced by the Government of India.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Written Answers to Starred Questions Laid on the Table Under Rule 45*, 24 Feb. 1970, Vol. I, No. 8, Page (8) 35*

HARYANA VIDHAN SABHA

Tuesday, 24th Feb, 1970*

Construction of Basantpur-Dhamar Approach Road

***680. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state —

(a) whether the beneficaries have deposited their share for the construction of Basantpur-Dhamar approach road of the Rohtak District, if so, the date thereof;

(b) the funds, if any, earmarked for this road;

(c) whether the administrative sanction for the construction of the said road has been issued; and

(d) the date on which the work is likely to be taken up together with the period within which it is likely to be completed?

Agriculture and Labour Minister : (Chaudhry Ran Singh) : (a) Yes. Rs. 14,270 (in cash) during August, 1968. Rs. 9,000/- (in cash) on 5th February, 1970.

(b) Lump sum provision for new village roads at a cost of Rs. 20 lakhs has been made in the next year Plan

(c) Yes.

(d) The work is likely to be taken in hand in April, 1970 and completed

---

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Written Answers to Starred Questions Laid on the Table Under Rule 45*, 24 Feb. 1970, Vol. I, No. 8, Page (8) 35*

HARYANA VIDHAN SABHA

Tuesday, 24th Feb, 1970*

Construction of Kharwali Approach Road

***681. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state —

(a) whether the beneficaries have deposited with P.W.D. their share for the completion of the portion of Kharwali approach road upto the end of Sanghi-Jasia Approach Road of Tehsil and District Rohtak; if so, the date and amount thereof;

(b) the date on which the administrative approval for the construction of the said road was issued;

(c) the date on which the work was started together with the period within which it is likely to be completed; and

(d) the reasons for the delay if any, in completion of the work?

Agriculture and Labour Minister : (Chaudhry Ran Singh) : (a) Villagers have deposited Rs. 12,000 on 19th March, 1968 against a demand of Rs. 15,000.

(b) 23rd February, 1970.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Written Answers to Starred Questions Laid on the Table Under Rule 45*, 24 Feb. 1970, Vol. I, No. 8, Page (8) 39*

(c) Work has just been taken in hand and will be completed by June, 1970.

(d) Full share not deposited by villagers.

हरियाणा विधानसभा

बुधवार, 25 अगस्त, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, 28 तारीख को सरकार का जो जवाब आये, हो सकता है कि उसके बारे में आप भी सहमत हों कि जवाब तसल्लीबख्श नहीं है। ऐसे हालात में सदन के मैम्बरों को अधिकार है कि वे उस पर आधा घंटा या दो घंटे की डिसकशन मांग सकते हैं। 28 को सैशन खत्म हो जाएगा इसलिये हमें उस आधे घंटे को व दो घंटे की डिसकशन से डिप्राईव करने की कोशिश है। वरना, मुख्यमंत्री साहब हाऊस को आज भी जवाब दे सकते हैं। आप इस बात का आश्वासन दें कि आधा घंटा डिसकशन मांगने के लिये जो नोटिस देने के लिये समय की जरुरत होती है, वह कंडोन कर दी जाएगी, और आप यह एतराज नहीं उठायेंगे।

Mr. Speaker : I think we should not presume things. After all an assurance has been given and I expect from the Leader of the House that he will give you a very satisfactory answer. In case it is not there, then you can raise this question and we can on that very day consider of having half-an-hour discussion on it.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि मैंने आधे घंटे के लिये डिसकशन के लिये नोटिस टेबल कर दिया हुआ है। इसलिये, आपसे रिक्वैस्ट है कि उसको इन टाईम समझ लिया जाए।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *25th Aug. 1970, Vol. II, No. 9, Page (9) 2-3*

हरियाणा विधानसभा

बुधवार, 25 अगस्त, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक हरियाणा सरकार के तहत अफसरों की संख्या का ताल्लुक है वे केवल चन्द हज़ार ही हो सकते हैं और उनमें से मुअत्तिल होने वाले आदमी तो सैकड़ों ही हो सकते हैं, अर्थात् सो या पचास। पचास आदमियों का एक कागज पर नाम लिखा जा सकता है। इसमें कोई अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं थी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए दरख्वास्त करता हूँ कि यदि मुख्यमंत्री महोदय अपनी जिम्मेदारी की वजह से या किसी के नाम को छिपाने की वजह से यहां हाऊस में नहीं बताना चाहते हैं तो वे उनका नम्बर तो दे सकते हैं। अगर वे नम्बर भी नहीं देना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि सदस्यगणों के अधिकारों पर आघात है, जिसके लिये हम आपका संरक्षण चाहते हैं और आप हमें संरक्षण दीजिये।

चौधरी जय सिंह राठी : स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया कि इस सवाल का जवाब देने में बहुत टाईम और पैसा खर्च करना पड़ेगा, वह जवाब उचित नहीं है। स्पीकर साहब, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछता हूँ कि इनके कैलकूलेशन करने में जो खर्चा होगा वह उस खर्च से तो कम ही होगा जो उनके ससपैंड करने में और रीइन्स्टेट करने में होगा। (कोई उत्तर नहीं दिया गया)

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *25th Aug. 1970, Vol. II, No. 9, Page (9) 18*

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री महोदय ने अपनी जवान से तो यह नहीं कहा कि हरियाणा सरकार के अन्दर इस किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं आती कि विभागों में कितने आदमी मुअत्तिल हैं और कितने बहाल हो गये हैं। लेकिन, पहले तो यह प्रथा थी कि यह इन्फर्मेशन आया करती थी। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि यदि उन्होंने यह प्रथा बन्द कर दी है तो इसे जारी कर दें।..... (विघ्न)

Mr. Speaker : Did you ask a question or was it a suggestion?

हरियाणा विधानसभा

बुधवार, 25 अगस्त, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अपनी जबान से तो नहीं कहा कि यह प्रथा नहीं है। मेरे प्रश्न पूछने को यह कहते हैं कि यह तो भाषण है। अगर वे ऐसा कहते हैं तो शायद किसी को बोलने का मौका भी नहीं दिया जायेगा। आपने जब एक जनरल रिमार्क पास किया कि क्या आमतौर पर सरकारें ऐसा करती हैं तो मैंने कहा कि पहली सरकार ऐसा करती थी तो मुख्यमंत्री जी ने हाथ के इशारे से इन्कार किया। मैंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी ने प्रथा बन्द कर दी है तो क्या मुख्यमंत्री जी इस प्रथा को इस सूबे का पैसा बचाने की खातिर सरकारी मुलाजिमों के दिलों को काम में लगाये रखने की खातिर जारी रखने का आदेश देंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जनाब स्पीकर साहब, पहले एक प्रैक्टिस थी जिसके अनुसार इस बारे में सैक्रेटेरियेट में सब विभागों से पीरियाडिकल रिपोर्ट आती थी और वह कैबिनट मीटिंग में रखी जाती थी। पंजाब से यह कायदा चला आ रहा है हरियाणा जब पंजाब से अलाहिदा हुआ तो हो सकता है कि इस कायदे को उन्होंने बदल दिया हो या पंडित भगवत् दयाल ने पहले ही बदला हो लेकिन हमारे होते तो यह कायदा था..... (हंसी)..... जैसा कि चौधरी रणबीर सिंह ने पूछा है कि क्या यह पीरियाडिकल रिपोर्ट जो पहले आती थी अब नहीं आती अगर नहीं आती तो

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *25th Aug. 1970, Vol. II, No. 9, Page (9) 22-23*

क्या मुख्यमंत्री महोदय फिर से यह रिपोर्ट मंगवाने का आदेश देंगे ?

Mr. Speaker : Order, please. We are all confusing the issue.

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, इनको तो कुछ पता ही नहीं।

हरियाणा विधानसभा

बुधवार, 25 अगस्त, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

Rao Birender Singh : The Chief Minister should know it.

Mr. Speaker : He has given a definite reply that they did not have such information. Now, he will try whether such a system could prove good.

राव बीरेन्द्र सिंह : सर, इनको तो किसी चीज का पता ही नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने फरमाया था कि सदस्यों का सबसे बड़ा अधिकार है कि सरकार से जो सूचना ली जानी चाहिये वह लें और अगर सरकार उस सूचना को नहीं देती तो यह सदस्यों का अधिकार है कि वह सूचना लेने के लिये कोई तरीका निकालें। हो सकता है कि मुख्यमंत्री, जैसा कि उन्होंने कहा उनके पास इस समय इसका जवाब तैयार न हो। सदन की कई समितियां हैं जैसे प्रिवीलेज कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी, अश्योरेंस कमेटी, किसी भी कमेटी के जिम्मे यह काम लगा दिया जाए और वह कमेटी पता कर ले।

श्री बंसी लाल : मैं इसके लिये तैयार नहीं हूँ।

चौधरी रणबीर सिंह : वह कमेटी सैक्रेटेरियेट में से लेकर पता कर लेगी

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *25th Aug. 1970, Vol. II, No. 9, Page (9) 25*

कि कितने आदमी ऐसे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार यह सूचना अपने पास ही रखना चाहती है?

Mr. Speaker : He has given an answer.

Chaudhri Ranbir Singh : Then it is a question of privilege and should be referred to the Privileges Committee.

चौधरी जय सिंह राठी : स्पीकर साहब, मेरा कहना यह है कि स्पीकर को यह अधिकार है कि वह हाऊस की एक कमेटी बनाए जो कि सैक्रिटेरिएट जाकर यह सूचना कुलैक्ट करें .... (मुख्यमंत्री की ओर से विघ्न)। मेरा अर्ज है कि आप एक कमेटी बनायें और हम सारी इन्फरमेशन दो दिन के अन्दर ला कर दे देंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या इनका दिमाग है? चीफ मिनिस्टर साहब फर्मा रहे हैं कि सैक्रिटेरिएट में घुसने नहीं देंगे। क्या बनवारी लाल जैसे जो कि रोज़ पगड़ी बदलते हैं उन्हीं के लिये सैक्रिटेरिएट रह गया है? (विघ्न)

श्री बनारसी दास गुप्ता : जब एक डिफैक्टर चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो मिनिस्टरज़ के बारे में आप क्या कर सकते हैं? आपने हरियाणा में सबसे पहले डिफैक्ट किया और चीफ मिनिस्टर बन गये। (शोर)

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब का रवैया देख लें। यह धमकी दे रहे हैं कि सैक्रिटेरिएट में नहीं घुसने देंगे।

श्री अध्यक्ष : राव साहब आप धमकियों से कहां डरने वाले हैं। It was certainly not a 'Dhamki'. It was more in a light vein.

हरियाणा विधानसभा

बुधवार, 25 अगस्त, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : एक प्रश्न का जवाब मंत्री महोदय ने नहीं दिया और उस प्रश्न के जवाब को आसान करने के लिये, सरकार की सुविधा के लिये चेयर ने एक रास्ता बताया है और मंत्री महोदय जो खुद एक डिप्टी स्पीकर रहे हैं, वह अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे मामलों में क्या करना चाहिये। मैं समझता हूँ कि इसके लिये दूसरे प्रश्न का नोटिस भेजने की आवश्यकता नहीं है। सरकार चाहे तो 28 तारीख से पहले यह सूचना दे सकती है।

विकास मंत्री (श्री सरुप सिंह) : मेरे दोस्त ने कहा है कि एक सवाल को 2-3 हिस्सों में कि जाए। कायदे के मुताबिक मैं जानना चाहता हूँ कि इस पुस्तक में कौन सा रुल है, जिसके अंडर ऐसा किया जा सकता है?

चौधरी रणबीर सिंह : विकास मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा रुल है जो अध्यक्ष को ऐसा करने से रोकता है।

Mr. Speaker : Chaudhri Sarup Singh, I assure you - I do not want to say any stronger words-you will not be able to substantiate what you said. After considering everything, I may assure you and you can discuss it with me in my Chamber, I can give a certain direction in the interest of the House. And here mine was only a suggestion, not even

---

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *25th Aug. 1970, Vol. II, No. 9, Page (9) 27-29*

direction. I suggest, this is a very minor point and if we can sort out something in the interest of the House why do it. To me if you ask whether this question is answered or not, it is not all that is material. After all there are hundred and one questions that lapse. It was after hearing the sentiments of the members that I gave a suggestion. As I said, if this question is split up for the convenience of the Government, the answer could come in two or three parts. After hearing the views of the members, as Speaker of this House, I said the matter could be solved in this manner which was in the best interest of the State and of the house.

Chaudhri Sarup Singh : It can be a suggestion. But, there is no such rule. That was may submission.

Mr. Speaker : Here there is no question of any rule .....

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो चौधरी सरुप सिंह जी को कहता हूँ कि वह बड़े ज्ञानी हैं, वह ही बता दें, वे कौन से रुल्ज हैं, जिसके तहत अध्यक्ष महोदय किसी प्रश्न को दो भागों में नहीं बांट सकते ?

Mr. Speaker : He will look into it.....

Chaudhri Sarup Singh : All the Rules about questions.

Mr. Speaker : Let us not go into it. This is too minor a matter. (Interruption)

Shri Mangal Sein : He has challenged you.

Mr. Speaker : He has not challenged me.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये मेरा सवाल नहीं है, यह कुर्सी की इज्जत का सवाल है। आपकी चेयर का सवाल है। अध्यक्ष महोदय के बारे में किसी सदस्य को बगैर किसी रुल्ज के कही हुई बात को रोकने का इस सदन में कोई अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह तो आपका अधिकार है, आप ही हर बात को कह सकते हैं कि यह बात रुल्ज के खिलाफ है या नहीं ?

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, अब इस मामले को सुलझाना है। आप चाहते हैं कि यह बात न बिगड़े, आपने पहली बात कही है कि यह मेरा सुझाव है..... (शोर).....

Mr. Speaker : Truth is that Chaudhri Sarup Singh should not have challenged the thing, once I had made my observations. As I said, it was a minor matter and after hearing the views of so many members I suggested that it could be tackled in that manner and the Leader of the House had agreed.

Shri Bansi Lal : On this point, I would also like to make a submission. Normally when a question is split into two parts, a separate notice is required. Even the Chair was not kind enough to clarify that a separate notice will be sent. Then Chaudhri Ranbir Singh raised some point which was challenged by chaudhri Sarup Singh. So, legally that is a matter which requires to be examined by the Chair. But, in my view, the right course would have been that a separate notice is given for seeking that information..

Mr. Speaker : They are prepared to do so.....

Shri Bansi Lal : If the Chair says that can be done otherwise also. But, I think, that is the right of the Government to ask for a separate notice. (*Interruptions*)

Mr. Speaker : Again we are making a mountain of a small mole.

श्री बंसी लाल : चौधरी साहब, उनकी स्टेटमेंट को चैलेंज कर रहे हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : मैंने किसी को चैलेंज नहीं किया, मैंने आपको निवेदन किया था।

I never challenged his statement. But, when he challenged your authority, I challenged his authority.

Mr. Speaker : Hon. Members, it does not behove this August House. It is too small a matter.

Chaudhri Sarup Singh : I never challenged the authority of the Speaker. But, I challenged the authority of the member.

Chaudhri Ranbir Singh : I do not command any authority nor do I presume any authority. He has become a new Minister. He thinks that he has every authority. But, he has no authority in the house.

Mr. Speaker : We will have no further comments on this matter. I think, we have had enough.

Shri Mangal Sein : The House wants to know what has happened to the question?

Shrimati Chandravati : Shall I get answer to my question?

Mr. Speaker : You will get the answer to your question only in relation to the gazetted officers.

हरियाणा विधानसभा

वीरवार, 26 अगस्त, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि अखबारों को विज्ञापन देने के लिये क्या सरकार का कोई नियम, उप-नियम या असूल है कि नहीं ?

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, कोई भी एडवर्टाइजमैण्ट देने से पहले उस अखबार की लैंग्वेज, अखबार की पॉलिसी और अखबार की सर्कूलेशन को ध्यान में रखा जाता है।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *26th Aug. 1970, Vol. II, No. 2, Page (2) 11*

हरियाणा विधानसभा

वीरवार, 26 अगस्त, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि जो अखबार हरियाणा में छपते हैं उनको विज्ञापन के लिये जो पैसा दिया जाता है, वह कुल रुपए का 20 फीसदी से ज्यादा है या कम है ?

Shri Bansi Lal : I had said "as far as possible", and we are trying to stick to that.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इश्तिहार देने से पहले हर अखबार से यह नहीं पूछा जाता कि उसकी सरकूलेशन हरियाणा में कितनी है ? अगर नहीं पूछा जाता तो क्या सरकार आगे पूछने की कृपा करेगी ताकि ऐसे प्रश्न का कोई तो बेसिज हो ?

श्री बंसी लाल : इस पर सरकार विचार कर रही है।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *26th Aug. 1970,Vol. II, No. 2, Page (2) 16*

हरियाणा विधानसभा

वीरवार, 26 अगस्त, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब इससे पहले कि आप रुलिंग दें, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ और यह इसलिए जरुरी है जैसा कि मैंने पहले भी प्रश्न किया था कि हरियाणा में छपने वाले अखबार को 20 प्रतिशत से भी कम इश्तहार मिलते हैं। अध्यक्ष महोदय, इश्तहार तो दूर रहे वित्त मंत्री की बजट स्पीच ओर राज्यपाल महोदय की स्पीच की कॉपी और बजट के कागजात भी इन वीकली और साप्ताहिक समाचार पत्रों को नहीं दी जाती हैं। इश्तहारों की बात तो छोड़िये।

इसलिए आधे घंटे की बहस बहुत जरुरी है क्योंकि जो हरियाणा के अखबार हैं, उनको हमें तथा हमारी सरकार को अपनाना चाहिए।

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, डिमांड्ज आ रही हैं, उन पर यह कह सकते हैं।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *26th Aug. 1970, Vol. II, No. 2,Page (2) 22*

हरियाणा विधानसभा

शुक्रवार, 27 अगस्त, 1970 ई.*

अनुपूरक प्रश्न संख्या 806

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूँ। जिन पटवारियों को सरकार ने अधिकार नहीं दिया है। मगर, उन्होंने नाजायज तौर पर किसानों से पैसा वसूल किया है उनसे, इन्कवायरी करके अपनी तसल्ली करने के बाद, अगर बात सही निकले तो क्या लिया गया पैसा वसूल करने की कोशिश करेगी और गरीब और अनभिज्ञ किसान को दुबारा रकम अदा करने से मुक्त करेगी ?

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, इसमें कानूनी राय लेंगे और जैसा कानून इजाजत देगा, वैसा किया जाएगा।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि कल माल मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ने मान लिया था कि कानूनी तौर पर पटवारियों को लैण्ड रैवेन्यू एक्ट के तहत कोई मालिया आदि की रकम वसूल करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता था और मेरे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि जो कुछ बेकायदगी हुई है, उसको कायदे की शक्ल देने की सरकार कोशिश करेगी। प्रश्न तो सिर्फ इतना है कि वह बेकायदगी सरकार के महकमे से हो गई या किसान की लाइल्मी से हो गई, उसमें किसान की मदद करने की सरकार कोशिश करेगी या नहीं ?

Shri Bansi Lal : Nothing to reply.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Supplementaries to Starred Question No. 806, *27th Aug. 1970, Vol. II, No. 3,Page (3) 7*

हरियाणा विधानसभा

शुक्रवार, 27 अगस्त, 1970 ई.*

अनुपूरक प्रश्न संख्या 806

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय को जो चिट्ठियां लिखी गयी हैं, उनके बारे में, मुख्यमंत्री जी बताना लोगों के हित की बात नहीं मानते हों तो मैं क्या उनसे यह पूछ सकता हूँ कि सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन से एक्सपर्ट बुलाने के खर्च के सिलसिले में या उनके सैक्रेटरी की अप्वायंटमैन्ट के सिलसिले में कोई लिखा-पढ़ी की है कि या नहीं ?

Shri Bansi Lal : This supplementary does not arise out of this question. A separate notice may be given.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Supplementaries to Starred Question No. 806, *27th Aug. 1970, Vol. II, No. 3,Page (3) 12*

हरियाणा विधानसभा

शुक्रवार, 27 अगस्त, 1970 ई.*

अनुपूरक प्रश्न संख्या 806

चौधरी रणबीर सिंह : मन्त्री महोदय को यह तो मालूम ही है कि चण्डीगढ़ में किराया ज्यादा है। अगर, उन कर्मचारियों को अम्बाला तबदील कर दिया जाता तो तबदील करने से क्या खर्चा ज्यादा होता या कम होता?

श्री हरपाल सिंह : जो स्टॉफ हमारे पास आया, वह चण्डीगढ़ सैल में ही था। जब यह डिसीजन लिया गया तो यह सारी बातें कंसीडर की गई थी। इसके बाद सारे बुकसेलर्ज को लिख दिया गया था कि चण्डीगढ़ में हमारा डिपो है। बुकसेलर्ज की ओर से कोई शिकायत नहीं आई। इसलिए तबदील करने का प्रश्न नहीं था।

चौधरी रणबीर सिंह : क्या मैं जान सकता हूँ कि जिस समय यह फैसला किया गया था, क्या उस समय चण्डीगढ़ पर हमारा दावा था? सरकार की उस समय यह नीति थी कि कोई दफ्तर चण्डीगढ़ से बाहर न भेजा जाए, जिससे कहीं यह इम्प्रेशन न हो कि हम चण्डीगढ़ छोड़ रहे हैं। अब जबकि भारत सरकार ने चण्डीगढ़ का फैसला कर दिया है तो क्या सरकार अपने पहले फैसले में कोई तबदीली करने के लिए तैयार है?

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, यह सप्लीमेन्टरी इस सवाल से अराईज

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Supplementaries to Starred Question No. 806, *27th Aug. 1970,Vol. II, No. 3, Page (3) 18*

नहीं होता। यह एक पॉलिसी मैटर है कि चण्डीगढ़ से कोई ऑफिस बाहर जाए या न जाए।

चौधरी लाल सिंह : यह सारा झगड़ा ही निपट जाए अगर डिपो को ही नारायणगढ़ में खोल दिया जाए। (विघ्न)

हरियाणा विधानसभा

शनिवार, 28 अगस्त, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : क्या शिक्षा मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रिव्यु करने के बाद जब वह हाई पावर्ड कमेटी के पास कागजात जाते हैं और अगर हाई पावर्ड कमेटी इस राय पर पहूँचती है कि यह गलत रिव्यु हो गया है तो क्या कोई ऐसा रिव्यु करने वाला ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है कि नहीं ?

श्री माडू सिंह मलिक : रिव्युअर की जो ओपीनियन होती है कमेटी उसको मानती है।

चौधरी रणबीर सिंह : मैंने यह पूछा था कि अगर रिव्युअर की ओपीनियन को ठीक नहीं समझती तो उसको ब्लैक लिस्ट करने के बारे में कोई कार्यवाही करती है या रिव्युअर कोई सुपर अथोरिटी है ?

श्री माडू सिंह मलिक : ऐसा कोई केस गवर्नमैंट के नोटिस में अभी आया नहीं है।

श्री मंगल सैन : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह पुस्तक किस श्रेणी की है ?

चौधरी ओम प्रकाश : स्पीकर साहब, मैं आपकी मारफत डाक्टर मंगल

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *28th Aug. 1970, Vol. II, No. 4,Page (4) 16*

सैन को यह बताना चाहता हूँ कि उन्होंने जो फरमाया कि श्रीमती शकुन्तला ******की लड़की है, वह ******ी लड़की नहीं हो सकती क्योंकि इस नाम की उनकी कोई लड़की नहीं है।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मैंने पहले सप्लीमैंन्ट्री किया है, उसका जवाब तो आया नहीं, यह मेरा छोटा भाई बोलने के लिए फजूल ही खड़ा हो गया। जो मैंने मन्त्री महोदय से पूछा है, पहले उसका उत्तर तो वे दे दें कि यह पुस्तक जिसकी आपने मान्यता दी है, कौन सी क्लास के लिए है?

श्री माडू सिंह मलिक : नहीं, यह आपने नहीं पूछा।

श्री मंगल सैन : पुस्तक किस क्लास के लिए है, यह मैंने पूछा है?

श्री माडू सिंह मलिक : आप पूछते तो मैं बता देता।

हरियाणा विधानसभा

शनिवार, 28 अगस्त, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, ****** उनका नाम यहां पर लिया गया है। वे इस सदन में जवाब नहीं दे सकते और न ही यहां आकर कुछ कह सकते हैं कि श्रीमती शकुन्तला उनकी सुपुत्री है कि नहीं। तो स्पीकर साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यहां जो उनका नाम लिया गया है जब तक कि डाक्टर मंगल सैन, शिक्षा मंत्री महोदय से अलग कागज लेकर बात नहीं कर लेते, उस वक्त तक ****** के नाम को इस सदन की कार्यवाही के रिकार्ड में से निकाल दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : हां, ठीक बात है।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मैंने तो पूछा था कि वह उनकी लड़की है कि नहीं ?

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, सामाजिक अध्ययन की पुस्तक के सिलसिले में जो बात हुई और शकुन्तला नाम की कौन लड़की है, व उसका पता क्या है, इन सब बातों का पता लगाना जरुरी है, ताकि हमें कोई शक न रहे। तो मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करुंगा कि वे उस किताब के पब्लिशर, प्रिंटर, व उसके लेखक का नाम बताने की कृपा करें ताकि किसी को भी कोई शक न रहे।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *28th Aug. 1970, Vol. II, No. 4,Page (4) 17*

श्री माडू सिंह मलिक : इसका हमारे पास कोई पता वगैरह नहीं है।

श्री मंगल सैन : इस पुस्तक को मान्यता देने में या इस पुस्तक के साथ डायरैक्ट या इनकायरैक्ट चौधरी फतेह सिंह बेरी वाले का भी कोई सम्बन्ध है?

श्री माडू सिंह मलिक : ऐसी कोई बात नहीं है।

हरियाणा विधानसभा

शनिवार, 28 अगस्त, 1970 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि हमारे पास कोई पता वगैरह नहीं है। तो यह बात अच्छी नहीं है, क्योंकि इस तरह सवाल के बोर में कई एक गलतफहमियां पैदा हुई है। चूंकि, सदन आज उठ रहा है, इसलिए जब उनको पक्का पता लग जाए और सारी इन्फारमेशन वे कलैक्ट कर लें तो क्या वे प्रेस नोट के द्वारा उसका पूरा पता बता सकेंगे ताकि जनता को भी सारी जानकारी मिल सके?

Expunged as ordered by the chair.

राव बीरेन्द्र सिंह : कौन नहीं जानता चौधरी बंसी लाल जी। सब जानते हैं कि आपके क्या कारनामें हैं। बस, मैं आपका शुक्रिया अदा करता जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया है।

(मुख्यमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए)

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *28th Aug. 1970, Vol. II, No. 4,Page (4) 17*

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 8 फरवरी, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : पहला जो प्रश्न का हिस्सा है वह सिर्फ क्राइटेरिया के बारे में में ही है, कि क्या कोई क्राइटेरिया लिखित रुप में है या नहीं है और अगर वह लिखित में है तो क्या सरकार उसकी प्रति हाऊस को टेबल पर रखने के लिए तैयार है? अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री साहब मेरे सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब दे रहे हैं, पार्ट (ए) का जो पोरशन रह गया है, उसका जवाब नहीं दे रहे।

श्री बंसी लाल : मैं समझ नहीं सका मैम्बर साहिब क्या कह रहे हैं। वह कृपया कलैरिफाई करें कि पहले हिस्से में क्या बात है?

चौधरी रणबीर सिंह : मैंने पूछा था कि ऐडवरटाईजमैन्ट्स देने के लिए सरकार ने कोई क्राइटेरिया मुकर्रर किया है कि नहीं किया और अगर किया है तो क्या उसकी कॉपी सरकार हाऊस की टेबल पर रखने के लिए तैयार है? इस सवाल के दूसरे पार्ट में मैंने पूछा था कि सरकार कोई रुल बनाने के लिए तैयार है? पहले पार्ट में रुल्ज बनाने की बात नहीं पूछी, उसमें मैंने पूछा है कि अगर कोई लिखित क्राईटेरिया है तो क्या उसकी कॉपी सरकार हाऊस की टेबल पर रखने के लिए तैयार है?

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहिब रुल्ज और क्राइटेरिया में बहुत फर्क होता है। क्राइटेरिया का मतलब होता है गाईडलाइनज। गाईडलाईनज हमने बनाई हुई हैं,

---

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *8th Feb. 1971, Vol. I, No. 1, Page (1) 2-7*

इसलिए रुल्ज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिसको मुख्यमंत्री साहब गाईडलाईन्ज कहते हैं, वह किसी कागज पर ही होंगी। हवा में तो नहीं होंगी। अगर वह कागज पर है तो क्या उस चीज को वह सदन की टेबल पर रखने के लिए तैयार हैं या नहीं हैं? उत्तर में? मजबण् मजबण् लिखा हुआ है, वह मजबण् मजबण् क्या है?

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब इन सब बातों का जवाब पहले दिया जा चुका है।

Mr. Speaker : What I can see from the answer given is that the Government have certain guidelines, they have certain criteria to follow before giving advertisements, but they do not want to make any Rules in this connection. That is what the answer has been given.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने तो बहुत सीधा सा सवाल पूछा है। जो गाईड-लाईनज़ चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं, उन गाईड-लाईनज़ की कॉपी वह सदन की टेबल पर रखने के लिए तैयार हैं? इसका वह हां या ना में जवाब दे सकते हैं।

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, मैं समझता हूँ कि उसकी कॉपी सदन की टेबल पर रखने की कोई जरुरत नहीं।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, इसमें स्टेट का मुफाद तो कोई है नहीं, जो मुख्यमंत्री साहब ने ऐसा जवाब दिया है। इसलिए मैं आपसे प्रोटैक्शन चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सरकारी नौकरियों के लिए ऐडवरटाईजमैंट्स दी जाती है, चाहे वह सबोर्डिनेट सरविसज सिलैक्शन बोर्ड की तरफ से हों या पब्लिक सरविस कमीशन की तरफ से हों, वह जिले के अखबारों को और पिराडीकल्ज को दी जाती हैं या नहीं दी जाती? यह मैं जानना चाहता हूँ।

Shri Bansi Lal : While giving advertisements, we keep in view the nature of advertisements, whether they are of local interest or of national importance, language of the Paper, circulation of the paper in the area where advertisement is designed to be reached, rate charged by the news-paper, whether it is being regularly published or not, whether or not it incites communal passions, and so on. So, keeping all these things

in view, we give the advertisements.

चौधरी बंसी लाल : मैं मुख्यमंत्री साहब से जानना चाहता हूँ कि लोगों को नौकरियां देने की सूचना को वह आया लोकल एरिया के बारे में उनके जानने की चीज मानते हैं कि नहीं मानते, अगर वह मानते हैं तो क्या फिर जिला और तहसीलों के छोटे छोटे जो अखबार हैं उनको वह ऐडवरटाईजमैंट्स देते हैं कि नहीं ?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, कसौटी की बात तो मैंने कही नहीं, खैर वह यह बताएं कि जिले का या तहसील का कोई अखबार उनकी कसौटी पर पूरा उतरा है या नहीं ?

Mr. Speaker : As the hon. Members know, in the answer given the criteria explained for giving advertisements were :-

(i) whether the paper was being published regularly or not;

(ii) circulation;

(iii) the area where the advertisement was intended to be reached;

(iv) type of news-paper, etc., etc.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि हरियाणा में कोई भी नेशनल इम्पौटैंस का अखबार नहीं छपता। क्योंकि जिनका हम आल इण्डिया पेपर कहते हैं वह देहली में या चण्डीगढ़ में छपते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो अखबार हरियाणा के जिला स्थानों से निकलते हैं उनमें से कौनसा अखबार इनकी कसौटी पर पूरा आता है और जिसको यह ऐडवरटाईजमैंट्स देते हैं।

श्री बंसी लाल : किसी खास अखबार का नाम तो इस वक्त मेरे पास है नहीं, लेकिन अगर इस कसौटी पर कोई अखबार पूरा उतरेगा तो उसको हम इश्तिहार देंगे और जो पूरा नहीं उतरेगा उनको नहीं देंगे।

चौधरी रणबीर सिंह : क्या मैं मुख्यमंत्री साहब से पूछ सकता हूँ कि जो जिला स्तर पर या तहसील स्तर पर पेपर छपते हैं, उनमें से अगर कोई इनकी कसौटी पर पूरा उतरेगा तो क्या उसको वह ऐडवरटाईजमैंट्स देने के लिए तैयार होंगे ?

श्री बंसी लाल : हां जी, अगर कोई कसौटी पर पूरा उतरेगा तो उसको जरुर देंगे।

श्री फतेह चन्द विज : क्या मुख्यमंत्री जी बतायेंगे कि जो कसौटी उन्होंने तैयार की है, इस बारे में उसकी कोई लिस्ट कर ली गई है और अगर कर ली गई है तो वह क्या है ?

श्री बंसी लाल : इसका जवाब पहले दिया जा चुका है..... (विघ्न).... एक अखबार जो आज कुआलीफाई करता है उसको देंगे।

There can not be any hard and fast line about giving advertisements. As already explained, the nature of advertisement, language of the paper, its circulation, etc. etc., are kept in view before giving advertisements.

Mr. Speaker : What the Chief Minister has said, is perfectly right but the hon. Member wants to know the names of the news-papers who fulfill all these conditions.

Shri Bansi Lal : I am sorry, I have not got the names of all these papers and if tomorrow it ceases to be in that category, it would not be given.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब ऑना चाहिये था कि कौन सा अखबार उसमें आता है और कौन सा नहीं आता है ? लेकिन, मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता। प्रैस कौंसिल ने जो फैसला दिया वह सब जानते हैं। देहली में तो ऑल इन्डिया लैवल के अखबार हैं और चंडीगढ़ से 'ट्रिब्यून' अखबार छपता है और चंडीगढ़ के बारे में हमने अभी अपनी मांग छोड़ी नहीं है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि ट्रिब्यून को इश्तहार देते हैं या नहीं देते ?

श्री बंसी लाल : 'ट्रिब्यून' के बारे में यहां पर बहुत कुछ आ चुका है और उसी से चौधरी साहब की तसल्ली हो जानी चाहिये।

चौधरी रणबीर सिंह : पिछली दफा जो बहस हुई थी उसमें लाखों का फर्क था। मैं जानना चाहता हूँ कि उसे अब इनाम देने का वक्त आ गया है या सजा देने का तरीका अभी जारी है और अगर जारी है तो वह कैसे खत्म होगा ?

श्री बंसी लाल : अगर 'ट्रिब्यून' अपने रेट ठीक कर लें तो हमें क्या एतराज हो सकता है ?

चौधरी रणबीर सिंह : मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा था कि अखबार कितना हरियाणा में बिकता है यह भी एक क्राइटेरिया है। मुझे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि जो अखबार हरियाणा में बिकता है उसके तो यह रेट के चक्कर में ही रहें और जो हरियाणा के आदमी सरकारी सेवा के लिये अच्छे साबित हो सकते हैं वह भर्ती ही न हो सकें क्योंकि उनको इसके बिना पता ही नहीं लग सकता और उनके स्थान पर निठल्ले हड़ताल करने वाले आदमी भर्ती हो जायें जो कि हरियाणा पर भार बनें।

श्री बंसी लाल : भर्ती करते वक्त कम्पीटीशन होता है और जो उसमें आते हैं उनको रखा जाता है। भर्ती करने के लिये 'ट्रिब्यून' की नाराजगी या खुशी, कोई मैरिट नहीं बनती।

चौधरी रणबीर सिंह : मैंने तो नौकरी की भर्ती के बारे में सूचना मिलने के बारे में बात कहीं थी। एक आदमी नौकरी के लिए ठीक है लेकिन अगर उसे उसके बारे में सूचना ही न मिले तो वह उसके लिये दरखास्त कैसे देगा और अगर कोई दरखास्त नहीं तो कमीशन चाहे कितना ही अच्छा हो और हमारे कमीशन वाले जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बहुत अच्छे आदमी हैं लेकिन अगर सूचना न मिलने की वजह से काबिल लोग दरखास्त ही न दें सकें तो कमीशन कैसे छांट कर सकता है।

श्री बंसी लाल : यह तो सप्लीमैंटरी करते-करते और कई सूचनायें दे गये हैं (हंसी)।

श्रीमती चन्द्रावती : मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह गाईड-लाईन्ज सदन की मेज पर नहीं रख सकते। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या वजह है जिसकी बिना पर वह क्राइटेरिया सदन में नहीं रखे जा सकते?

Shri Bansi Lal : There is no necessity of it.

श्रीमती चन्द्रावती : क्यों जरुरत नहीं है इसका क्या रीजन हैं? मैं स्पीकर साहब, आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या यह हाऊस में रखे जा सकते हैं या नहीं रखे जा सकते हैं?

Mr. Speaker : That is the decision of the Government and not mine. That is for the Government to decide whether they consider that a certain thing is necessary to be placed on the Table of the House.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारियों को संरक्षण

दिलाना आपका फर्ज है और यह आपके ही हाथ में है। अगर हमारे अधिकारों पर सरकार छापा मार कर हमें जवाब न दें क्योंकि सरकार से सूचना प्राप्त करना हमारा अधिकार है और आप भी हमें संरक्षण न दें, तो फिर हम कहां जायें और कहां से यह संरक्षण लें?

श्री बंसी लाल : अधिकार तो हमारे भी हैं और उनको भी प्रोटैक्शन आप ही देंगे (हंसी)

Mr. Speaker : I shall certainly give protection provided you very kindly quote the Rules.

चौधरी रणबीर सिंह : वह मैं आपको आपके चैम्बर में दिखा दूंगा कि पब्लिक इन्टैऊस्ट में ही इन्कार किया जा सकता है वैसे नहीं और उसमें भी चेयर ने फैसला करना है कि वह बात पब्लिक इन्ट्रैस्ट में है या नहीं और यह देखने के बाद चेयर कह सकती है कि वह सूचना दी जाये या न दी जाये।

Shri Bansi Lal : Sir, everything has come in the reply .....

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, जैसे चौधरी रणबीर सिंह जी ने भी कहा कि कोई ऐसी बात जो स्टेट सीक्रिट हो या जो लीक आउट न करना पब्लिक इन्टैऊस्ट में हो वह तो नहीं रखी जा सकती है और न रखनी चाहिए लेकिन, जनाब मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें कौनसी ऐसी बात आ गई है कि जिसके बताने से ला एण्ड आर्डर के भंग होने का डर हो? इसमें तो इन लोगों के पोल ही खुलेंगे सदन की मेज पर रखने से इसके अलावा और कुछ खतरा है ही नहीं। तो, स्पीकर साहब आप रुलिंग दें कि इसमें न बताने की कौन सी बात आती है?

श्री बंसी लाल : पोल तो खुलेंगे ऑनरबेल मैम्बर के, मेरे तो खुलने से रहे (विघ्न) जहां तक जवाब का ताल्लुक है वह दिया जा चुका है।

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 8 फरवरी, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, या तो इसके कहने से पहले मुख्यमंत्री जी जवाब को पढ़ लें और अगर वह अपनी जबान बदलना चाहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अंग्रेजी वह शायद मुझसे ज्यादा जानते हैं। और मैं अपने आपको अंग्रेजी जबान का एक्सपर्ट नहीं मानता। लेकिन, इसमें 'इ.जी.' लिखा है, जिसके मायने होते हैं, मिसाल के तौर पर। वह कम्प्रीहैंसिव जवाब नहीं है, कुछ बता दिया गया और कुछ पास रख लिया गया। जो रख लिया गया उसके बारे में हम संरक्षण चाहते थे। यह जो आपने रुल की बात कही तो उसके लिये चैम्बर में अलग से तारीख रख लें। ताकि हम वहां आपके सामने निवेदन करें और सरकार भी निवेदन कर देगी। एक अखबार में 'विशाल हरियाणा' और इसका नाम ही जाहिर करता है कि हरियाणा के हरेक गांव में जाता होगा। और फिर 'विशाल हरियाणा' क्या हुआ अगर वह हर गांव में नहीं जाता (मुख्यमंत्री महोदय की ओर से विघ्न)। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। अगर वह खड़े हों तो मैं बैठ जाऊंगा और मैं जानना चाहता हूँ कि उनके मुखारबिंद से क्या शब्द निकलते हैं ताकि उनके बारे में मैं भी कुछ निवेदन कर सकूं।

Mr. Speaker : May I request you one thing. As you know, in

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *8th Feb. 1971,Vol. I, No. 1, Page (1) 8-10*

"Vishal Haryana" paper, I am interested. Therefore, please do not bring 'Vishal Haryana' under discussion.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, 'विशाल हरियाणा' के हिमायती और भी हो सकते हैं। हमें खुशी है कि अध्यक्ष महोदय 'विशाल हरियाणा' अखबार के हिमायती हैं। लेकिन, उसमें तो दो ढ़ाई करोड़ लोगों का इन्ट्रैस्ट है। आप तो हरियाणा की हर बात में भलाई सोचते हैं और चाहते हैं, तो क्या हम सवाल नहीं पूछेंगे इसके बारे में ?

Mr. Speaker : Iam directly involved in it.

चौधरी रणबीर सिंह : मैं तो आपसे सवाल ही नहीं करता। सवाल तो मेरा सरकार से है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दिसम्बर से पहले 'विशाल हरियाणा' पत्रिका को इश्तिहार दिए गए थे या नहीं ? मुख्यमंत्री महोदय ने बताया है कि जो अखबार उनकी कसौटी पर ठीक उतरते हैं उन्हें इश्तिहार दिए गए हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर दिसम्बर तक 'विशाल हरियाणा' पत्रिका उनकी कसौटी पर ठीक नहीं उतरी थी, तो जनवरी में कैसे यह अखबार कसौटी पर ठीक उतर गया और वह कसौटी क्या थी ?

Mr. Speaker : I can answer this. As far as 'Vishal Haryana' is concerned, it got advertisement twice, once when it was initially published and then on the 26th January. Even later on it has not been given advertisements. Let me tell you this.

चौधरी रणबीर सिंह : इस सवाल का जवाब स्पीकर साहब नहीं दे सकते। सरकार दे सकती है। यही जवाब आप चीफ मिनिस्टर साहब से दिलवा दें क्योंकि उन्हीं से यह सवाल पूछा गया है।

Mr. Speaker : I have only stated the facts.

श्री बंसी लाल : इसका जवाब मैं दे देता हूँ। अगर कोई अखबार पहले एक क्राइटेरियन पर ठीक उतरता है तो उसको इश्तिहार दे दिए जाते हैं। यह जरुरी नहीं है कि वह हमेशा ही क्राइटेरियन पर ठीक उतरें, कल को शायद वह ठीक न भी उतरे।

चौधरी रणबीर सिंह : प्रजातन्त्र में जो क्राइटेरियन रखे जाते हैं वे आर्बीट्रेरी नहीं रखे जाते। पहले क्या क्राइटेरियन था और अब क्या है? वह मन्त्री महोदय को बताना चाहिए। हाऊस में हर सदस्य का हक है कि वह हाऊस में सवाल पूछ सकता है और मन्त्री महोदय उसका जवाब दें। अगर, जवाब न दें तो फे वरेटिजम हो जाता है। मैं आपसे दर्खास्त करुंगा कि वह मामला दो तीन अखबारों से ही नहीं बल्कि, सारे प्रैस से सम्बन्धित है। इसलिए, इस प्रश्न को आज की बजाये किसी और तारीख को पोस्टपोन कर दें। मुख्यमन्त्री महोदय ने एक सदस्य से यह भी कहा है कि सरकार उसके 'पोल' खोल देगी। क्या मुख्यमंत्री किसी सदस्य के बारे में पोल खोलने वाली बात कह सकते हैं? एक सदस्य चाहे वह मुख्यमंत्री हो, चाहे सदस्य हो, इस प्रकार हाऊस में नहीं कह सकता। एक सदस्य ने स्टेटमेंट्स ऑफ फै क्ट के बारे में बात की कि वे पोल खोल देंगे। लेकिन, मुख्यमंत्री ने बड़ा असभ्य जवाब दिया। इस मामले में मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ कि किसी मन्त्री को किसी मैम्बर के प्रति इस प्रकार के असभ्य लफ्ज इस्तेमाल करने की आज्ञा नहीं दी जानी चाहिए। अगर, जाती तौर पर मैं श्री बंसी लाल जी के खिलाफ कहूँ तो आप कागजात में से कटवा दें या किसी दूसरे सदस्य के बारे में कहूँ, किसी मंत्री के बारे में कहूँ तो काट दें। सरकार से फै क्टस लेना एक सदस्य का हक है और इन फै क्टस को लेने में उसको आपका संरक्षण चाहिए। इसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी और मैं चाहता था कि बजाये इसके कि यह बात हम हाऊस में कहें, अच्छा होता अगर मैं आपके चैम्बर में बात करता, मुख्यमंत्री भी बात करते। अगर हमारी गलती हो तो हम मान जाएं या ये बदल जाएं। बदलने का मतलब यह नहीं कि डिफे क्शन हो (हंसी) बदलने का मतलब यह है कि वे सभ्य हो जाएं।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, अभी-अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आज एक अखबार को इश्तिहार दिया जा सकता है और कल नहीं भी दिया जा सकता। यह जवाब बड़ा आर्बीट्रेरी है, मैं इसका स्पष्टीकरण चाहती हूँ कि ऐसा करने के क्या आधार हैं?

Mr. Speaker : What he has said is that a certain Newspaper may be eligible for advertisements today but, let us say, after that it does not publish regularly or raises its rates or something like that then, naturally, it may not be fulfilling the conditions or there may be some other reasons which are well known.....

Shrimati Chandravati : That is why, I am saying that his answer is arbitrary.

Mr. Speaker : .....

श्री फतेह सिंह विज : क्या मुख्यमंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या किसी ऐसे अखबार को भी इश्तिहार दिए गए जिसके रेट्स 'ट्रिब्यून' अखबार से ज्यादा हैं?

श्री बंसीलाल : मेरे पास हर अखबार के बारे में फिग्र्ज़ नहीं हैं। आपने इस सवाल में क्राइटेरियन पूछा था। हर अखबार की इन्फर्मेशन इस सवाल से पैदा नहीं हाती और न ही मेरे पास है।

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 8 फरवरी, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : क्या हिन्द सरकार ने हमारी सरकार को मना किया है? गन्ने की किसी भी फैक्टरी को नैशनलाईज किया जाए? क्या इस किस्म की कोई चिट्ठी गवर्नमैंट के पास आई है? इसके इलावा यह बतायें कि हरियाणा में जितनी भी शुगर फैक्ट्रियां हैं, उनमें लोगों को और सरकार को कितना-कितना घाटा या मुनाफा हुआ है? फैक्ट्रियों को गन्ना देने वालों की इस बारे में क्या राय है? क्या कोई शिकायत वगैरह आई है?

श्री भजन लाल : प्रश्न तो चीनी की मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के बारे में है और घाटे या मुनाफे के बारे में नहीं है। वैसे मैं हाऊस को बताने के लिए तैयार हूँ कि हरियाणा स्टेट में तीन शुगर मिलें हैं। दो सहकारिता क्षेत्र में हैं और एक प्राइवेट शुगर मिल है। वे ठीक ढंग से काम कर रही हैं। इनके बारे में कोई शिकायत नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : रोहतक और पानीपत में जो गन्ना फैक्ट्रीज हैं इनमें कितना-कितना मुनाफा हुआ है और शेयर होल्डर्ज में कितना बांटा गया है? अगर नुक्सान हुआ है तो कितना-कितना हुआ है?

श्री भजन लाल : इसके बारे में सैप्रेट नोटिस दें, बाद में जवाब दे दिया जाएगा।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *8th Feb. 1971, Vol. I, No. 1, Page (1) 12*

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 8 फरवरी, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मानयोग मंत्री महोदय ने खुद ही उस बात का यहां जिक्र कर दिया है, जिसका मैं हवाला देने जा रहा हूँ। इस सदन के अन्दर मंत्री महोदय ने एक आश्वासन दिया था कि जिन कम्पनियों को सरकार ने नैशनेलाईज किया है, उनके कर्मचारियों को सरकार नौकरी में ले लेगी। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि उनमें से कितने ऐसे भाई हैं जो लगाए गए हैं और कितने ऐसे भाई हैं जो इन कम्पनियों में काम करते थे, लगे भी थे। मगर, उनको नहीं लगाया गया ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जब इनके पास उनके नाम थे और बोर्ड ने किन्हीं और नामों की सिफारिश नहीं की थी तो क्या इनके इलावा किन्हीं और लोगों को भी लगाया गया है ?

श्री महावीर सिंह : हमने एक कमेटी बनायी हुई है वह उनको सिलैक्ट करती है। जितने भी मैट्रिक पास थे उन सबको हमने लगा दिया है। यदि कोई रहता है तो वह इसी कारण से रहता है कि उसकी तालीम पूरी नहीं होती होगी। इसी प्रकार से कुछ ड्राईवर हैं। उनकी भी सरकार के पास लिस्ट है। जब सरकार के पास नयी बसें आ जायंगी तो उनको लगा दिया जायेगा (विघ्न)।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *8th Feb. 1971, Vol. I, No. 1, Page (1) 17*

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 8 फरवरी, 1971 ई.*

राज्य प्रेस सलाहकार समिति/परिषद की स्थापना

***1138. Chaudhry Ranbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state;

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up State Press Advisory Committee/Council; if so, the qualification, if any, prescribed for the members thereof together with the term and the scope of activities of such Committee/Council.

(b) whether the Government has received any proposal from any quarter to constitute such Committee/Council referred to in part (a) above, if so, the details thereof; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to constitute Press Advisory Committees at the district level also for the Newspapers edited from each district, if so, the details thereof?

Chief Parliamentary Secretary (Shrimati Sharda Rani) :

(a), (b) and (c) : No

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्य संसदीय सचिव महोदया ने मेरे प्रश्न का उत्तर ''नहीं'' में दिया है। परन्तु, मेरी जानकारी के अनुसार तो इनके

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *8th Feb. 1971, Vol. I, No. 1, Page (1) 18-21*

पास मांग है। मैं नहीं समझता कि किस कागज से पढ़कर बता रही हैं। मैं आपके जरिए फिर निवेदन करुंगा कि ये अपने कागजात को देख लें कि क्या प्रैस एडवाइजरी कौंसिल/कमेटी बनाने के लिए कोई मांग पेश हुई है। कल को ऐसा न हो कि मैं कागजात को पेश करुं, जिसमें गवर्नमैंट की एक्नोलीजमेंट हो।

गृह मंत्री (श्री के.एस. पोसवाल) : ये तो कागजात पढ़ कर ही बता रही हैं।

Mr. Speaker : The hon. Member's question has been answered.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए मैं फिर यही निवेदन करुंगा कि मुख्य संसदीय सचिव महोदया ने जो उत्तर दिया है वह सही नहीं है। सरकार के पास इस विषय में मांग है। सरकार ने उस पर गौर भी किया और कई एक कांफ्रेन्स भी हुई, उसमें यह मांग आई। उस वक्त जहां से भी मांग आयी थी वह सरकार के सामने पेश हुई थी। यदि मैं उन मांगों को मुख्य संसदीय सचिव महोदया के सम्मूख पेश करुं, तो क्या फिर वे अपने उत्तर को दरुस्त कर देंगी ?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : This question was considered somewhere in 1968, but after due consideration, the scheme was dropped.

Shri K.L. Poswal : It is not under consideration now.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए मैं फिर यही निवेदन करुंगा कि मुख्य संसदीय सचिव महोदया ने जो उत्तर दिया है वह सही नहीं है। सरकार के पास इस विषय में मांग है। सरकार ने उस पर गौर भी किया और कई एक कांफ्रेन्स भी हुई, उसमें यह मांग आई। उस वक्त जहां से भी मांग आयी थी वह सरकार के सामने पेश हुई थी। यदि मैं उन मांगों को मुख्य संसदीय सचिव महोदया के सम्मूख पेश करुं, तो क्या फि

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे ख्याल में तो सन् 1968 में यह सदन भी आ चुका था। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री महोदय को कुछ थोड़ा-बहुत तो याद है और सन् 1968 के बाद तो बहुत समय बीत चुका है। यदि मुख्यमंत्री महोदय नहीं बता सकते हैं तो अन्य मंत्री जी बता दें। मैं तो फिर यही कहूँगा कि सरकार के पास कागजात आये, मैमोरेन्डम भी आया और उसको माना नहीं गया। मानना या न मानना तो सरकार के अधिकार में है। लेकिन मांग आयी हो और इन्कार

कर देना जैसा कि अभी चीफ पार्लियामेन्टरी सैक्रेटरी महोदया ने बताया, परन्तु मंख्यमंत्री महोदय ने इस बात को मान लिया है कि मांग आई थी। (विघ्न)

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी आपने सुना कि ये कहती हैं कि मांग कोई नहीं आयी परन्तु मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सन् 1968 में आयी थी। तो मेरी समझ में नहीं आता कि वे किस आधार पर कहती हैं कि मांग नहीं आयी ?र वे अपने उत्तर को दरुस्त कर देंगी ?

Shri Bansi Lal : I did not say whether there was any demand or not. What I said was any demand or not. What I said was that the question was considered in 1968, and it was dropped.

चौधरी रणबीर सिंह : क्या मैं यह समझूं कि सरकार के पास कोई मांग नहीं आई थी और न ही कोई मैमोरेन्डम आया था।

Shri Bansi Lal : I did not say whether any representation or demand was received. What I said was that this question was considered and dropped.

Mr. Speaker : The question of the hon. Member was whether there was any proposal under consideration. It has been replied that there is no proposal under consideration at present.

श्री बनारसी दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ऐसा मालूम होता है कि चौधरी साहब सवाल पढ़ कर नहीं आये।

चौधरी रणबीर सिंह : मुझे मालूम है कि महामंत्री जी बहुत पढ़ कर आते हैं।

श्री बंसी लाल : आप भी तो कई साल तक महामंत्री के पद पर रहे, आप भी बहुत पढ़कर आते होंगे।

चौधरी रणबीर सिंह : गलती अब यह हो गई है कि वे आप से पढ़ने लग गये हैं मुझसे नहीं। अध्यक्ष महोदय, 'बी' पार्ट को आप देखें उसमें लिखा है.....

Mr. Speaker : I have seen that. I agree that it could have been said that the question came up in 1968 and it was dropped.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मंत्री जी कहते हैं कि गलती नहीं हुई और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि जवाब गलत हो गया।

Shri Bansi Lal : I may repeat that I did not say anything about the representation or demand. What I said was that this question was considered in 1968 and dropped. I did not say anything else.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यही कहना है और मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि उन्होंने जवाब में 'हां' नहीं कहा। मैंने अपने सवाल में पूछा है कि क्या कोई मांग आयी थी उसके बारे में ये कह दें कि समय चाहिए या चीफ पार्लियामैंटरी सैक्रेटरी महोदया मुख्यमंत्री जी के जवाब में हां में हां मिला दें।

Mr. Speaker : It is too small a matter. The fact is that the proposal was then considered and dropped.

चौधरी रणबीर सिंह : जैसा कि मुख्यमंत्री जी मानते हैं कि परपोजल कन्सिडर हुई थी तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वह परपोजल कहां से शुरु हुई थी ?

(श्री के.एल. पोसवाल की ओर से विघ्न)

गृह मंत्री जी, आप इस सदन में भी हमने इतने शक्तिशाली न बनें जितने कि आप गृह विभाग में बने हुए हैं। इस सदन में तो आप सदस्य बन कर आये हैं।

Mr. Speaker : The Leader of the House is going to give you an answer. You may please listen to him.

Shri Bansi Lal : That is not clear from the reply or the information given to me whether or not there was any representation in this regard. Anyhow because of some representation or because of some statute this matter was taken up and dropped and if the hon. Member wants whether there was any representation or not we will send him this information later.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, सवाल के जवाब में तो यह लिखा ही हुआ है जोकि मुख्यमंत्री जी ने बतलाया है। मैं मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि अगर उनके पास इसका कुछ और जवाब है तो वह जवाब दे दें।

Mr. Speaker : I request the Government to send him the desired information.

Shri Bansi Lal : Yes; Sir, we will send him the information.

HARYANA VIDHAN SABHA

Monday, 8th Feb, 1971*

Encouragement of language Newspapers/ Periodicals published in Haryana

***1139. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the criteria, if any, laid for the encouragement of language newspapers/periodicals published in Haryana State?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Indian language newspapers/ periodicals published in Haryana State are given encouragement on the basis of criteria which include, the status, circulation, regularity, policy and language of the newspapers concerned. As Haryana is a Hindi-speaking State special attention is paid to the needs of the newspapers and periodicals published in Hindi.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Written Answers to Starred Queations Laid on the table under Rule 45, *8th Feb. 1971, Vol. I, No. 1, Page (1) 31*

HARYANA VIDHAN SABHA

Monday, 8th Feb, 1971*

Creation of an independent Agency for releasing Advertisements to News papers/Periodicals

364. Chaudhri Ranbir Singh : Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to institutionalise the release of advertisements to newspapers/ periodicals; if so, details thereof;

(b) whether the Government has received any proposal to create an independent agency for the release of advertisements to periodicals;

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, the reasons thereof; and

(d) if the answer to part (b) above be in the affirmative, do the Government propose to lay the scheme on the Table of the House.

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : (a) No.

(b) No.

(c) Government do not consider it necessary to make any change

---

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Unstarred Queations and Answers, *8th Feb. 1971, Vol. I, No. 1, Page (1) 113*

in the existing arrangements which are working satisfactorily.

(d) Does not arise.

हरियाणा विधानसभा

मंगलवार, 9 फरवरी, 1971 ई.*

तारांकित पूरक प्रश्न

प्रश्न नं. 1109

Mr. Chairman : Question is -

That the East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

चौधरी रणबीर सिंह : बौंड जो वह दो पार्टीज में होता है, वह एक तरफ गन्ना देने वाले और दूसरी तरफ मिल वाले या उनके एजेंट और दोनों के दस्तखत हो जाने के बाद ही बनता है और एग्रीमैंट होता है। इस सूरत में क्या मैं जान सकता हूँ, जैसे मंत्री महोदय ने कहा है कि ओवर बौंडिंग होती है, वह कैसे होती है, जब एग्रीमेन्ट का क्या होता है?

श्री भजन लाल : एग्रीमेन्ट उतना ही होता है जितनी मिल की कपैसिटी होती है।

चौधरी रणबीर सिंह : क्या मैं जान सकता हूँ कि जितने गन्ने का एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेन्ट के बाद उसके मुताबिक जो गन्ना नहीं लिया गया क्या उसके बारे में

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 9th Feb. 1971, Vol. I, No. 2, Page (2) 2-6*

मंत्री महोदय के पास कोई शिकायत आई ? जैसे मैंने पहले कहा कि केसरी सैंटर से यह शिकायत आई कि उसका गन्ना नहीं लिया जा रहा है तो क्या यह शिकायत और सारे कागजात गन्ना बोर्ड के सामने पेश किये गये थे ?

श्री भजन लाल : ऐसी कोई शिकायत लिखित रुप में नहीं आई। वैसे ही लोगों को शक हो गया कि शायद उनका गन्ना नहीं लेंगे। इस बारे में वह मुझे मिले और मैंने उनकी तसल्ली कर दी कि उस मिल एरिया के सैंटर से गन्ना लेंगे।

चौधरी रणबीर सिंह : इसकी डेरी क्रशिंक कपैसिटी हाती है। अध्यक्ष महोदय, सदन में गन्ना बोने वालों की तरफ से लिखित शिकायत के बारे में सवाल पूछा गया और सदन की कार्यवाही लिखी जा रही है। क्या उप-मन्त्री महोदय चौधरी राम प्रकाश और डाक्टर साहब इस कार्यवाही में हिस्सा लेने को लिखित मानते हैं या नहीं ? इन्होंने अभी कहा है कि हमारे पास गन्ना बोने वालों की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : जो शिकायत आई थी उसको मुनासिब ढंग से डील कर लिया गया। सरकार ने गौर किया और मुनासिब फै सला किया गया था।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूँ कि इस सवाल का जवाब जो कि लिखित रुप में आया है उसमें चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमारे पास लिखित रुप में कोई शिकायत नहीं आई है; अगर शिकायत आई ही नहीं तो डील कैसे कर लिया ?

श्री बंसी लाल : मैं कह रहा हूँ कि चाहे लिखित रुप में शिकायत आई या जबानी आई सरकार ने उस पर गौर करके ठीक ढंग से डील किया है।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिन लोगों ने शिकायत की थी.....

श्री अध्यक्ष : आपको चौधरी भजन लाल जी ने बताया था कि वर्बल शिकायत आई थी उस पर ऐक्शन में लिया गया है।

चौधरी रणबीर सिंह : इन्होंने लिखित उत्तर में कहा है कि कोई शिकायत नहीं आई।

Shri Bansi Lal : He has a right to say that there was no written complaint. It was verbal. The hon. Member is interpretting the other way.

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, मेरा प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है। प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर क्वैश्चन ऑवर में उठाया नहीं जाना। इसलिये, मैं अब नहीं उठाऊंगा। बाद में उठाऊंगा, आप क्वैश्चन ऑवर के बाद मुझे इजाजत दे दें।

हरियाणा विधानसभा

मंगलवार, 9 फरवरी, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

Amount paid to Newspapers/News magazines/ Periodicals for Advertisement

***1113. Chaudhri Ranbir Singh and Shri Mangal Sain :** Will the Chief Minister be pleased to state the amount, if any, paid to each of the newspapers, news magazines, periodicals for advertisement from the State Government during the year 1967-68, 1968-69, 1969-70 and upto 31st December, 1970, together with place of publication, periodically, language and the year of first publication of each such paper?

Chief Parliamentary Secretary (Shrimati Sharda Rani Kanwar) : The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऐसे ही सवाल का जवाब पहले भी दिया जा चुका है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस वक्त कैसे इस सवाल का जवाब देना लोकहित में रहा और अब कैसे अहित में हो गया? क्या समय का फर्क है या कोई और बात है? थोड़ी सी अवधि में पहले दिया गया जवाब कैसे बदल गया और लोक-हित से लोक-अहित में कैसे हो गया?

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 9th Feb. 1971,Vol. I, No. 2, Page (2)* 6-14

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : स्पीकर साहब, थोड़ी बहुत इत्तलाह हमारे पास है। अगर, हुक्म हो तो बता देते हैं।

Shrimati Sharda Rani Kanwar : Whatever little details I have, I can give to the House.

				Amount			
Name	Place	Periodicity	1st year	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71
Tribune	Chandigarh	Daily	1881	56822.14	77592.33	130921.84	12637.50
Indian Express	New Delhi	do	1953	12809.60	111989.00	14638.17	27078.71
Patriot	New Delhi	do	1963	5752.80	5878.80	7505.80	49858.60
Hindustan Times	do	do	1924	6883.92	6358.80	19798.90	34646.41
Times of India	Bombay	do	1950	7664.89	4956.66	11310.82	9598.50

Mr. Speaker : It appears, there is some difficult question.....

Shri Bansi Lal : Whatever information we have, we are supplied to the House.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ व अर्ज है कि सरकार ने जो जवाब दिया है वह सही नहीं है। उनके पास जवाब तैयार है। मगर, उसे सदन की मेज़ पर नहीं रखा गया।

श्री बंसी लाल : मेज़ पर रखना कोई जरुरी नहीं। हम पढ़ कर भी सुना सकते हैं। यह हमारा अधिकार है।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करुंगा कि मंत्री महोदय के पास जितना जवाब तैयार है वह उसे सदन की मेज पर रख दें, ताकि कल जो सदस्यगण सप्लीमेण्टरी पूछना चाहें वह कर सकें।

श्री बंसी लाल : कोई जरुरत नहीं है।

Mr. Speaker : If they want to give oral reply, they can do so. They can also put it on Table of the House if it suits them.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहता हूँ कि उसी चीज़ को जिसके लिये ये सदन का इतना समय ले रहे हैं मेज़ पर रख दें (विघ्न) और बाकी के बारे में कह दें कि हम इक्ट्ठा कर रहे हैं।

श्री बंसी लाल : दूसरे मैम्बर भी बैठे हैं, एक ही मैम्बर नहीं है हाऊस में, स्पीकर साहब।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा एक प्रविलेज है जिसको मुख्य मंत्री जी दबा नहीं सकते हैं। ये ख्वामख्वाह कोशिश करते हैं। जितना मुझको वे छेड़ेंगे उतना ज्यादा मैं इनको खराब करुंगा। (हंसी)

श्रीमती चन्द्रावती : ऑन ए प्वॉयंट ऑर्डर जनाब स्पीकर साहब! मैं आपके ध्यान में एक चीज़ लाना चाहती हूँ कि चीफ पार्लियामैन्टरी सैक्रेटरी साहिबा ने पहले तो यह कहा कि इत्तलाह इक्ट्ठी करने में बड़ी लेबर इनवील्वड होगी। मगर, जब हमने जिद्द की और चौधरी रणबीर सिंह जी ने हाऊस में खड़े होकर अपने प्रिविजेज का सवाल उठाया तो इन्होंने जवाब पढ़ना शुरु कर दिया। इससे तो ऐसा लगता है कि ये सवाल का जवाब नहीं चाहते थे, जिससे हम सप्लीमैन्टरीज से महरुम रह जाएं। इनको तो जवाब पहले ही मेज़ के ऊपर रखना चाहिए था। मैं आपके थ्रू यह जानना चाहती हूँ कि लेबर बहुत इनवोल्वड होगी पहले यह कह कर जवाब न देना और बाद में उसी वक्त हमारे जिद्द करने पर इत्तलाह पढ़ कर सुनाना क्या कंट्राडिक्टरी बात नहीं है और क्या इस तरह से ये सारे हाऊस को मिसलीड नहीं कर रहे हैं?

Mr. Speaker : It appears to me from the answer that the written reply was not ready with them. In the meantime, they got part of the information. That is why they are giving it now verrbally (*Interruption*).

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मुख्यमंत्री जी शायद इस बात को भूल जाते हैं कि जितनी भी इन्फर्मेशन हो उसकी एक कॉपी इस हाऊस की कंवैन्शन्ज के मुताबिक पहले उस मैम्बर को दी जाती है जिसने सवाल किया हो ताकि वह अगर कोई सप्लीमैन्टरी करना चाहें तो कर सकें। मेरा एक अधिकार है इस इंफर्मेशन की एक कॉपी के लेने का और सप्लीमैन्टरी करने का। मगर, इंफर्मेशन को न दे करके उस अधिकार को रोकने की कोशिश की गई है। इसलिये मैंने आपके जरिए प्रार्थना की है कि जितनी भी सूचना इनके पास है, उसे यदि ये पढ़कर सुनाना चाहें तो पढ़ कर सुना दें और अगर टेबल पर रखना चाहें

तो टेबल पर रख दें तथा इस प्रश्न को कल के लिए रख दें।

श्री बंसी लाल : कल के लिये क्यों रख दें? सप्लीमैन्टरीज का जवाब हम दे रहे हैं।

Mr. Speaker : I agree with you in principle, if they have completed information with them. If they have not complete information, they can say they have only so much. But if they have to reply orally that is also right. You can ask the supplementaries after they have completed the reply. At the end, if the House is not satisfied you may consider something else.

Shrimati Sharda Rani Kanwar : Hindu (published from Madras) established in 1878 -

	Rs.
1967-68	1,311.20
1968-69	231.00
1969-70	2,874.30
1970-71	8,641.60

श्री बनारसी दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, ऑन ए प्वॉयंट ऑर्डर! मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। मुख्य संसदीय सचिव साहिबा कुछ इस ढंग से पढ़ रही हैं कि समझ में नहीं आता। वे यदि कुछ आहिस्ता से पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : यह प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर तो नहीं है, बल्कि 'आपकी सबमिशन्ज' है।

श्रीमती शारदा रानी कुंवर : मैं हिन्दी में पढ़ देती हूँ। अमृत बाज़ार पत्रिका कलकत्ता से निकलती है। पब्लिकेशन का साल 1868 है और विभिन्न सालों में हमने इसको इस प्रकार से पैसे दिए हैं :-

	रु0 पै0
1967.68	1,861.40
1968.69	5,143.30
1969.70	9,226.62
1970.71	46,101.76

स्टेट्समैन, दिल्ली और कलकत्ता से निकलता है। पब्लिकेशन का साल 1930 है।

1967.68 में ऐडवरटाईजमैन्टस दिए गए 1,913 रुपये 60 पैसे के;
1968.69 में दिए गए 15,987 रुपये 60 पैसे के;
1969.70 में दिए गए 20,008 रुपये 80 पैसे के; और
1970.71 में दिए गए 21,489 रुपये 60 पैसे के।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, हमने सुन लिया, बहुत अच्छा हिन्दी और इंगलिश का रीडिंग करना इनको आता है। अब मेरी आपसे प्रार्थना है कि इससे और ज्यादा पढ़वा कर सदन का समय बरबाद न किया जाए (शोर)।

श्री बनारसी दास गुप्ता : स्पीकर साहब, हम पूरी डिटेल जानना चाहते हैं और यह सदन के मैम्बर का हक है (हंसी)।

चौधरी रणबीर सिंह : मुझे खुशी है कि महामंत्री जी मदद में आए।

Mr. Speaker : Honourable Members, we had had a very very good time but for the last few minutes. We are assembled here to transact business..... (*Interruptions*)..... I think the honourable Member is half satisfied with the answer.....

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। मेरा अधिकार है कि मैं आधे घंटे या दो घंटे की डिसकशन मांगू। यदि इस सवाल के ऊपर कल सप्लीमैन्टरीज पूछने की इजाजत नहीं दी गई तो मैं इनके जवाब से सैटिसफाईड नहीं हूँ। ये जितनी देर मर्जी जवाब पढ़ें, मुझको कोई एतराज नहीं है।

श्री बंसी लाल : जवाब पूरा आन दें, फिर जो चेयर मुनासिब समझे वैसा हो जाएगा।

Mr. Speaker : This is an August House. We are all highly responsible persons, representatives of the public, assembled in this House to transact certain business for the best interests of the people. Occasionally, of course, a little humour and lightmood is necessary. We had a bit of it. I will quote two views for your information. Then you can decide as to what we should do?

One relevant view in 'Practice and Procedure of Parliament' reads -

"When in reply to a question it is stated that a statement will be made on the subject on a subsequent day, the question is deemed to have been answered and cannot be postponed."

So, there is one way out for the Treasury Benches. On the other hand, for the hon. Member, who has asked the Question, the precedent says :

> "Answers to questions are given only on the floor of the House. It is the established practice in Lok Sabha not to supply copies of answers in advance. The only exception with regard to this is that when long statements have to be laid on the table in reply to starred question copies of the statements are made available to the members concerned, on request, half an hour before the commencement of the Question Hour."

So, here the main thing, what I can see, is the number of pages the Chief Parliamentary Secretary has to read.

श्री बंसी लाल : थोड़ा सा और पढ़ लें .....

Mr. Speaker : What I am worried about is the comments that may appear about us in the press.

श्री बंसी लाल : यदि कोई मैम्बर अननैसेसरी बात करे और एक बात को बार-बार रिपीट करे और अननेसेसरी हाऊस का टाईम लेना चाहे तो गवर्नमेंट ने जो जवाब दिया है उस पर जो सप्लीमैन्टरी पूछे गये हैं उनका भी प्रोपरली जवाब देना हमारा फर्ज है। Let it come in the press. It does not matter, but let us give a reply.

Mr. Speaker : You have the right to reply, but when there is a long statement.....

Shri Bansi Lal : This is not a long statement. It is only a part of the reply. So, I request that we should be allowed to reply.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी लोकसभा की प्रथा का जिक्र

किया गया। मुझे अब मालूम नहीं है कि हम अपनी प्रथा पर चल रहे हैं या लोकसभा की प्रथा पर। कल भी मेरे सवाल का लिखित जवाब दिया गया और दस्तखत कराये गये और आज उसी प्रकार से दस्तखत कराये गये। अगर हम अपनी प्रथा पर चलते हैं तो उसके हिसाब से रोज आधा घंटा पहले लिखित जवाब यहां दे दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : उसके बारे में बात न करें। Let us not give too much time on this question.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि इस प्रश्न का जवाब सदन की मेज पर रख दिया जाये। दूसरे इस सवाल के लिये हाफ एन ऑवर या वन ऑवर डिस्कशन रख दी जाये या जो भी अधिनियम हो उसके अनुसार कर लिया जाये (विघ्न)।

Shri Bansi Lal : The hon. Member has quoted the convention of the Lok Sabha.

Chaudhry Ranbir Singh : No, I did not, but the hon. Speaker has. The Question Hour is over, but not before that. If there is, however, any statement to be laid on the Table of the House, that is given to the member before the House starts.

Mr. Speaker : There is no statement to be laid on the Table of the House in this case.

Shri Bansi Lal : As the hon. Member wants to know the information, let us read the reply.

श्री बनारसी दास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन है कि इस सदन के बहुत सारे मैम्बर इस बात की रुचि रखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर पूरी डिटेल में सुनाया जाये। यह एक इम्पार्टेन्ट सवाल है। जो भी इस प्रश्न के विषय में इन्फर्मेशन चाहे वह दी जाये।

Mr. Speaker : We can give five minutes for that. That, I think will suffice.

श्री बंसी लाल : जिस प्रकार से एक मैम्बर को किसी प्रश्न के पूछने का हक है उसी प्रकार से गवर्नमेंट को भी हक होना चाहिए। फर्क नहीं होना चाहिए। Further, there are not only one or two members in the House. The House

consists of 81 Members, most of whom want to hear the reply.

श्रीमती चन्द्रावती : ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर, सर। जनाब पहले तो सवाल के जवाब में कहा गया है कि इनफर्मेशन इक्ट्ठा करने में काफी समय और लेबर जाया जाएगी। मैं इस विषय में आपकी रुलिंग चाहती हूँ कि पहले वे एक बात करते हैं फिर दूसरी बात करते हैं। ये अपनी डिक्टैटरशिप करके इस हाऊस का कीमती टाईम जाया करके पाठ पढ़ाना चाहते हैं (विघ्न)

Mr. Speaker : I shall give my ruling on this tomorrow.

चौधरी जय सिंह राठी : ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर, सर। मैं आपकी रुलिंग चाहूँगा। जैसा कि अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जितना जवाब हमारे पास तैयार है वह हमें सारा पढ़ना है। आप कम से कम उनसे यह तो पूछा कि उनके पास कुल कितने सफे हैं, 15 हैं या 20 हैं ताकि वे उन सारे पेजों को पढ़ लें और हम इस दौरान आराम ही कर लें।

Shri Bansi Lal : This is no Point of Order. Whatever information we have, we will give.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी की सबमिशन तब मैं समझ समता हूँ। लेकिन, प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर का भी मुख्यमंत्री जी ही जवाब दें और सवाल का जवाब भी नहीं दें। अगर इस तरह से जवाब चन्द्रावती जी भी देने लग जायें तो यह कोई अच्छी प्रथा नहीं पड़ रही। यह कहना कि पढ़ायेंगे, किस-किस को पढ़ायेंगे ?

श्री बंसी लाल : पिछली फरवरी में तो पढ़ाया था अब फिर पढ़ा दें।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय मैंने तो आज तक सैशन में कभी नहीं कहा कि आपको सबक पढ़ाना चाहता हूँ।

हरियाणा विधानसभा

मंगलवार, 9 फरवरी, 1971 ई.*

व्यवस्था का प्रश्न

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बीच में नहीं बोलना चाहता था। लेकिन, बार-बार लत बात की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, अगर इस सवाल का जवाब इतना लम्बा है तो आप इनसे कह सकते हैं कि इसे मेज़ पर रख दिया जाये। मैं प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर पर खड़ा हो सकता था। लेकिन, मैं उसे बाद में करना चाहता हूँ क्योंकि यह लोक सभा में भी प्रथा नहीं है कि क्वैश्चन ऑवर में प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर किया जाये। मैंने जो बात नहीं की वह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कर गये हैं और उन्होंने बात को कई बार दोहराया है, जिससे चीफ मिनिस्टर साहब की लियाकत का पता लगता है कि कितनी है? लेकिन, अब सवाल तो सिर्फ इतना ही है कि उसको टेबल पर रखा जाना चाहिये या उसका पढ़ना जारी रखा जाये?

Mr. Speaker : If you remember, Chaudhri Sahib, I even asked my Secretary, I was asking if there is a Ruling of this nature. I understand that a Ruling was given in Punjab Vidhan Sabha sometime ago, but it is not readily available to me and as it is not available to me I cannot give a firm Ruling. I wanted to consult that Ruling and they have not been able to find it. Since I am not finding that Ruling, I cannot do anything in the matter.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report, 9th Feb. 1971, Vol. I, No. 2, Page (2)* 18

हरियाणा विधानसभा

मंगलवार, 9 फरवरी, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने बीच में कहा था कि लोकसभा में एक बहुत अच्छी प्रथा है कि प्रश्न के घंटे में कोई प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर रेज़ नहीं कर सकता। इसीलिये, मैंने बीच में प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर रेज़ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या कोई मंत्री या मुख्यमंत्री सवाल के जवाब को बदल सकते हैं और अगर बदलते हैं तो कौन सा जवाब उनकी ठीक जवाब माना जाये ?

दूसरे क्या इस सदन की यह प्रथा है कि जिस सवाल का जवाब वे न दें तो इस पर मंत्रीमंडल हंसने लग जाये और क्या वह हंसी ही उस सवाल का जवाब समझा जाये ? मैं इसके बारे में आपका आदेश चाहता हूँ।

Mr. Speaker : I shall give my ruling day after. If it is not possible, then that day on the next day.

श्री बनारसी दास गुप्ता : स्पीकर साहब, इस प्रश्न के द्वारा जो सूचना दी जा रही है वह बहुत महत्वपूर्ण है और मेरी प्रार्थना है कि अगले प्रश्नों के घंटे में इसको जारी रखा जाए क्योंकि कई अनावश्यक पत्र ऐसे हैं जिनको विज्ञापन दिए गए हैं। हमें सप्लीमेंट्री करने का मौका दिया जाए और इसे जारी रखा जाए।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Question and Answers, *9th Feb. 1971, Vol. I, No. 2, Page (2)* 23-25

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब (चौधरी रणबीर सिंह को सम्बोधित करते हुए) आप कुछ कहना चाहते थे?

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने देखा कि सवाल का जवाब खत्म नहीं हुआ और हमारे कांग्रेस के महामंत्री ने यह कहा है कि इसको अगले सवाल के घंटे में जारी रखा जाये। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमें सप्लीमैंटरी करने की इजाजत होनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं आपका आदेश चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : जैसा मैंने कहा कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। एक सप्लीमैंटरी हो चुकी है जिसके जवाब में यह पढ़ा गया है। मैं इसके बारे में अपनी रूलिंग दूंगा।

श्री दया कृष्ण : स्पीकर साहब मेरी गुजारिश यह है कि ऑनरेबल मैम्बर्ज को हाऊस के टाईम का ख्याल रखना चाहिये। उन्हें एक प्रश्न पर ही स्टिक नहीं होना चाहिये। सरकार को चाहिये कि अगर किसी सवाल का जवाब लम्बा है तो वह उसे छोटा करके बतायें।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक पर्सनल एक्सपलेनेशन है।

अध्यक्ष महोदय : पर्सनल एक्सप्लेनेशन किस बारे में है?

चौधरी रणबीर सिंह : माननीय सदस्य ने जैसा कहा कि सदस्यों को सदन के समय का ध्यान रखना चाहिये। मेरा कहना यह है कि सवाल का जवाब लिख कर सभा पटल पर रख दिया जाये और उस पर सप्लीमेंटरी करने का मौका दिया जाये। मुख्यमंत्री से अगर माननीय सदस्य की कोई रिसा है तो वह उनको मना लें।

HARYANA VIDHAN SABHA

Tuesday, 9th Feb, 1971*

Promotion of Police Inspectors

***1150. Shri Ranbir Singh :** Will the Minister for Home be pleased to state the total number of Inspectors of Police promoted as D.S.P.s in the State during the year 1970?

Home Minister (Shri K.L. Poswal) : Five

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Written Answers to Starred Questions laid on the table under rule 45, *9th Feb. 1971, Vol. I, No. 2, Page (2)* 31

HARYANA VIDHAN SABHA

Tuesday, 9th Feb, 1971*

Release of Advertisements by Departments

***1114. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) whether it is a fact that different departments of State are releasing
advertisements, etc., separately at persent and

(b) if so, whether the Government has any proposal under consideration to pool, co-ordinate and control the release of advertisements at State level, if not, the reason therefor?

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : (a) No.

(b) Does not arise.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Written Answers to Starred Questions laid on the table under rule 45, *9th Feb. 1971, Vol. I, No. 2, Page (2)* 31

HARYANA VIDHAN SABHA

Tuesday, 9th Feb, 1971*

Publication of News papers/News Magazines/Periodicals from each District

***1115. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state -

(a) the number and names of the News papers/News Magazines/Periodicals being published from each district in the State as on 1st November, 1966, 30th September, 1970 and to-date; and

(b) the names of the owner/Editor, place of publication, the year of their fist publication, language and the periodicity of such News papers/News Magazines and periodicals?

Home Minister (Shri K.L. Poswal) : (a) and (b) The requisite information is contained in statements at Annexure 'A', 'B' and 'C' which are laid on the Table of the House.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Written Answers to Starred Questions laid on the table under rule 45, *9th Feb. 1971, Vol. I, No. 2, Page (2)* 32-33

ANNEXURE 'A'

Statement of Newspapers/News Magazines/ Periodicals published from each district in the State be is stood on 1st November, 1966

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE UNDER RULE 45

Sl. No.	Title	Name of Owner Editor	Place of publication	Year of first publication	Language	Periodicity
1.	Arman-Haryana	Nanak Chand Arman	Ambala City	1966	Urdu	Weekly
2.	Atmanand	Principal, S.A. Jain College, Ambala City/ Prof. S.N. Jangid	Ambala City	1951	English/Hindi/ Punjabi/Urdu Sanskrit	Bi-annual
3.	Awaz-E-Hind	Om Parkash Malik	Ambala Cantt.	1964	Urdu	Weekly
4.	Aggarwal Metal Report	Om Parkash Garg	Jagadhri	1957	English/Urdu	Quarterly
5.	Ambala Times	Hira Nand Sharma	Ambala City	1965	Urdu	Weekly
6.	Bal Isht	K.K. Sharma/ Nand Lal Sharma	Ambala City	1965	English/Hindi/ Punjabi	Quarterly
7.	Bhushan's World Trade Enqiries	Brij Bhushan Lal	Jagadhri	1961	English	Bi-monthly
8.	Brahaman Sikh Samachar	Brahaman Sikh Committee/ Balwant Singh	Ambala City	1963	Punjabi	Monthly

हरियाणा विधानसभा

वीरवार, 11 फरवरी, 1971 ई.*

स्थगित अनुपूरक तारांकित प्रश्न संख्या 1113

Mr. Speaker : Ch. Ranbir Singh, M.L.A. also raised a point of order whether a Minister could insist on reading a lengthy reply instead of laying it on the Table of the House.

In this connection, I may point out that the object of question is to elicit important information in public interest. The weapon of putting questions by the Hon. Members is to draw attention to the grievances of the public. Therefore, it is essential that the question hour should be properly utilised and there should be no wastage of time. If the time available during the question hour is consumed only in reading out a lengthy statement by a Minister while replying to a question, this will defeat the very purpose and importance of the question hour. In such cases it is better to lay such lengthy statement on the Table of the House, this will avoid the wastage of time of the House and allow the members to make full use of the question hour. Therefore, I would advise the Ministers that in future where the answers are lengthy it is desirable, profitable and more appropriate to lay the statements on the Table of the House. In this connections I would refer to the Lok Sabha Debates dated 27th August, 1970, page 27, Col. 2, where the Speaker, Lok Sabha, in similar

---

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Postponement of supplementaries to starred Question No. 1113, *11th Feb. 1971, Vol. I, No. 4, Page (4)* 2-4

circumstances observed -

"I would advise Minister that where the answers are lengthy it is better to lay the statements

on the Table of the House."

Incidentally I may also observe that although there is no legal objection to the raising of points of order during the question hour yet no points of order should normally be raised during the question hour so that the time is saved for asking and answering maximum number of questions.

On 9th February, 1971, I reserved my ruling whether supplementaries on Starred question No. 1113 in the name of Chaudhri Ranbir Singh should be allowed or not. As the whole time was taken in answering this question and no time was left for supplementaries to this questions, I allow the supplementaries to be asked in respect of this question today before the regular list of questions for today is taken up.

POSTPONEMENT OF SUPPLEMENTARIES TO STARRED *QUESTION No. 1113

चौधरी रणबीर सिंह : आपके आदेश को ध्यान में रखते हुए आपसे यह प्रार्थना है कि जितना भी जवाब उनके पास तैयार है, उसे ये टेबल पर रख दें और नैक्सट सिटिंग के ऊपर यह सवाल सप्लीमैन्टरीज के लिए रख दिया जाए।

Mr. Speaker : Laying of the reply on the Table, I cannot insist. That is the privilege of the Minister. I think, it is advisible and better, if there is lengthy answer, for the Minister to lay the information on the Table of the House. But I cannot insist on that.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन यह है कि वे तो एक लम्बा चौड़ा जवाब दे रहे हैं और प्रौसीडिंग्ज में भी वह बात आई है मगर उसके ऊपर हम सप्लीमैन्टरी कैसे कर सकते हैं जब तक कोई चीज हमारे सामने न आए?

Mr. Speaker : What you can do and if the Minister concerned, is agreeable, that we can allos you to go through the proceedings of the House and then we can take it up tomorrow day after tomorrow or on some other day. That can be done. But I cannot ask or insist that, that information should be laid on the Table of the House.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह कार्यकाल का पार्ट होगा। मगर, मेरी सबमिशन यह है कि पहले जो इन्होंने जवाब दिया है उसकी कॉपी मेरे पास है। मुझे पहले की इन्फर्मेशन नहीं चाहिए। मेरा सवाल तो इतना था कि वर्ष 1970-71 में जून महीने के बाद इन्होंने कितनी एडवरटाईज़मैन्टस दी हैं। अगर पहले क्वेश्चन का नम्बर यह जानना चाहें तो वह मैं दे सकता हूँ। इसमें कोई लेबर का सवाल नहीं, टाईम का सवाल नहीं। (विघ्न) लम्बी चौड़ी स्टेटमैंट तो इनकी पहले यहां मेज़ पर रखी हुई है और उसकी कॉपी मेरे पास है।

Mr. Speaker : So you have got the information, Chaudhri Sahib. (हंसी)

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, यह तो वही कल वाली बात आ गई। वजीरों के हंसने से ही अगर सवाल का जवाब आ जाता है तो वह बात दूसरी है। मगर, अब हम आपसे निवेदन करते हैं उस वक्त भी ये हंसते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? आप ही सदन की कार्यवाही को ठीक से चला सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जून 1970 तक का जवाब तो इन्होंने उस सवाल के जरिए, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, दे रखा है। मुझे जो अडिशनल इन्फर्मेशन चाहिए थी, वह यह है कि जून 1970 के बाद इन्होंने उन्हीं अखबारों को या कुछ और अखबारों को क्या-क्या और कितने-कितने रुपए की एडवरटाईज़मैन्टस दी है। मेरे पास जून 1970 तक का जो जवाब दिया गया है, उसकी कॉपी है। जून 1970 के बाद किन अखबारों को कितने इश्तहार दिए गए हैं, उसकी कॉपी नहीं है। जब मेरे पास कोई ब्यौरा नहीं है तभी मैंने उस ब्यौरे को हासिल करने के लिए यह सवाल पूछा था।

Mr. Speaker : Well, I can request this much : is it possible for the Minister to get the remaining part of the information during this session?

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : कोशिश करेंगे।

Mr. Speaker : They will try.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस रोज़ वे जवाब सदन के टेबल पर रख दें या जबानी दे दें उसके बाद मुझे कुछ अर्ज करने का मौका मिलना चाहिए।

Mr. Speaker : Naturally.

हरियाणा विधानसभा

वीरवार, 11 फरवरी, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि कुछ भूमि ऐसी है जो खेती करने लायक नहीं है और साथ ही यह भी बताया है कि मुजारे दूसरे गांव में मुजारे बनकर ऑना नहीं चाहते हैं। इससे साफ जाहिर है कि कुछ जमीन की अलाटमैंट हुई और उन्होंने कब्जा नहीं लिया। मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कितनी जमीन है, जो शहर वाले मुजारों को अलाट की गई अर्थात् दूसरे गांवों में अलाटमेंट हुई और उसमें कितनी जमीन खेती करने योग्य नहीं है?

श्री बंसी लाल : इस वक्त तो इसके बारे में डिटेल नहीं है। यह बात ठीक है कि जो जमीन काश्त करने के योग्य नहीं है जैसे कोई जोहड़ी है और खाते में मालिक अलग-अलग नाम के हैं और वह ज़मीन सरप्लस में आयी हुई है। लेकिन, काश्तकारी के लायक नहीं है या एक आदमी को दस-पन्द्रह मील के फासले पर चार-पांच एकड़ सरप्लस जमीन अलाट कर दी जाती है तो वह परेशान होकर उस जमीन को छोड़ देता है।

चौधरी रणबीर सिंह : मन्त्री महोदय के पास एक नोट फॉर पैड है उसमें यह सारी जानकारी दी होती है लेकिन ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी उसको देखकर नहीं आए हैं।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *11th Feb. 1971, Vol. I, No. 4, Page (4)* 10-16

श्री बंसी लाल : मैं ऑनरेबल मैम्बर को बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़कर आया हूँ। उनको तो अपनी काबलियत पर बहुत ज्यादा बहम है।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन करुंगा कि वह नोट फार पैड को देखकर बतायें कि कितनी जमीन ऐसी है जो खेती करने के लायक है और जिसको सरप्लस डिक्लेयर किया हुआ है और कितने एकड़ ऐसी भूमि है जिसको अलाट किया गया और कितनी एकड़ भूमि ऐसी है जिसको बाहर के गांवों के मुज़ारों को अलाट किया गया और वह अभी तक उनके कब्जे में नहीं है?

Mr. Speaker : Chaudhri Sahib, your question is clear and it has been answered, but, at the moment, they do not have the details.

श्री बंसी लाल : यह प्रोसैस तो 15 साल से चला आ रहा है। एक बार अलाट की गई और फिर वापस कर दी गई। इस प्रकार से 15 साल के नोट फार पैड तैयार करें दो हजार पेज हो जायेंगे।

Mr. Speaker : What I can see is that the Government themselves are cooperating in this matter. They say that they do not have the details, but there is some such land, and we can find out from them whether they can give the requisite information within the next 6/7 days or in the next session. Of course, the land is there; they are improving it so that it can be cultivated by others.

चौधरी दल सिंह : क्या वज़ीर साहब यह बताएंगे कि जिन मुजारों को जमीन अलाट हुई है और वे मुजारे किसी वजह से अपनी एक किस्त दाखिल न कर सके हों और उनकी अलाटमैंट कैंसिल कर दी गई है अगर वे अपनी किस्त दाखिल करने के लिए तैयार हों तो क्या उनको वह जमीन अलाट कर दी जायेगी?

श्री बंसी लाल : अगर ऑनरेबल मैम्बर के नोटिस में कोई हाल फैक्ट केस है कि मुज़ारे को दिक्कत है तो उसको सिमपैथेटेक्ली कन्सिडर किया जायेगा।

श्री दया कृष्ण : अगर किसी को फर्जी कब्जा दिया जाए और कब्जा दिये

जाने के फौरन बाद उससे जमीन वापस ले ली जाए तो ऐसी हालत में सरकार क्या प्रबन्ध करेगी ?

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब ऐसी बातें कई बार हो जरुर जाती हैं कि मुज़ारों को 10-15 मील दूर दो चार एकड़ धरती पर कब्जा दिला दिया जाता है। लेकिन, जो लैंड ओनर वहां का होता है वह उनको डरा धमका कर भगा देता है। हम मुजारों को दोबारा सैटल करते हैं, वे फिर भाग जाते हैं। उनके भागने का अल्टीमेटली हमारे पास कोई इलाज़ नहीं।

श्री सत्य नारायण सिंगोल : स्पीकर साहब, चौधरी दल सिंह के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जी ने फरमाया है कि यदि कोई केस है तो वह इनके नोटिस में लाया जाए इस किस्म का केस मैं इनके नोटिस में लाना चाहता हूँ और क्या वह उसके ऊपर कार्यवाही करेंगे ? गेलावा गांव के अन्दर दो मुज़ारों को ज़मीन अलाट की गई थी उनमें से एक सैनी था और एक जाट था। वहां के नायब तहसीलदार ने कब्ज़ा तो दिला दिया लेकिन उसने यह नहीं बताया कि पैसे भी दाखिल कराने हैं क्योंकि वह नायब तहसीलदार इस ज़मीन को दूसरों के नाम अलाट कराना चाहता था इसलिए उसने पैसों के बारे में नहीं बताया। उन दोनों ने कहा कि हम पैसे भरने के लिए तैयार हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनके नाम से कैंसलेशन का नोटिस जारी कर दिया गया।

श्री बंसी लाल : यह तो इन्डिविजुयल केस है। सप्लीमेंटरी में यह नहीं कहा जा सकता। अगर कोई हार्ड केस है तो हम जरुर गौर करेंगे। ऐसा अगर कोई नोटिस में केस हो तो बतायें ?

श्री सत्य नारायण सिंगोल : यह तो इन्डिविजुयल केस है। मगर मैं हाऊस में बता रहा हूँ। जैसा कि यह कहते हैं कि अपोजीशन की हमने कोई बात नहीं माननी इसलिए अगर मैं चिट्ठी वगैरा लिखकर भेजूंगा तो हो सकता है कि यह फाड़कर फेंक दें।

Mr. Speaker : I think we are getting into confusion. If there is an act or if there are two Acts, as stated, then naturally all this information is available in these Acts and, therefore, why should the questions be asked about those Acts.

A Voice : The law is silent on this point.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि कुछ जमीन ऐसी हो सकती है या है जिसका पोजेशन तो दिया गया है मुजारों को, पर उनके कब्जे में यह नहीं है। क्या मैं जान सकता हूँ कि यह भूमि कितनी एकड़ है? जिसका कब्जा तो दे दिया हो और आज मुज़ारों के पास न हो और यह भूमि किस इलाके में है? क्या वह इस बारे में ब्योरा देने की कृपा करेंगे?

Mr. Speaker : The difficulty came out of the question put and it is very difficult to tell all this at this stage.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने सप्लीमेंटरी की इजाज़त तो दी है। लेकिन, कुछ ऐसी खबरें हैं जो आदमी वैसे ही जान सकता है कि कितनी भूमि थी। जब मैंने सवाल किया तो उसका जवाब मन्त्रीमंडल या मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए। ऐसा करने के लिए अगर ये समय चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। वे अगर चाहते हैं तो हाफ एन ऑवर डिसकशन मानकर या शॉर्ट नोटिस क्वैश्चन की आप हमें इजाज़त दे दें तो उसके अनुसार कर लेंगे।

Mr. Speaker : The point is that if this information is there then you can also get it from those Acts as they, the Government, can get.

Chaudhry Ranbir Singh : The position boils down to this that if there is law on this point, then we are fools but if there is no law about it then what I am to say about the Ministers.

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, लॉ है तो यह जाहिर है कि सरप्लस जमीन बिक सकती है। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन सा लॉ है?

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, मैं तो जहां तक समझता हूँ कि हमारे यहां टेनेंसी लॉ दो हैं। एक एरेस्टवाइल पैप्सू का, एक पंजाब का। पैप्सू का जो इलाका है, उसमें जो सरप्लस जमीन होती हैं उसको सरकार ले लेती है और फिर मुज़ारों को दे देती है। लेकिन, जब पंजाब के इलाके में मुज़ारों का देती है तो उसके छ : सालों के बाद या छ : फसलों के बाद मुज़ारों एक दरख्वास्त देकर जमीन खरीद सकता है और

पहली इन्स्टालमैंट देने के बाद वह मालिक बन जाता है। यदि पांच, छ : इन्स्टालमैंट्स बाकी रह जायें तो वह लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिक्वर कर ली जाती है। That is what we can do and we are prepared for that.

श्री सत्य नारायण सिंगोल : स्पीकर साहब, जब कोई जमीन एक किसान से ली जाती है और मुज़ारों को अलाट कर दी जाती है और वे मुज़ारे आगे उस जमीन को बेच देते हैं तो इससे लाज़मी तौर पर ज़मीन वाले को दुख होता है?

श्री बंसी लाल : उसके लिये कानून में आप कोई अमैंडमैंट ले आयें?

श्री सत्य नारायण सिंगोल : स्पीकर साहब, यह कोई कानून बता दें जिसके द्वारा यह अमैंउडमैंट लाई जा सके क्योंकि हमें तो इस बारे में पता नहीं।

Mr. Speaker : An assurance has been given that if some hard cases are brought to the notice of the Government they will certainly look into them.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि ऐसा कानून है तो क्या उस कानून में यह अमेंडमैंट करेंगे कि जो अलाटिड लैंड है उसको मुज़ारे बेच न सकें?

चौधरी बंसी लाल : मैंने यह नहीं कहा कि कानून है, मैंने यह कहा कि कानून होगा। That is not my duty (*Interruption*) That is none of my duties.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने सवेरे ही अपने आदेश में कहा था कि यदि कोई सदस्य कलैरीफिकेशन चाहे तो वह सरकार से पूछ सकता है और सरकार उसकी कलैरीफिकेशन दे सकती है। जैसे अभी सरकार ने बताया कि यह कानून की बात है तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या उनकी जानकारी में कोई ऐसा कानून है कि जिसके तहत टेनैंट सरप्लस जमीन जो उसे अलाट हुई है उसे बेच सकता है?

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, ऑनरेबल मैंबर अनेंसी एक्ट लाकर या सिक्यूरिटी ऑफ लैंड टैनयोर्ज एक्ट लाकर पढ़ लें उसमें इस बात का जवाब मिल जायेगा।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी सबमिशन यह है कि सरकार

सदन में जवाब या तो हां में दे सकती है या ना में लेकिन इफ एन्ड बट्स में नहीं दे सकती। मैं आपको आपके चैम्बर में तसल्ली दिला सकता हूँ कि सरकार पोजेटिव या नेगेटिव में जवाब दे सकती है लेकिन इफ्स एन्ड बट्स में नहीं दे सकती।

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, यह घने पढ़े हुए हैं, हम थोड़े पढ़े हुए हैं (हंसी)।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मेरी गुज़ारिश यह है कि इस बारे में ला साइलैंट है। हम यह चाहते हैं कि जो मुज़ारे जमीन लेते ही बेच देते हैं उस पर पाबन्दी होनी चाहिए।

श्री बंसी लाल : उसके लिए अमैंडमैंट लाइये।

श्री सत्य नारायण सिंगोल : स्पीकर साहब, झगड़ा तो इस बात का है कि ये यह कहते हैं कि इस बारे में कानून है। लेकिन, लॉ की किताबों में कोई ऐसा कानून नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने तो यह कहा है कि आप इस बारे में अमैंडमैंट लाइए।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, अगर ये हमें क्लैरीफिकेशन नहीं दे सकते तो आप ही दे दें।

श्री अध्यक्ष : क्या क्लैरीफिकेशन चाहिये ?

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, या तो सरकार यह कह दे कि इस बारे में लॉ है या यह कहें कि लॉ नहीं है। लेकिन एक सवाल के जवाब में तो कहते हैं कि लॉ है और दूसरे के जवाब में कहते हैं कि अमैंडमैंट लाइए। जैसा चौधरी दल सिंह जी ने कहा था कि इस बारे में लॉ साइलैंट है अगर उनकी भी यही कंटेशन है कि लॉ इस बारे में साइलेंट है तो आप उनसे पूछिए कि क्या वह इस बारे में कुछ करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा है, लॉ है, जो सवाल दल सिंह जी ने पूछा था उसके जवाब में इन्होंने यह नहीं कहा कि हमें मालूम नहीं बल्कि यह कहा था कि लॉ है।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, वही तो मैंने पूछा था।

श्री अध्यक्ष : आप फिर पूछिए किस ढंग से पूछते हैं। यह आप पर निर्भर

करता है (हंसी) I really want to help you.

श्री सत्य नारायण सिंगोल : स्पीकर साहब, इस प्लाइन्ट पर लॉ बिल्कुल साइलैंट है कि मुज़ारे को जमीन अलाट होने के अगले ही दिन बाद वह जमीन बेच सकता है या नहीं यानी उन पर इस बारे में कोई पाबन्दी या रिस्ट्रीक्शन लॉ में नहीं है। क्या यह सरकार लॉ में कोई तरसीम करके इस किस्म की पाबन्दी लगाना चाहेगी कि मुज़ारा ज़मीन खरीदने के फौरन बाद या कुछ अरसा के लिए उसे बेच न सके?

Mr. Speaker : The hon. Member may ask a straigh question.

Chaudhri Jai Singh Rathi : I will put a straight question क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि मुज़ारे पर ज़मीन खरीदने के फौरन बाद न बेचने के लिए कोई पाबन्दी है?

श्री बंसी लाल : यह तो कानून की किताब बताएगी।

श्री अध्यक्ष : आप कुछ तो बता दें।

Shri Bansi Lal : As far as I rember, there is a provision in the Punjab Act. But, I am not sure.

हरियाणा विधानसभा

वीरवार, 11 फरवरी, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : जहां तक नम्बर का सवाल है कि कितने गजेटिड अफसर या नान-गजेटिड अफसर सस्पेंडिड थे, इसके बारे में यह कह रहे हैं कि इसमें टाईम और लेबर बहुत इनवाल्वड है और इससे कोई फायदा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय हम इसमें आपका संरक्षण चाहते हैं।

(व्यवधान)

उद्योग मंत्री (श्री अब्दुल गफ्फार खां) : स्पीकर साहब कल से मैं सुन रहा हूँ कि ये थोड़ी-थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि मैं चाहता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि ये क्या मांगते हैं और क्या आप देना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष : मैंने तो न लेना है और न देना है इन्होंने लेना है और आपने देना है।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, खान साहब मेरे योग्य दोस्त हैं। लेकिन, जहां तक प्रोटेक्शन का ताल्लुक है न मैंने उनसे है और न उसके पास है। सदन के सदस्यों को प्रोटेक्शन आप ही दे सकते हैं।

Mr. Speaker : You way kindly ask the number. They will

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *11th Feb. 1971, Vol. I, No. 4, Page (4)* 22-26

tell you. I don't know.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जवाब चाहता हूँ – कि जनवरी 1971 को कितने नान–गजेटिड अफसर गजेटिड अफसर मुअत्तर थे ?

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब दे चुके हैं। They have not number.

चौधरी रणबीर सिंह : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास बाकायदा कोई ऐसी रिपोर्ट आती है कि तीन महीनों में कितने गजेटिड अफसर या नॉन–गजेटिड अफसर मुअत्तल हुए और किस जुर्म में उनको सस्पेंड किया गया है और तीन महीनों में कितने आदमी फिर बहाल किए गए ?

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, मुझे याद नहीं आता कि ऐसी कोई रिपोर्ट आती है।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूँ कि तिमाही या छमाही कोई ऐसी रिपोर्ट आती है या नहीं आती ? अगर आती है तो इस चीज़ को बताएं कि कितने गजेटिड आदमी और कितना नान–गजेटिड आदमी मुअत्तल किए गए है ?

Mr. Speaker : The stand taken is that this supplementary does not arise from the answer given.

Chaudhry Ranbir Singh : It does, Sir, Because it mentions the number. मैंने सिर्फ यह पूछा है कि क्या सरकार के पास तिमाही या छमाही ऐसी कोई रिपोर्ट आती है या नहीं जिससे पता लग सके कि तीन महीनों में कितने आदमी सस्पेंड किए गए ?

Mr. Speaker : The answer was that he did not remember.

Shri Bansi Lal : It does not arise. The reply is 'No'.

Mr. Speaker : The stand taken is that this supplementary does not arise from the answer given to the main question.

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर महोदय, इस सूचना को देने से स्टेट का ही भला है। इसीलिए, हमने यह प्रश्न पूछा है क्योंकि जो आदमी मुअत्तल होते हैं उनको

पैसा देना पड़ता है। स्टेट का बड़ा इन्टरैस्ट इसमें इन्वालवड है। यह कहते हैं कि टाईम एंड लेबर क्मन नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूँ कि तीन महीने में महीने में डिपार्टमेंट वाइज कोई रिपोर्ट आती है या नहीं अगर आती है तो 'हां' कर दें और अगर नहीं तो 'ना' कर दें, मैं कोई नाम नहीं पूछ रहा हूँ और न नम्बर ही पूछ रहा हूँ।

श्री बंसी लाल : 'नो' कह देने के बाद this question does not arise. The Government is better judge of what should be taken into consideration and what not.

Chaudhry Ranbir Singh : Well, it is for the Speal decide whether an answer to this question should come or question which says :

"(a) the total number of Gazetted and non-gazetted Government employees under suspension as on 1.1.1971, separately.

(b) the total number of gazetted and non-gazetted employees of those referred to in part (a) above who are under suspension for more than six months, one year, two years, three years and more than three years separately; and

(c) the reasons for the delay in deciding the cases of the employees referred to in part (b) above together with the period of which their cases are likely to be decided?"

It will be seen that the answer given does not any returns which you are now referring to, and which received by the Government monthly or quarterly, from they can give the requisite information. About the information asked for, the Government have stated that the question was so lengthy that the time and labour involved in collecting the information would not be commensurate with any possible benefit to be derived therefrom.

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब इस किस्म की रिपोर्ट इस मंत्रिमंडल के बनने से पहले तो आया करती थी सरकार को। लेकिन, अब मुझे मालूम नहीं कि इस सरकार ने वह रिपोर्ट मंगवानी बंद कर दी है। अगर इन्होंने बंद कर दी है तो मुख्यमंत्री साहिब बता दें।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहिब वह मानते हैं कि आती है। लेकिन, उनका स्टैंड यह है कि मेन सवाल में क्वाटरली रिटर्न की कोई बात नहीं पूछी गई, उसके लिए आप दूसरा सवाल पूछ सकते हैं।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब क्या मुझे शार्ट नोटिस क्वैश्चन पूछने की इजाज़त मिल जाएगी ?

श्री अध्यक्ष : आप पूछ लीजिए। Well, it depends up on the minister, but I shall certainly forward it to Government.

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 15 फरवरी, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : क्या वजीर साहब बताएंगे कि कितनी पंचायतों के खिलाफ यह शिकायत है कि वह ज़मीन का इन्तजाम सही नहीं कर रही है और ऐसी जमीन की एकड़ेज कितनी है?

श्री सरूप सिंह : यह तो अगर सैपरेट नोटिस दें, तो बताया जा सकता है। इस समय मेरे पास यह सूचना नहीं है। स्पीकर साहब, कुछ पंचायतों के मैं नाम बता सकता हूँ। फिलहाल 4-5 पंचायतें ऐसी जरूर हैं, जिनके खिलाफ शिकायतें हैं। एक तो कोडनी, दूसरी कोडड़ा मनाना करनाल जिले की, मातन सिसाना रोहतक जिले की और रतेड़ा हिसार जिले की।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, मैंने इनसे पंचायतों के नाम नहीं पूछे थे। मैंने तो यह पूछा था कि कितनी पंचायतों के खिलाफ सरकार के पास शिकायतें आयी हैं कि वह अच्छा इन्तजाम नहीं कर रही हैं? वह एरिया कितने एकड़ेज बनता है, जिसका कि ठीक से इन्तजाम नहीं हो रहा है?

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब वह जवाब दे चुके हैं कि उनके पास यह इन्फर्मेशन नहीं है हालांकि यह इन्फर्मेशन उनके पास हो सकती है लेकिन उन्होंने कहा है कि सरकार के पास 4-5 गांवों के पंचायतों के बारे में यह शिकायत आयी है। बाकी की इन्फर्मेशन उनके पास नहीं है।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *15th Feb. 1971, Vol. I, No. 7, Page (7)* 4-5

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, इन्होंने तो गांव के नाम बताए हैं, मैंने तो गांव के नाम पूछे ही नहीं हैं। मैंने तो यह पूछा है कि कितनी पंचायतें ऐसी हैं जिनके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं। जब सरकार एक बड़ा अहम बिल लाने जा रही है, तो उनके पास इस बारे में सूचना होनी चाहिए कि कितनी पंचायतों के बारे में शिकायतें हैं और कितना इलाका है जिसका कि ठीक तरीके से इन्तजाम नहीं हो रहा है। इन्होंने सवाल के जवाब में यह बताया कि हम इस बारे में कानून बनाने जा रहे हैं। प्रजातन्त्र में हर काम ढंग से करना चाहिए। इनके पास इतना तो ब्यौरा हो ही सकता था कि इतनी पंचायतों का काम ठीक तरह से नहीं हो रहा है और इतने एकड़ वह इलाका है, जिसका इन्तजाम ठीक से नहीं हो रहा।

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल वैसे रैलेवैंट है। लेकिन, उनके पास इन्फर्मेशन नहीं है। 5 गांवों के नाम उन्होंने बता दिये हैं।

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 15 फरवरी, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के काम-काज को देखने के लिए ग्राम सभाएं होती हैं, गवर्नमैंट के अफसर ब्लाक में लगे होते हैं, पंचायतों के अक्सटेनशन अफसर होते हैं, एगरीकल्चर के अक्सटेनशन अफसर होते हैं, पंचायत का सेक्रेटरी होता है, तो फिर भी जहां शिकायत आई है वहां सरकार ने पंचायतों का इन्तजाम ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्री सरूप सिंह : इन्तजाम को ठीक करने के लिए रूल्ज अमेन्ड किए हैं। जो ज़मीन लीज़ पर दी जाती है, वह सरपंच के द्वारा दी जाती है, हमने इस बारे में रूल अमेन्ड किया है। अब जमीन लीज पर तो सरपंच ही देगा। लेकिन, वह किसी अफसर के रूबरू दी जाएगी। जो जमीनें नाजायज कब्जे में हैं उनके लिए नायब तहसीलदार लगा रखे हैं, उनकी यह ड्यूटी है कि वे हर जगह के केसिज लेकर तैयार करें। रेवेन्यू ऑफीसर्ज़ की मीटिंगज होती है उनमें डिप्टी कमीशनर्ज को यह कहा गया है कि अगर कोई इस किस्म की रिक्करी हो तो वे करा लें।

चौधरी जय सिंह राठी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि जिस वक्त यह एक्ट अमेन्ड हो जायेगा तो पंचायत की प्रापर्टी जैसे जमीन वगैरा पर कौन सी ऐजेन्सी का कंट्रोल होगा?

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *15th Feb. 1971, Vol. I, No. 7, Page (7)* 6

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 2 अगस्त, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

Mr. Speaker : In short, business competition.

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, वित्त मंत्री महोदया ने मेरे प्रश्न के उत्तर में जवाब दिया कि उन्होंने इस मामले पर गम्भीरता से विचार किया है कि ज्यादा रुपये का इनाम न रखा जाए। क्या वित्त मन्त्री महोदया इस तरफ ध्यान देंगी कि जब हम देश में समाजवाद लाना चाहते हैं तो केन्द्रीय सरकार से प्रेरणा करेंगी कि किसी प्रदेश के अन्दर कोई भी लाटरी 50 हजार रुपये से ज्यादा इनाम की न रखी जाए और कम राशि के ज्यादा से ज्यादा इनाम रखे जाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिल सके और ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सके।

Shri Bansi Lal : Mr. Speaker, Sir, I entirely agree with Chaudhri Ranbir Singh in this respect. We will not come down to Rs. 50,000 but we will come down to a very reasonable extent because keeping in view all the circumstances of this lottery business in the country we have to adjust ourselves also in that respect as the Finance Minister has rightly pointed out. But this prize of Rs. 17 lskhs is really abnormal in socialistic society. We will bring it down, I assure you.

Mr. Speaker : Good.

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *2 Aug. 1971, Vol. II, No. 1, Page (1)* 9-10

चौधरी रणबीर सिंह : क्या वित्त मन्त्री महोदया को इल्म है कि लाटरी, जिसको दूसरे शब्दों में जूआ भी कहा जा सकता है, को बेचने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी के नाम पर रिकार्ड बताए जाते हैं, राष्ट्रगीत गाए जाते हैं और बापू के नाम के गीत गाए जाते हैं। इस जूए के नाम पर राष्ट्रपिता महात्मा गान्धी के नाम पर गीत गाना राष्ट्रपिता के नाम पर एक धब्बा है। क्या वे इस चीज को रोकने का प्रयत्न करेंगी ?

श्री बन्सी लाल : स्पीकर साहब, अर्ज यह है कि यह बात चौधरी साहब को खान साहब ने बताई है। वे जब आएंगे तो जवाब देंगे। (हंसी)

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर। मैं यह समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी अपनी कैबिनैट का कोई सीक्रेट बता रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मुख्यमंत्री जी को कैबिनैट का सीक्रेट लीक आउट करने की इजाजत है ?

Shri Bansi Lal : This is not a secret, Sir.

Mr.Speaker : The question raised by Chaudhri Ranbir Singh was quite reasonable that more people should be given prizes. That should be considered.

श्री बन्सी लाल : स्पीकर साहब, तब तो चौधरी साहब को एक सौ रुपये के टिकट खरीदने पड़ेंगे।

चौधरी रणबीर सिंह : अगर सरकार इनाम की लिमिट पचास हजार तक रखे और इकट्ठे होने वाले पैसे से वाक्या ही विकास का कार्य होना हो तो मैं जरूर टिकट खरीदूंगा।

श्रीमती ओम प्रभा जैन : स्पीकर साहब, यहां बार-बार जूए का शब्द कहना ठीक नहीं है। लाटरी आज गुजरात और उड़ीसा स्टेट को छोड़कर पूरे हिन्दुस्तान में चल रही है। यह एक पैटर्न सा बन गया है, इसलिए लाटरी को जूआ कहकर पुकारना ठीक बात नहीं।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, चौधरी रणबीर सिंह जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही और मैं भी इनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपकी मजबूरी है, आज इस प्रदेश को आर्थिक ढांचा नहीं दे सके और आप जूआ खिलाने पर मजबूर

हो गए हैं तो कम से कम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का रिकार्ड आप वहां प्ले मत होने दीजिए।

श्री बन्सी लाल : स्पीकर साहब, ये जनसंघ वाले हैं, राष्ट्रपिता का इनको क्या पता? (हंसी)

श्री मंगल सैन : पिता का तो शुरू में किसी को भी पता नहीं होता, जन्म के बाद ही पता लगता है। (हंसी)

Mr. Speaker : I think, the question is a serious one. The name of Mahatma Gandhi should not be brought in it.....

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मैं अपनी बात अभी खत्म नहीं कर पाया हूँ क्योंकि बीच में मुख्यमंत्री जी खड़े हो गए। मुख्यमंत्री जी ने यहां यह भी कहा कि कोई बात खान अब्दुल गफ्फार जी ने चौधरी रणबीर सिंह जी को बताई है। तो मेरी आप से अर्ज यह है कि इस तरह से कैबिनैट के सिक्रेट यहाँ लीक आउट नहीं होने चाहिएं।

Shri Bansi Lal : This is not a secret of the Cabinet.

श्री मंगल सैन : कुछ भी हो, इतने हाई-लेवल की बातें सदन में नहीं कही जानी चाहिएं। स्पीकर साहब, मेरी अर्ज यह है कि चौधरी रणबीर सिंह जी की बात बिल्कुल ठीक है और बापू जी के नाम का रिकार्ड वहां नहीं बजना चाहिए और न ही दुपट्टा रंग बिरंगा वाली बात वहां होनी चाहिए क्योंकि वह भी ठीक नहीं।

श्रीमती ओम प्रभा जैन : स्पीकर साहब, डाक्टर मंगलसैन जी बार-बार जूए शब्द का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन आपके द्वारा मैं इनको बतलाना चाहती हूँ कि दिल्ली में, जहां इनकी पार्टी की इकलौती सरकार है, वहां भी लाटरी चगलती है।

श्री मंगल सैन : मैं तो सैद्धान्तिक रूप से इसका विरोधी हूँ चाहे इसे मेरी इकलौती सरकार चलाए या दुलौती सरकार चलाए।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, वित्त मन्त्री साहिबा ने दो तीन बार पंजाब और राजस्थान का हवाला दिया है परन्तु इनको पता होना चाहिए कि आज उन दोनों राज्यों में चीफ मिनिस्टरों में से एक भी पॉवर में नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या बन्सी लाल जी भी जल्दी ही कुर्सी छोड़ने वाले हैं? (हंसी)

श्री बन्सी लाल : मैं कौन सा सारी उम्र यहां बैठा रहूँगा। (हंसी)

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 2 अगस्त, 1971 ई.*

समाचार पत्र के लिए विज्ञापन

***1203 Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Home be pleased to lay on the Table of the House a statement stating the names of the daily, weekly and fortnightly newspapers to which advertisements have been given by the Government since 1st January, 1971 to date with the amount paid thereto.

Home Minister (Shri K.L. Poswal)**:** The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मुझे इस जवाब पर आपत्ति है। - (व्यवधान) - स्पीकर साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आज मेरे तीन सवाल हैं। एक का नम्बर तो मैंने अर्ज कर दिया, दूसरा 1201 है और तीसरा 1249 है। एक का उत्तर तो आपने सुन ही लिया, बाकी दो का मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। प्रश्न 1201 का उत्तर इस प्रकार है :-

"The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with any possible benefit to be obtained."

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *2 Aug. 1971, Vol. II, No. 1, Page (1)* 12-13

प्रश्न संख्या 1249 का उत्तर भी इसी प्रकार है। स्पीकर साहब, आप मेरी प्रोटैक्शन पर आईए। मैंने बहुत पहले, रूल्ज़ में प्रैसक्राइब्ड टाईम के मुताबिक, आपको क्वैश्चन्ज टेबल किये थे और पब्लिक के इन्ट्रैस्ट में कुछ बातें मैं सदन में जानना चाहता था। मगर, इन्होंने केवल एक बात कह करके कि इस सवालों के जवाब से कोई लाभ नहीं होने वाला है। मेरे सारे परिश्रम की, पुरुषार्थ की और माथा-पच्ची की कोई कदर नहीं की है। स्पीकर साहब, लाभ-अलाभ का निर्णय करने का अधिकार इनको नहीं है। आपको है। आपने मेरे क्वश्चन्ज, क्योंकि वे ठीक थे, एडमिट कर लिए और जब वे एडमिट हो चुके हैं तो इनको उनका जवाब देना चाहिए। स्पीकर साहब, ताज्जुब की बात तो यह है कि पिछले सैशन में इन्होंने ही मुझे इस तरह के सवाल का जवाब दिया है। मैंने उस वक्त भी ट्रिब्यून और इसी तरह के पत्रों के बारे में सवाल पूछा था। इस लिए स्पीकर साहब, मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि इनका इस तरह से सवालों के जवाब देना, यह जानकर कि हरियाणा पत्रिका का मामला सदन के सामने आन वाला है और कहीं उस लाखों रुपये का राज, जो इन्होंने निर्धारित नीतियों का उल्लंघन करके उसे विज्ञापनों के लिए दिया है, न खुल जाए, इस माननीय सदन के मैम्बरों के साथ बड़ा भारी धक्का है और यह डैमोक्रेसी की मांग नहीं है। स्पीकर साहब, लाभ-अलाभ की बात तो उस वक्त लागू हो सकती है, जब कोई ऐसा प्रश्न आप एडमिट कर दें जो जनता के हित में न हो और बाहर उससे कोई गड़बड़ होने वाली बात हो। मगर, उस वक्त नहीं जब सरकार को एक्सपोज होने का डर हो। डेमोक्रेसी में, संसदीय प्रणाली के अन्दर क्वैश्चन ऑवर का प्रोविजन सरकार को काबू रखने के लिए ही किया गया है क्योंकि आगे पीछे तो ये हमारे काबू में आते नहीं। .... व्यवधान ... इसलिए स्पीकर साहब, मैं इस सम्बन्ध में आपकी रूलिंग चाहूँगा किस इस तरह से जवाब देना कहां तक उचित अथवा अनुचित है?

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे संरक्षण की मांग करता हूँ। इसी सिलसिले में, इसी संदर्भ में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी यहां पर एक प्रश्न का उत्तर दिया गया है, इसी तरह से एक प्रश्न का उत्तर राज्यसभा के अन्दर श्री कुमार मंगलम जी ने दिया था। वहां सदन के सदस्यों ने मांग की थी कि लोहे की सक्रैप किस-किस पार्टी को बेची गई है? वहां सदन के चेयरमैन महोदय ने मिनिस्टर महोदय को यह आदेश दिया कि संसदीय प्रणाली की रक्षा के लिए ऐसे प्रश्नों का सही तौर पर उत्तर देना जरूरी है ताकि सदन सरकार की कार्यवाही के ऊपर देख-रेख रख सके। अगर हमको यह

पता ही न लगे कि किस अखबार को कितना पैसा दिया गया है तो हमारे मन में संशय का होना जरूरी है। जो पैसा खर्च होता है वह हरियाणा का पैसा है और अगर सरकार उसको कहीं इधर-उधर बांट आए तो यह.....।

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 2 अगस्त, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

Shri Bansi Lal : He is interested in 'Mother Land' and 'Organizer' and not in 'National Herald' or 'Haryana Patrika'.

Shri Mangal Sein : I am least interested that they should be taken in government list. मुझे इसमें बिलकुल रुचि नहीं है। मुख्यमन्त्री जी की बिल्ली अपने आप थैले से बाहर आयी है। मैंने कभी मुख्यमंत्री जी से नहीं कहा कि आप 'मदर इन्डिया' या 'आर्गेनाईजर' को ऐडवर्टाइज़मैंट लगाइये।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब तो एक-दो सफे से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए एक-दो सफे का जवाब तो सरकार को देना ही देना चाहिए।

Mr. Speaker : I would request the Minister concerned to give whatever information he can in respect of 5 or 10 papers.....

Shri Bansi Lal : We cannot bifurcate the question like that. As you have rightly pointed out, we spent about an hour last time and even then the reply was not complete. Mr. Speaker, I would draw your attention to sub-rule (11) of Rule 46 which says —

"it shall not be of excessive length".

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *2 Aug. 1971, Vol. II, No. 1, Page (1)* 20

So, this will be of excessive length. Hence, we cannot reply this question in that way..... व्यवधान ..... इस विषय का पूरा एक सवाल था और ऐक्सैसिव लैंग्थ किसको कहते हैं ?.....

चौधरी जय सिंह राठी : स्पीकर साहब, यह क्वैश्चन तो ऐडमिट हो चुका है, अब तो सिर्फ इसका रिप्लाई देना है..... ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, इन्होंने रूल 46 के सब रूल 11 में से पढ़ा कि – "it shall not be of excessive length." ताज्जुब की बात तो यह है कि इन्होंने ऐक्सैसिव लैंग्थ इसको ही मान लिया। ऐक्सैसिव लैग्थ तो तब होगी, जब कि रिप्लाई कुछ लैंग्थी होगा।

श्री बन्सी लाल : स्पीकर साहब, हमारा रिप्लाई या तो लैंग्थी होगा ही नहीं और यदि होगा तो कई घन्टों का होगा।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, इन्होंने रिप्लाई देने से इवेड किया है, यह जवाब देने से भाग गये हैं।

श्री अध्यक्ष : पिछली दफा तो इन्होंने इतना लम्बा जवाब दिया था कि घन्टा लग गया और रिप्लाई क्वैश्चन ऑवर में खत्म ही नहीं हुआ था..... ।

श्री बन्सी लाल : स्पीकर साहब, यह तो किसी भी तरह नहीं मानते। जवाब दें तो कहते हैं कि लम्बा कर दिया और यदि न दें तो कहते हैं कि जवाब नहीं देते। कम से कम किसी तरह से तो मानें।

Shri Mangal Sein : I respectfully differ on this point कि उसमें एक घन्टा लगा था। स्पीकर साहब, सबसे बड़ी बात तो चीफ मिनिस्टर को यह देखनी होती है कि रुलिंग पार्टी डैमोक्रेसी के प्रिंसिपल्ज को कहां मेनटेन करती है ट्रिब्यून ने इनका विरोध किया तो इन्होंने उससे झगड़ा शुरू कर दिया और अब उनसे दोस्ती लगाते फिरते हैं (व्यवधान)।

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 2 अगस्त, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, मेरा निवेदन यह है कि जिस तरह से आज के कई प्रश्नों के उत्तर दिये गये हैं, उस तरह की परिपाटी गलत है। इससे अगला प्रश्न श्रीमती चन्द्रावती जी का है। उसका भी इन्होंने यही जवाब लिखा है।

श्री बन्सी लाल : स्पीकर साहब, क्या चन्द्रावती जी ने इनको अथोराइज कर दिया है?

Mr. Speaker : That you cannot ask now.

Shrimati Chandravati : I am very much here.

श्री रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, अगले प्रश्न का भी ऐसा ही जवाब दिया हुआ है आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि जो जवाब श्रीमती चन्द्रावती जी के पास आया है, वही जवाब आज के और कितने प्रश्नों का है?.....

Shri Bansi Lal : She says that she is very much present in the House and he has not been authorised....

चौधरी चांद राम : प्वायन्ट ऑफ आर्डर, सर। क्या कोई मैम्बर किसी सवाल का जवाब एन्टीसिपैट कर सकता है, मैं यह जानना चाहता हूँ?

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *2 Aug. 1971, Vol. II, No. 1, Page (1)* 21-22

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, यह मामला खत्म तो हो चुका है.....।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, क्वैश्चन ऑवर का टाईम जाया हो रहा है....।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, चांद राम जी ने अच्छी तरह से सुना नहीं है। मंगल सैन जी के 3-4 प्रश्नों के उत्तर में और श्रीमती चन्द्रावती जी के प्रश्नों के उत्तर में उनको एक तरह का ही लिखित जवाब आया हुआ है। बजाय इसके कि इस चीज पर बार-बार घन्टा लगे अगर इसके ऊपर समय लगाना ही है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप ही इस बात पर फैसला दे दें कि इस किस्म की परिपाटी अच्छी है या नहीं ?

श्री बन्सी लाल : मैं तो यह समझता था कि चौधरी रणबीर सिंह जी किसी पड़ौसी के कागज ओवर लुक करके नहीं पढ़ते सिर्फ अपने कागज ही पढ़ते हैं।.....

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, आपने तो इस सम्बन्ध में आज्ञा भी दे दी है, हिदायत भी दे दी है। अगले सवाल का जवाब भी आन दें, यह भी वैसा ही है।

Mr. Speaker : I have asked them to reconsider it and give whatever is possible.

Shri Mangal Sein : When, Sir?

Shrimati Chandravati : On a point of order, Sir. This question is mine. मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सब-जुडिस नहीं हो सकता।

Shri S.P. Jaiswal : On a point of Order, Sir. While the Speaker is speaking, can anybody interrupt?

Shrimati Chandravati : I am sorry स्पीकर साहब, नकल मिगलती ही नहीं है। बेकसूर लोगों को बैठाकर कह देते हैं कि यहां नहीं हैं। सिर्फ इस वजह से आपके ध्यान में यह बात लाना चाहती थी। मेरा और कोई मंशा नहीं है। मैं तो यह चाहती थी कि आपको पता चल जाए कि बेल के लिए लोग दरखास्त देते हैं और पुलिस कह देती है कि वह तो यहां आया ही नहीं। सब-जुडिस का सवाल ही नहीं आता, जब कह दिया जाता है कि हमारे पास आदमी है ही नहीं।

श्री बन्सी लाल : स्पीकर साहब, किसी भी अदालत का हर हुक्म नकल

की दरखास्त देकर लिया जा सकता है। Every document of the court is a public document and everybody can get a copy of it. So the Government will not supply any information regarding any court paper.

Chaudhri Jai Singh Rathi : Why do we enter into legal arguments? (*Interruptions*)

Shri Bansi Lal : I maintain my previous statement that this question should not have been admitted.

Mr. Speaker : Let me clarify, please let me make.....

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 2 अगस्त, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय मैं सममिशन करना चाहता हूँ कि इस सिलसिले में आप कोई राय ज़ाहिर करें, उससे पहले आप मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष : मैं राय नहीं दे रहा हूँ।

चौधरी रणबीर सिंह : आपकी रूलिंग के बाद तो मैं बोल रही नहीं सका।

श्री अध्यक्ष : मैं रूलिंग नहीं दे रहा हूँ। Whatever I got from Shrimati Chandravati's question was that there were cases of some persons though they had been brought to the Police Station but there was no case against them. When some persons went to the Police Station and asked for bail then they were told by the police that the man concerned was not there. That is the question, I think. They have not come to the court at all.

Shri Bansi Lal : The question is being put in a very different form. The question is :-

"(a) the total number of applications, if any, received during the years. 1969-70 and 1970-71 to date separately in the courts of Magistrate and Sub-Division Magistrate, Dadri, where the petitioners or

---

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *2 Aug. 1971, Vol. II, No. 1, Page (1)* 26-27

the lawyers had petitioned that the accused be released on bail; but the S.H.O., Dadri made reports thereon that the accused were not in his custody;

(b) the total number of such applications received in such different Courts in the state. Police Station-wise in each district during the said years separately; and

(c) if the replies of parts (a) and (b) above are lengthy the same be laid on the table of the house?"

I would like to point out, Mr. Speaker, here that the question is very clear. This question relates to cases separately in the Courts of Magistrates and Sub-Divisional Magistrates. So the Courts cases cannot be discussed on the floor of th House. I am very clear about it.

श्री सत्य नारायण सिंगोल : स्पीकर साहब, इन्होंने रूल 46(10) (11) और (12) का हवाला दिया।

गृह मन्त्री (श्री के.एल. पोसवाल) : आप क्वैश्चन तो पढ़ लें।

श्री सत्य नारायण सिंगोल : वह मैंने पढ़ लिया है ये हमेशा यूं ही कह देते हैं। This is not sub-judice. It is before Magistrate and Sub-Divisional Magistrate and not Judicial Magistrate or Chief Judicial Magistrate who are directly under the High Court while Magistrate adn Sub-Divisional Magistrate are not under the High Court; they are under the Government.....

Shri Bansi Lal : Naib Tehsildar as a Court is under the High Court.

Shri Satya Narain Syngol : They are appointed, transferred and every action is taken by the Government and the Government can very well ask them to supply this information. Secondly, Sir, sub-rule (12) of rule 45 lays down :-

"It shall not require information contained in documents ordinarily accessible to the public or in ordinary works of reference."

ये कह तो देते हैं कि वहां से नकल ली जा सकती है। लेकिन, इनको यह

पता होना चाहिये कि सिवाय पार्टी के दूसरा कोई आदमी नकल नहीं ले सकता और तीसरे आदमी को दरख्वास्त देने का कोई अख्तियार नहीं है। चन्द्रावती जी का कोई केस नहीं है वह इन्फर्मेशन कैसे ले सकती हैं?

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 2 अगस्त, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : यह बहुत छोटा सा सवाल था और इसका जवाब भी बहुत छोटा था। एक साल में कितने केस हो सकते हैं? सात हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं और वे भी वे केस जिनके बारे में एस.एच.ओ. ने रिपोर्ट की और जिनकी जिम्मेवारी कोर्ट पर नहीं है, बल्कि प्रान्तीय सरकार पर है या आई.जी. पर है।

Shri Bansi Lal : I.G. is not under discussion. He has not recorded anything.

चौधरी रणबीर सिंह : मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे शान्ति से सुनें। सवाल में उन्होंने अलग-अलग पार्टियों के नाम नहीं पूछे सिर्फ नम्बर पूछा है। मैं समझता हूँ शायद मुख्यमंत्री जी का इतना अच्छा राज्य है कि उसके उत्तर में एक भी नम्बर न हो।

श्री बन्सी लाल : हां कोई नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : हालांकि मुझे एक केस की जानकारी है कि एक आदमी को थाने में बुलाया गया। थाने से जब उसको छोड़ा गया तो उसका कत्ल हो गया है और उसकी इन्क्वारी भी खुद रोहतक के एस.पी. कर रहे हैं। खैर, मैं उसका ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहता। इसमें एक छोटी सी बात है कि अदालत के फैसले

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *2 Aug. 1971, Vol. II, No. 1, Page (1)* 27-29

की नकल हम नहीं मांगते हैं। आप जानते हैं कि मैजिस्ट्रेट दो किस्म के होते हैं। एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और एक ऐग्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कितने चाहियें इसके बारे में हाईकोर्ट सरकार से सलाह करता है और एक्जैक्टिव मैजिस्ट्रेट कितने चाहियें इसका फैसला मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव करते हैं। उसके बारे में अगर खबर न हो कि कितने केस आये कितने डिसपोज़ ऑफ हुए? यह जानकारी की जानी चाहिये। यह सबजुडिस नहीं है। मैं पंजाब के सदन की बात जानता हूँ और पंजाब के सदन की कार्यवाही को भी जानता हूँ..... (व्यवधान).....

श्री अध्यक्ष : उसके अन्दर बाकायदा येचर ने रूलिंग दी है। उसके बारे में जानकारी की जा सकती है कि किस अदालत में कितने केस हैं? आप बेशक इसके बारे में पहले के स्पीकर्ज़ की रुलिंग्ज़ मंगवा लें।

Shri Bansi Lal : I beg to disagree on this point that the Government can ask for any pending case in Court. The Government can, of course, know the number of cases pending, the number disposed off etc. This case has gone to the police station. It is now a case of the Court, which may be of an Executive Magistrate or some other Magistrate.

Mr. Speaker : I thing, there is some misunderstanding.

चौधरी रणबीर सिंह : पार्ट 'बी' में सिर्फ यह पूछा गया है कि थाने में कितनी दरखास्तें थी।

Mr. Speaker : I really want to clarify this position. So, let me complete my observation. As far as I can understand the question, it has nothing to do with the Court at all. What has happened is that certain persons were called to the Police Station. Some relatives of theirs had gone to take them out on bail. They had gone to the magistrate as well. They were told by the S.H.O. Police that they were not in his custody. That means that the case was not in the Court. There is some misunderstanding.

हरियाणा विधानसभा

सोमवार, 2 अगस्त, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन ने कानून के तहत जमीन की सीमा 30 एकड़ रखी है, जिसकी कीमत लगभग 90 हजार रुपये के करीब बैठती है। आप देखें, हम जायदाद की अधिकतम सीमा 90 हजार रख रहे हैं और दूसरी तरफ लाटरी का इनाम 17 लाख तक रख रहे हैं। क्या हम इनाम के लिए इतनी ज्यादा रकम रख कर देश में समाजवाद ला रहे हैं या किसी खास किस्म के आदमियों को बढ़ावा दे रहे हैं? अगर, आप समाजवाद के सिद्धान्त पर चल रहे हैं तो क्या वित्त मंत्री महोदया इस इनाम की राशि को कम करके 50 हजार तक मुकर्रर करने के लिए तैयार हैं?

श्रीमती ओम प्रभा जैन : स्पीकर साहिब, हमने इस बात पर गम्भीरता से विचार किया है कि हमारे प्राइज की रकम थोड़ी हो लेकिन हमें सारी स्टेट्स को ध्यान में रखना पड़ता है, आल इंडिया कम्पीटीशन देखना पड़ता है। आप देखें पंजाब स्टेट लाटरी का अगला इनाम 21 लाख का है।

मुख्यमंत्री (श्री बंसी लाल) : स्पीकर साहब, मैं इस प्वायंट को क्लैरिफाई कर दूं। घनश्याम दास गोयल की कोई भी ऐसे कम्पनी नहीं है, जो गवर्नमैंट को किसी भी फार्म में कुछ सप्लाई करती हो। इस प्रकार ब्लैक-मलिंग करने से कुछ नहीं होगा।

चौधरी दल सिंह : चीफ मिनिस्टर साहब को कैसे पता है?

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *2 Aug. 1971, Vol. II, No. 1, Page (1)* 8

हरियाणा विधानसभा

मंगलवार, 3 अगस्त, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

श्री बंसी लाल : आपने सवाल पूछा है और I have replied with responsibility. He may have tried to sell some condemned poles to the State Electricity Board and those poles might not have purchased. That is why he is crying. That is all.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय अभी मुख्यमंत्री जी और सिंचाई तथा विद्युत मंत्री ने जो उत्तर दिया उसमें फर्क मालूम होता है। ऐसा मालूम देता है कि मुख्यमंत्री जी को फर्मों के मालिकों के नाम का पता है और सम्बन्धित मंत्री को पता नहीं। अगर उनको पता है तो बिजली तथा सिंचाई विभाग के मंत्री को भी होना चाहिये। अगर, उनको पता नहीं है तो उससे यह हो सकता है कि जो कम्पनी ब्लैक-लिस्ट हुई होती है, उसके मालिक उस फर्म में जो माल सप्लाई करते हैं के शेयर-होल्डर हो सकते हैं? वे गवर्नमेंट को खराब माल सप्लाई कर सकते हैं। क्या गवर्नमेंट उनकी चौकसी के लिये काम करने को तैयार हैं?

Shri Bansi Lal : Mr. Speaker if the hon. Member cannot understand the answer given by the Government, I cannot help.

श्री मंगल सैन : अध्यक्ष महोदय मैं आपकी रूलिंग चाहूँगा कि क्या किसी

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *3 Aug. 1971, Vol. II, No. 2, Page (2)* 4

ऑनरेबल मैम्बर को इस हाऊस में मुख्यमंत्री जी यह कह सकते हैं कि उनकी समझ में नहीं आया तो मैं हैल्प नहीं कर सकता ?

Shri Bansi Lal : Yes, I am correct.

Shri Mangal Sein : Sir, I want your ruling.

Shri Bansi Lal : You should also behave in the House. The tone in which you have spoken should be withdrawn. My reply is correct.

Shri Mangal Sein : His reply is wrong. My tone may be correct or not.

Mr. Speaker : The point is that we should take up the business in the Houose in a calm manner and there are always statements of the nature. Sometimes you attack and sometimes they attack. The things will go on. But we should not lose our calmness and balance of mind.

हरियाणा विधानसभा

मंगलवार, 3 अगस्त, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बड़ा साफ है। मैं फिर दोहरा देता हूँ ताकि हमारी स्टेट को कोई कम्पनी किसी गलत नाम से खराब माल न सप्लाई कर दे। इसकी चौकसी के लिये ही मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री उन कम्पनियों के शेयरहोल्डरों तथा मालिकों की जानकारी देने की कृपा करेंगे ?

श्री बंसी लाल : बिल्कुल नहीं।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *3 Aug. 1971, Vol. II, No. 2, Page (2)* 5

हरियाणा विधानसभा

मंगलवार, 3 अगस्त, 1971 ई.*

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृति

***1213. Chaudhri Banwari Ram :** Will the Minister for Education be pleased to state whether it is a fact that the students belonging to Scheduled Castes/Tribes have not been paid the scholarship due to them so far, if so, the reasons therefore and the action proposed to be taken by the Government?

Education Minister (Shri Maru Ram Malik) : (a) No. (b) Does not arise.

चौधरी रणबीर सिंह : इस सवाल में तो कोई दूसरा पार्ट ही नहीं है फिर बी कहां से आया है।?

गृह मंत्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल) : सवाल में यह कहा गया है कि 'इफ सी' इसी के जवाब में दूसरा पार्ट है।

चौधरी बनवारी राम : स्पीकर साहब, मैंने अपने सवाल में यह पूछा था कि हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लड़कों को वज़ीफे नहीं दिये गये हैं, इसका क्या कारण है? इन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया है, इसको पढ़कर मैं क्या सवाल कर सकता हूँ?

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *3 Aug. 1971, Vol. II, No. 2, Page (2)* 11

श्री माडू सिंह मलिक : स्पीकर साहब, इनका सवाल यह था कि क्या यह ठीक है कि हरिजन लड़कों को वजीफे नहीं दिये गये हैं, इसके जवाब में मैंने यह कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात इन्होंने यह पूछी है कि अगर ऐसा है तो इसका क्या कारण है, इसका जवाब यह है कि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता।

हरियाणा विधानसभा

मंगलवार, 3 अगस्त, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिड्यूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिज के लड़कों को जो वज़ीफे दिये जाते हैं वे साल में एक बार दिये जाते हैं या हर महीने दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, एक ही बार दिये जाते हैं।

श्री माडू सिंह मलिक : दो स्कीमें हैं। एक स्कीम के तहत हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल के हैडमास्टर की मार्फत स्कौलरशिप देती है और दूसरी स्कीम के तहत गवर्नमैंट ऑफ इंडिया प्रिंसिपल की मार्फत देती है। हैडमास्टर और प्रिंसिपल पहले तसदीक करते हैं, तभी ये वज़ीफे मिलते हैं?

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *3 Aug. 1971, Vol. II, No. 2, Page (2)* 13

हरियाणा विधानसभा

मंगलवार, 3 अगस्त, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, मैं इस बात में आपका आदेश जानना चाहता हूँ कि अगर एक मैम्बर हिन्दी में सवाल भेजता है तो क्या उसका जवाब उसको हिन्दी में दिया जाना चाहिये या अंग्रेजी में ?

श्री अध्यक्ष : जो सवाल हिन्दी में आता है उसका जवाब हिन्दी में दिया जाता है और जो अंग्रेजी में आता है उसका जवाब अंग्रेजी में दिया जाता है, लेकिन हिन्दी तो जरूरी है।

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : English is necessary.

Mr. Speaker : The language of the State is Hindi. But here is English.

श्री बंसी लाल : नहीं, स्पीकर साहब, विधान सभा की भाषा इंगलिश है, और जवाब इंगलिश में देना जरूरी है। हिन्दी में जवाब दें या न दें यह हमारी मर्जी है।

Shri Mangal Sein : No. Not at all.

Shri Bansi Lal : I think so. That is the correct position.

Mr. Speaker : What do we lose?

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *3 Aug. 1971, Vol. II, No. 2, Page (2)* 25

Shri Bansi Lal : We do not lose anything. We can reply in Hindi also. But, I think, it is not mandatory.

Mr. Speaker : What I say is that if it is not possible for the Government.....

Shri Mangal Sein : On a point of Order, Sir.

Mr. Speaker : I am already replying to the point of order.

Shri Mangal Sein : He has not raised any point of order.

Mr. Speaker : Chaudhri Ranbir Singh raised a point of order and I am replying to that.

What I am prepared to do is that in case there is some difficulty on the part of the Government to send replies in both the languages then we will get it done in the Vidhan Sabha.....

श्री मंगल सैन : ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर, सर। स्पीकर साहब मैं आपसे स्पष्ट तौर पर यह जानना चाहता हूँ कि सदन में किन-किन भाषाओं पर कार्यवाही चल सकती है? आप कृपा करके मेरे इस प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर का जवाब दे दीजिये।

Mr. Speaker : You have its reply in the Rules because it is contacted in Rule 77 that subject to the provisions of Article 210 of the Constitution, the proceedings in the Assembly shall be conducted in Hindi or in the English language. Punjabi does not apply because.....

श्री मंगल सैन : सदन की भाषा हिन्दी है और जैसे आपने पढ़कर सुनाया अंग्रेजी भी हो सकती है।

Mr. Speaker : ..... shall be conducted in Hindi or in the English language.

हरियाणा विधानसभा

मंगलवार, 3 अगस्त, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब मेरा प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है और मैं आपसे रूलिंग चाहता हूँ कि इन हालात में अगर कोई सदस्य हिन्दी में प्रश्न भेजते हैं तो उनका उत्तर हिन्दी में आप छपवा कर मैम्बर के पास भिजवाने की कृपा करेंगे या नहीं ?

Shri Bansi Lal : I would like to say something on this point. This question was asked in English and not in Hindi.

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, मैंने इस सवाल का संदर्भ नहीं दिया था। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि मुख्यमंत्री साहब क्यों कहीं की बात को कहीं जोड़ देते हैं ?..... (हंसी)

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि यह सवाल कई बार हाऊस के सामने आ चुका है और आपने यह औबजर्वेशन की थी कि अगर कोई मैम्बर हिन्दी में सवाल करता है तो उसका जवाब हिन्दी में ही चला जाए और अगर अंग्रेजी में करता है तो अंग्रेजी में चला जाए। अगर आप पुरानी कार्रवाई को देखें तो यह औबजर्वेशन उसमें मौजूद होगी। चूंकि अब आपने यह भी कह दिया

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *3 Aug. 1971, Vol. II, No. 2, Page (2)* 27

हरियाणा विधानसभा

बुधवार, 4 अगस्त, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

श्री अध्यक्ष : यह क्वैश्चन-ऑवर नहीं है।

चौधरी रणबीर सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि दो पुराने म्यूटेशन के जो अनडिसप्यूटिड केसिज हैं उनके पैडिंग रहने की क्या वजूहात हैं?

श्री नेकी राम : उसकी वजह यह है कि कई दफा फरीकैन हाजिर नहीं होते। इसलिए, उनके इन्तकाल तसदीक नहीं किए जा सकते।

चौधरी रणबीर सिंह : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि लोगों को इत्तलाह देने प्रोसीज़र में अगर कोई हेराफेरी है और उनको सूचना ठीक तरीके से नहीं दी जाती तो प्रोसीज़र में तबदीली करने के लिए क्या गवर्नमेंट तैयार है?

श्री बंसी लाल : तबदीली करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे नोटिस में ऐसे केसिज हैं जहां कोई भी केस मुतनाजा नहीं। लेकिन, 20 सालों से वह इन्तकाल करने के लिए नहीं आ रहे।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *4 Aug. 1971, Vol. II, No. 3, Page (3)* 7

हरियाणा विधानसभा

बुधवार, 4 अगस्त, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : इस प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने और मुख्यमंत्री साहब ने जो जवाब दिया है उनमें फर्क है। मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि उनके नोटिस में 20 साल पुराना केस है जो कि निर्विरोध होने के बावजूद भी दाखिल खारिज नहीं हुआ लेकिन वज़ीर मुताल्लिका कहते हैं कि तीन साल से पुराना कोई पैंडिग केस नहीं है। तो हम किसके जवाब को सही मानें ?

श्री बंसी लाल : मैंने जींद की तो बात नहीं की थी, वह केस हिसार का है।

चौधरी रणबीर सिंह : मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या हिसार को मुख्यमंत्री पद का यही इनाम है कि उनके दाखिल खारिज 20-20 साल तक मन्जूर नहीं किए जाते ?

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, यह ईनाम मुख्यमंत्री को मिला है..... (हंसी)

Mr. Speaker : Hon. Members, question hour is a very valuable hour. We should not waste it in this way.

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने कहा है कि 16

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *4 Aug. 1971, Vol. II, No. 3, Page (3)* 8-9

केसिज पिछले दो सालों से पैंडिग पड़े हुए हैं जिन पर कोई विवाद नहीं है। अगर इन पर विवाद नहीं है तो किसलिए पैंडिग हैं?

श्री बंसी लाल : इनमें से 5 केसिज़ ऐसे हैं जिनके लिए अदालत से स्टे मिला हुआ है।

चौधरी रणबीर सिंह : अगर यह पहले ही बता देते तो क्या हर्ज़ था? (विघ्न) 11 केसिज़ तो फिर भी रह गये हैं। इनके बारे में क्यों सुस्ती कर रहे हैं?

श्री बंसी लाल : अगर हम पहले बता देते तो आप बोलते क्या? (हंसी)

चौधरी रणबीर सिंह : आप 11 केसिज़ का ब्यौरा भी दे दें, क्या यह महकमे की सुस्ती की वजह से है या कोई और बात है? .....

(कोई जवाब नहीं दिया गया।)

हरियाणा विधानसभा

बुधवार, 4 अगस्त, 1971 ई.*

स्कूलों का ग्रेड बढ़ाना

***1236**

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, बच्चों की पढ़ाई का साल पहली अप्रैल से शुरू है और आज अगस्त का महीना चल रहा है। अगर अब स्कूल अपग्रेड करेंगे तो क्या बच्चों की पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा?

श्री बंसी लाल : स्कूल तो अब खुले हैं .....।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मुख्यमंत्री जी को बता दें कि कालेजों में अढ़ाई महीने की छुट्टियां होती हैं और स्कूलों में डेढ़ महीने से ज्यादा नहीं होतीं। कहीं ये कैबिनेट नैनीताल तो नहीं गई हुई थी? (विघ्न)

एक माननीय सदस्य : नैनीताल गए हुए थे ..... (शोर) (हंसी)

श्री अध्यक्ष : मैंने सुना नहीं क्या कहा? .....

चौधरी रणबीर सिंह : इन्होंने कहा है कि मंत्रीमंडल नैनीताल गया हुआ था।

श्री बंसी लाल : ये फार्म पर ही रहते हैं। अगर चौधरी साहब नैनीताल में अपने फार्म पर ले जाने के लिए तैयार हैं तो हम खुशी से जाने के लिए तैयार हैं ..... टी.ए. भी नहीं लेंगे (हंसी)

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Upgrading of Schools, *4 Aug. 1971, Vol. II, No. 3, Page (3)* 10-12

चौधरी रणबीर सिंह : ये तो सदन से ही भागना चाहते हैं। मैं नैनीताल कहां भगा के ले जाऊंगा।..... मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि अगर ये सितम्बर के महीने में फैसला देंगे कि फलां स्कूल को अपग्रेड किया गया है तो क्या बच्चों की पढ़ाई में हर्ज़ नहीं होगा? जिन बच्चों की एक कक्षा बढ़ गई है वे पांच महीने तक कहां जाएंगे? यह फैसला मार्च के आखिरी हफ्ते में होना चाहिए था। क्या मुख्यमंत्री इस बात पर भी सोचेंगे कि हर साल मार्च के महीने में स्कूल अपग्रेड करने के फैसले लिए जाएंगे?

श्री बंसी लाल : आयंदा मार्च में कर दिया करेंगे।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी कई बार इस तरह कहते हैं, जो हमें सुनाई नहीं देता..... ये ठीक से बोलें.....

श्री बंसी लाल : डा. मंगल सैन जी का जो घुटरूं है, उसे अगर चौधरी साहब कान में लगा लें तो सुनने लगेगा..... (हंसी)

चौधरी रणबीर सिंह : मुख्यमंत्री जी का जवाब एक सरकार का जवाब है। अगर मुख्यमंत्री साहब मज़ाक में भी कोई बात कहें तो वह अश्योरेंस बन जाती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी अपने मुखारबिन्द से जो जो शब्द निकलें वे हम तक पहूँचने चाहिएं लेकिन वे पहूँच नहीं पाते। स्पीकर साहब, आप इस चीज के लिए हमारी मदद करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : जरूर करेंगे।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि जहां जहां भवन निर्माण हो चुके हैं वहां अपग्रेड कर दिए गए हैं। क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि जहां भवन निर्माण हो चुका है वहां कितने स्कूलों को अपग्रेड किया है और कितने बाकी करने रह गये हैं? ऐसे कितने स्कूल हैं जहां भवन निर्माण नहीं हुआ है लेकिन ऊंचा दर्जा दे दिया गया है?

श्री माडू सिंह मलिक : इसका नोटिस देंगे तो बता देंगे।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि नोटिस देंगे तो बता देंगे। अगर आप मुझे शौर्ट नोटिस क्वैश्चन देने की इजाजत दे दें तो मैं आज ही सवाल भेज दूंगा।

Shri Bansi Lal : For this separate notice is required. If he is interested he may give notice for an other question.

Chaudhri Ranbir Singh : Sir, my submission is that the Education Minister has agreed, I may be permitted to give notice of a short notice question.

Mr. Speaker : Certainly, if they have agreed.

Shri Bansi Lal : We have not yet agreed.

हरियाणा विधानसभा

बुधवार, 4 अगस्त, 1971 ई.*

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृति

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने कुछ तो अभी आश्वासन दिया है। लेकिन, इस विषय में एक और बात मैं इनसे जानना चाहता हूँ। चूंकि बच्चे फार्म भरने में अनभिज्ञ होते हैं इसलिए क्या सरकार प्रिंसिपल आदि को कोई आदेश भेजेगी कि उनके फार्म ठीक तौर पर भरवाए जाएं ताकि वजीफ़ा मिलने में कोई देरी न हो?

श्री बंसी लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात हमें मंजूर है और हम आदेश भेज देंगे।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Scholarships to Scheduled Castes/Tribes, *4 Aug. 1971, Vol. II, No. 3, Page (3)* 15

हरियाणा विधानसभा

बुधवार, 4 अगस्त, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि सरस्वती शुगर मिल ने दिसम्बर, 1970 में 10 लाख 27 हजार क्विंटल गन्ना पेला और उसके शुगर कन्टन्ट्स, (नबतवेम) 8.34 परसैन्ट थे, जबकि मार्च में यह कन्टैन्ट्स 9.61 परसैन्ट थे और 9 लाख 71 हजार 200 क्विंटल गन्ना पेला गया था। एक-आध बार छोड़कर यह शूगर कन्टैन्ट्स धीरे-धीरे कम होते गये हैं। यह शुगर कन्टैन्ट्स दिसम्बर में कम, जनवरी में कम, फरवरी में कम और मई में बहुत ज्यादा कम है लेकिन अप्रैल में और मार्च में बहुत अच्छे हैं। यह कम शुगर कन्टैन्ट्स प्राप्त होने के बावजूद अधिक गन्ना पेलने के क्या कारण हैं। अगर, गन्ना जल्दी-जल्दी पेला जाता तो वक्त से पहले सारा गन्ना पिल जाता और अगले साल गन्ने की पैदावार इस साल की निस्बत ज्यादा होती। यह जो गन्ना पेलने में देरी हुई है, इसका क्या कारण है?

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, मिल की कैपेसिटी 60 लाख क्विंटल गन्ना पेलने की है जबकि इसने 62 लाख क्विंटल से कुछ ऊपर गन्ना पेला....।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *4 Aug. 1971, Vol. II, No. 3, Page (3)* 29

हरियाणा विधानसभा

बुधवार, 4 अगस्त, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : यह बात इम्पोर्टंट क्वैश्चन है, स्पीकर साहब। इसको आज पोस्टपोन कर दीजिए। कल भी यह जारी रहना चाहिए। 15 लाख रुपये की रिकवरी का सवाल है।

Shri Bansi Lal : It cannot be postponed, Sir.

Mr. Speaker : I think the question was very reasonably answered. So there is no question of further supplementaries.

श्री बंसी लाल : स्पीकर साहब, मैं सारी बात का जवाब एक ही हरफ में दे देता हूँ। हकीकत यह है कि हमारे यहां तीन शुगर फैक्टरियां हैं – दो कोआप्रेटिव सैक्टर में और एक प्राईवेट में। हमारे यहां गन्ना ज्यादा पैदा होता है। हमने पिछले साल गन्ने की मिलें लौस पर भी चलाई, मैं कोआप्रेटिव शुगर मिल के तजरुबे से कह सकता हूँ कि काफी लौस हुआ है। हमारे यहां गन्ने की पैदावार ज्यादा है। इसलिए हमने गवर्नमैंट ऑफ इंडिया से तीन शुगर फैक्टरियां फौरन मांगी है। अगर ये तीन फैक्टरियां हमें लगाने की इजाजत मिल जाए तो हमारा यह मसला काफी हद तक हल हो जाएगा। मैं यह भी सदन को बता दूं कि जिस शुगर फैक्टरी की बात हो रही है, उन्होंने गवर्नमैंट को ऐप्रोच किया है कि उनकी गरारी और गियर बौक्स टूट गये

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *4 Aug. 1971, Vol. II, No. 3, Page (3)* 32-33

हैं। अगर, उनको फौरन इम्पोर्ट करा कर नहीं दिए गए तो वे मिल चलाएंगे ही नहीं क्योंकि इन चीज़ों के बगैर मिल नहीं चल सकती। हमारे सामने यह स्थिति भी आन वाली है।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके चैम्बर में बात करने के लिए तैयार हूँ और आपको विश्वास दिला दूंगा कि जवाब सैटिसफैक्टरी नहीं है। सवाल कुछ है और जवाब कुछ दिया जा रहा है। क्रशिंग कैपेसिटी मिल की रोजाना की होती है और यह साल की क्रशिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। मैं आपके सामने चैम्बर में सारे फैक्ट्स रख दूंगा।

श्री बंसी लाल : आप घंटे दो घंटे पूछ लेना।

चौधरी रणबीर सिंह : ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय मंत्रिमंडल की भाषा भी अजीब है वह मेम्बरों को ' कहते हैं यह सदन की भाषा नहीं है।

Mr. Speaker : Bhajan Lalji, I will request you not to pass such remarks as they hurt the feelings of other honourable members.

श्री सत्य नारायण सिंगोल : यह ' तो टूट भी ली।

चौधरी रणबीर सिंह : ऑन ए प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर, सर। स्पीकर साहब, यह जो ' वाले शब्द आए हैं, इनको ऐक्सपंच करा दिये जाये।

Mr. Speaker : This will be expunged.

हरियाणा विधानसभा

वीरवार, 5 अगस्त, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी रणबीर सिंह : मैं सिंचाई तथा बिजली मंत्री से जानना चाहता हूँ कि रोहतक डिस्ट्रीब्युटरी, बुटॉना डिस्ट्रीब्युटरी और दादरी डिस्ट्रीब्युटरी का जिसका हक पानी का बनता था। क्या उतना इंडैंट आया है? अगर आया है तो क्या इंडैंट के मुताबिक पानी दिया गया है?

Shri Bansi Lal : This supplementary does not arise out of this question. Therefore, it is irrelevant.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में फैसला तो आपने देना है। मुख्यमंत्री जी को बहुत अख्तियार हैं लेकिन वे नम्रता से बात कर सकते हैं। जिस तरह से सदन के दूसरे सदस्य बात करते हैं। यहां पानी चलाने की बात है और एकड़ेज़ का सवाल है ..... (व्यवधान) क्या झज्जर ब्रांच को पूरा पानी नहीं देंगे..... ? (व्यवधान)

Shri Bansi Lal : Is it a speech or a supplementary?

Mr. Speaker : Please let me give my ..... (*Interruption*)

चौधरी रणबीर सिंह : इसीलिये मैंने सप्लीमैन्टरी किया था। लेकिन, आपने अपने आप ही फैसला दे दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि क्या यह सही

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Questions and Answers, *5 Aug. 1971, Vol. II, No. 4, Page (4)* 19-20

है। कि फै सला देने का हक चीफ मिनिस्टर साहब को है? स्पीकर साहब, मैं आपको इस बारे में रूलिंग चाहता हूँ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, ऑनरेबल मैम्बर अगर कोई रूलिंग पूछते हैं तो चीफ मिनिस्टर साहब बैठे-बैठे बीच में फरमा देते हैं कि भाषण न दें। आप इन्हें बता दें कि इनको आप वाला काम नहीं करना चाहिये।

Shri Bansi Lal : Government is answerable to the Chair and not to the hon. Member.

The hon. Member was wrong to say by what name we would understand. I think he is a dictionary in himself and is so vague and confused in himself that nobody can understand him in the world.

चौधरी रणबीर सिंह : क्या मैं शिक्षा मंत्री जी से यह जान सकता हूँ। अगर कोई मुलाजिम प्रधानमंत्री से अपनी दिक्कतें या कोई रिप्रजैण्टेशन दें, वह भी सरकार के खिलाफ प्रचार है?

श्री माडू सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री के पास डिमाण्ड लेकर जाना दूसरी बात है और सरकार की नीति के विरुद्ध प्रचार करना दूसरी बात है ..... (व्यवधान)

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, मैं समझा नहीं हूँ। शिक्षा मंत्री जी जो जवाब दिया है उसमें या तो आप जरा मेरी मदद कर दें और मुझे बता दें कि अगर शिक्षा मंत्री फिर दोबारा बता दें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब ने जहां तक मैं समझा हूँ, यह फरमाया है। डिमाण्ड रखना दूसरी बात है और गवर्नमैंट की पालिसी के खिलाफ कोई बात कहना दूसरी बात है।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मारफत फिर यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि वह जिस चीज़ को डिमांड मानते हैं? अगर, कोई प्रधानमंत्री से जाकर वह डिमाण्ड करे तो क्या वह भी डिस्पिलिन की खिलाफवर्ज़ी होगी?

श्री माडू सिंह मलिक : वह तो आप सर्विस रूल्ज पढ़ लीजिये, उससे पता लग जायेगा।

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या आप मेरी इस बात में सहायता करेंगे कि मंत्री महोदय अपना जवाब खुलकर दें, डर कर न दें?

श्री माडू सिंह मलिक : मैंने कोई भी डरकर जवाब नहीं दिया है, और सर्विस रूल्ज पढ़ लीजिये।

चौधरी रणबीर सिंह : आपने अभी माना है कि वे डिमाण्ड कर सकते हैं। अगर, आप अब मुकरना चाहें तो बेशक मुकर जायें। लेकिन, आप यह तो बताएं कि किस चीज़ को डिमाण्ड मानते हैं?

श्री माडू सिंह : आप सर्विस रूल्ज़ पढ़ लीजिये।

चौधरी रणबीर सिंह : स्पीकर साहब, मैं कोई सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ। लेकिन, मैं उनसे एक बात जानना चाहता हूँ कि क्या यदि कोई हमारे प्रदेश का सरकारी मुलाजिम किसी भी सिलसिले में प्रधानमंत्री की डिमाण्ड पेश करे तो क्या वह सरकार के डिस्पिलिन की खिलाफवर्जी होगी?

हरियाणा विधानसभा

मंगलवार, 26 अक्तूबर, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

श्री बन्सी लाल : स्पीकर साहब, एक नई बात बीच में आ गई। ओम प्रभा जी कह रही हैं कि मैंने दोपहर को खाने पर कांग्रेस और आपोजीशन वाले बुलाये हैं और खीर का प्रबन्ध कर लिया है। मूली का भी कर लेती हूँ। झगड़ा किस बात पर हुआ? (हंसी)

श्री सत्य नारायण सिंगोल : हमारे लिये तो मूली का इन्तज़ाम हो जायेगा। ओम प्रभा जी के लिये अंडे का भी इन्तज़ाम किया है या नहीं।

गृह मन्त्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल) : अंडों तक तो ठीक है मुर्गी तक न जाना।

वित्त मन्त्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : स्पीकर साहब, मेरे घर में झगड़ा हो जायेगा, यह अंडों वाली बात एक्सपंज करा दें।

चौधरी रणबीर सिंह : ऑन ए प्वॉयंट ऑफ आर्डर सर। अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था को प्रश्न यह है कि अभी-अभी मुख्यमंत्री जी ने सूचना दी, खीर के बारे में। वह कौन से प्रश्न का उत्तर दे रहे थे? अगर, कोई प्रश्न नहीं था तो क्या जो प्रश्नोत्तर का घंटा है। क्या उसे वह खीर का घंटा बना सकते हैं?

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Question and Answers, *26 Oct. 1971, Vol. II, No. 6, Page (6)* 12-13

Mr. Speaker : I shall also reply to the point of order in the same humorous manner..... (Laughter....) You know the answer (Laughter and noise) -

श्री बन्सी लाल : हम भी खायेंगे आपके साथ क्यों फिक्र करते हो? (हंसी)

चौधरी लाल सिंह : काफी देर से इस बात पर बहस हो रही है कि किसी हरिजन को कोई जगह मिली है या नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर हरिजन से भी गरीब किसी गैर हरिजन को जगह मिल जाये तो इसमें क्या बुराई है? मैं कहना चाहता हूँ कि हर गरीब आदमी ही हरिजन है।

श्री रामधारी गौड़ : 22 फीसदी हरिजनों को मिगलती है और इसके अलावा इस कैटेगरी के लोगों को भी देते हैं जिनकी यह बात करते हैं। मेरा मतलब है कि जो गरीब आदमी है। (व्यवधान)

चौधरी रणबीर सिंह : हमारी स्टेट में इस सम्बन्ध में जो कैटेगरीज वह तीन हैं शेडयूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लासिज और बैकवर्ड एरियाज। मैं यह जानना चाहता हूँ कि मन्त्री जी कौन सी कैटेगरी का जिक्र कर रहे हैं। यहउनकी तरफ अंगुली उठा कर कह रहे हैं कि उनको भी दे रहे हैं। जब कोई इनकी कार्यवाही को पढ़ेगा तो वह क्या समझेगा कि वह कौन सी कैटेगरी के बारे में जवाब दे रहे हैं? (हंसी)

श्री रामधारी गौड़ : चौधरी लाल सिंह जी बैकवर्ड एरिया के हैं। इसलिये, मैं कह रहा था कि उन जैसे इलाके के लोगों को भी तरजीह देते हैं।

चौधरी लाल सिंह : स्पीकर साहब, मेरा सवाल तो यह है कि अगर कोई हरिजन से भी गरीब और अगर वह उसकी जगह आ जाये तो क्या वह हरिजन माना जा सकता है या नहीं? हरिजन का मतलब तो गरीब आदमी से है। इसलिये, अगर सरकार किसी गरीब को जगह दे दे यह और भी अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : लाल सिंह जी आपके सवाल

का जवाब दिया जा चुका है। I think we had 5 or 6 pleasant minutes. Let us be serious.

हरियाणा विधानसभा

मंगलवार, 26 अक्तूबर, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

चौधरी चांद राम : .++++++++ इन्होंने बहुत कुछ करने की कोशिश की - व्यवधान

श्री बन्सी लाल : ++++++++ .(व्यवधान)

चौधरी चांद राम : छ : महीने तक राव साहब कहते रहे, मैं खाली डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए नहीं गया था, मैं इसके लालच में नहीं गया था ----- (व्यवधान)

श्री बन्सी लाल : ++++++++ .(व्यवधान)

चौधरी चांद राम : +++++++ (व्यवधान)

चौधरी रणबीर सिंह : ऑन ए प्वॉयंट ऑफ आर्डर सर। स्पीकर साहब, वह तो हाऊस में सवाल जवाब हो रहे हैं, यह कौन से प्रश्न का उत्तर है? अगर ये फालतू हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इन लफ्जों को हमारी कार्यवाही में से हटवा दीजिए।

Mr. Speaker : I suggest that the extraneous remarks passed between the two hon. members will be expunged. I request further that

---

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Question and Answers, *26 Oct. 1971, Vol. II, No. 6, Page (6)* 40-46

there should be no further interference during the Question Hour. If you want, this matter can be discussed later.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है सदन में यह परिपाटी है कि हर मैम्बर को सरकार से हर बाद पूछने का अधिकार है, क्योंकि उसके पास प्रश्न की पूरा सूचना नहीं होती और सरकार के पास कागजी सूचना होती है, तभी वे कागज़ पर से पढ़कर जवाब देते हैं। मैम्बर को पढ़ने की इजाजत नहीं होती। मेरा आपके द्वारा निवेदन है कि मिनिस्टर लोग जवाब देते समय कम से कम जिम्मेदारी के साथ जवाब दें, आप इनको सलाह दें कि वे इस तरह सदन का मज़ाक न उड़ाएं और जिम्मेदारी के साथ जवाब दें।

श्री बंसी लाल : आनरेबल मैम्बर्ज को गलतफहमी हो गई है कि हम जिम्मेदारी से जवाब नहीं देते। मिनिस्टर्ज जिम्मेदारी से जवाब देते हैं, ++++++

चौधरी रणबीर सिंह : ++++++

श्री मंगल सैन : ऑन ए प्वॉयंट ऑफ आर्डर, सर -----

श्री बंसी लाल : ++++++. (व्यवधान)।

श्री मंगलसैन : स्पीकर साहब मैं आपका रूलिंग चाहूँगा कि इस हाऊस ++++++. कांस्टीन्युशन के मुताबिक इस हाऊस के अन्दर कौन-कौन मैम्बर सदस्य रह सकते हैं। यह इन्हें मालूम है? कांस्टीच्युशन के अन्दर यह दर्ज है कि वह मैम्बर हिन्दुस्तान का नागरिक हो, 25 साल से ज्यादा उम्र का हो, सालवेंट हो लेकिन अन-साऊंड माईंड का नहीं होना चाहिए। अगर चीफ मिनिस्टर की कंटेन्शन ठीक है तो मैं आपकी रूलिंग चाहूँगा कि अन-साऊंड-माईंड को यहां बैठने दिया जाए, न बैठने दिया जाए क्योंकि उसके बैठने से कोई भी वायलैंस क्रिएट हो सकती है जिससे किसी को भी नुक्सान हो सकता है। इस पोजीशन में आप अपनी रूलिंग देकर गाईड करें।

Mr. Speaker : As I just said, all these extraneous remarks are being expunged. I will again request the hon. Member not to pass or make such personal references which go against the very basic requisites of a Member of this House .....

Shri Mangal Sein : Also ask the hon. Chief Minister and not only the Members.

Mr. Speaker : I have done.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब कार्यवाही से हटा दिया जाता है तो वह चीज प्रैस में नहीं छपती। लेकिन, यहां की कार्यवाही में तो लिखा जाता है। मैं एक बात कहूँगा, मैं दूसरे दोस्तों की तरह जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं खुद दोषी हो जाऊंगा। इन्होंने जो कुछ कहा है, वह असत्य और निराधार है। अगर इनकी कोई सूचना है तो वह गलत है.....

श्री बन्सी लाल : मैंने यह कहा था कि आनरेबल मैम्बर ने यह कहा है कि मिनिस्टिरी जिम्मेदारी से जवाब नहीं देतीं यह चीज़ निराधार, असत्य है और ऐसा कहने में आनरेबल मैम्बर सत्य से बहुत दूर हैं।

Mr. Speaker : I might mention that once the remarks are expunged, they do not come in the proceedings.

Chaudhri Ranbir Singh : They come.

Mr. Speaker : No, they do not come. I know this better.

श्री बन्सी लाल : अब तो मेरी बात सच्ची हो गई ..... (व्यवधान)

श्री मंगल सैन : कौन सी बात सच्ची हो गई, जरा बता दें.....

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, फिर दोबारा इन्होंने दोहराया है..... (व्यवधान) मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इनको अपनी जगह रखिए ताकि ये ऐसे जवाब सवाल न करें। कहीं ऐसा न हो कि दूसरों को भी इनके बारे में वैसे ही जवाब सवाल करने की जरूरत पड़े।

Mr. Speaker : I think, I must now say something rather seriously, particularly because such things are not expected from such old, important and veteran members of this House. They really do not help the House at all. Of course, occasionally humorous remarks are made. But, I request that since we have lost a good deal of time on this matter. Further, I may assure the House that these remarks have been expunged and they will not appear anywhere in the proceedings.

Shrimati Chandravati : With your permission, Sir, I ask the hon. Minister as to why he is beating about the bush? Why does he not reply directly, saying 'yes' or 'no'?

Mr. Speaker : H does not want to answer, it appears.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मानयोग मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि जैसा कि केस से पता चलता है कि वह पब्लिक सर्विस कमीशन पंजाब से चुनकर आया था। ज्वायंट पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या ज्वायंट पंजाब के सर्विस सिलैक्शन बोर्ड ने जो भी आसामियों के लिए चुने हुए थे उनमें से कोई किसी आसामी पर लगाया गया या नहीं और अब लाया जायेगा कि नहीं ?

Mr. Speaker : This is a good question.

Shri Bansi Lal : This question does not arise out of that. स्पीकर साहब, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में पूरे के पूरे पब्लिक सर्विस कमीशन को डिसकस नहीं किया जा सकता।

Mr. Speaker : The point is that the hon. Minister has said that he could not be accommodated because there was no vacancy. Chaudhri Ranbir Singh has asked were any people who were selected then, employed against any of the posts later.

Shri Bansi Lal : We cannot discuss the whole Public Service Commission here on the basis of that question.

चौधरी रणबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी-अभी यहां बताया गया है कि जब किसी आसामी के लिए कमीशन को रिक्वीज़ीशन जाती है तो उसमें बताया जाता है कि यह वह क्वालिफिकेशन फलां-फलां उम्मीदवार की होनी चाहिए। इसलिएमैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि ये जो दो पोस्टें एडवर्टाज़ हुई। क्या इनकी क्वालिफिकेशन वही थी ? अध्यक्ष महोदय, औहदे (आसामियों के नाम) दो हो सकते हैं। लेकिन, क्या क्वालिफिकेशन (योग्यताएं) वहीं थी ?

हरियाणा विधानसभा

मंगलवार, 26 अक्तूबर, 1971 ई.*

तारांकित प्रश्न और उत्तर

श्री के.एल. पोसवाल : ऐसी बात नहीं है। मैं यह पहले भी बता चुका हूँ। एडवर्टिज़मेंट देते वक्त कई चीजों को देखते हैं। एक तो उसके रेट्स को देखते हैं। कितनी उसकी सरकुलेशन है? क्या उसकी पालिसी है? क्या वह ब्लैकमेलर तो नहीं है? इन सब चीजों को देखकर ही एडवर्टिजमेंट दी जाती है।

चौधरी रणबीर सिंह : यह प्रश्न के 'सी' पार्ट के उत्तर में मंत्री महोदय ने कुछ आंकड़े दिये और सवाल के 'सी' पार्ट में साफ लिखा हुआ है .....

"(c)..... between the papers published in and outside Haryana".

तो इसमें हरियाणा पत्रिका का भी जिक्र है। मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूँ कि यह अखबार हरियाणा के कौन से जिले से छपता है? अभी मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा था कि जो अखबार हरियाणा से छपते हैं उन अखबारों को इतनी एडवर्टिजमेंट दी गई है और जो बाहर छपते हैं उनको इतने रुपये की दी गई, उन्होंने यह भी बताया है कि हरियाणा पत्रिका भी 29 प्रतिशत वाली लिस्ट में आता है। इसलिए मुझको यह बताया जाये कि यह किस जिले से छपता है?

श्री के.एल. पोसवाल : इसका जवाब दिया जा चुका है।

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Question and Answers, *26 Oct. 1971, Vol. II, No. 6, Page (6)* 57

HARYANA VIDHAN SABHA

Tuesday, 26th Oct, 1971*

Expenditure incurred on entertainment

***1298. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Minister for Home be pleased to state :-

(a) the total expenditure incurred on entertainment by the Public Relations Department since 1967-68 to-date year-wise separately.

(b) The total expenditure in curred on on entertainment by the Public Relations Department on each, and

(c) the price of the foriegn made vehicles purchaged by the Public Relation ad tourism Department year-wise during the period reffered to in Part (b) above together with the income accured therefrom and the expenditure incurred thereon year-wise? and the expenditure incurred thereon year-wise?

Home Minister (Shri K.L.Poswal) :

(a)	Expnditure during 1967-68	Rs. 2695.63
	Expnditure during 1968-69	Rs.4525.07
	Expnditure during 1969-70	Rs.10370.48

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Question and Answers, *26 Oct. 1971, Vol. II, No. 6, Page (6)* 57-59

Expnditure during 1970-71	Rs.47505.12
Expnditure during up to July 1971	Rs.1102.14

(b) Most of the vouchers received by Department from the Hospitality organisation, Haryaa for arranging entertainment to journalists during the Assembly Session have since been corsigned in the records of Treasury/A.G.. and it is not possible to indicate the exact amount spent each day. However, the Department only arranges light refershment and tea for journalists in the Premises of the Vidhan Sabha when there is only one sitting of the House. Once or twice when the House had two sittings on the same day, simple business lunch was also arranged for the journalists.

(c) The Department of Tourism purchased two foreign made Vehicles on 28.6.1969 the State Trading Corporation of India at Rs. 73488.00 and Rs 51,818 respectively. No other forign vehicles have been purcheged wither the Tourism or by the Public Reolations Department. The income and Expenditure statment or two vehicles is placed on the table of the house. The public Relations Department have nothing to do with these Vehicles.

Statement of Income and Expenditure In Respect of Tourist Taxis

Year	Income	Expenditure
1969-70	Rs. 2206.00	Rs. 3852.00
1970-70	Rs. 42171.00	Rs.15228.88
1971-70	Rs.4209.00	Rs.3110.00

(Up to July, 1971)

HARYANA VIDHAN SABHA

Tuesday, 26th Oct, 1971*

Flow of Water at the Heads and Tails of Butana Distributaries

***1299. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state :-

(a) the day-wise quantity of water which flowed during the period from 1.6.71 to 25.7.71 at the heads and tails of Butana distributary, Rohtak Rajbaha, Chiri Minor, Titoli Minor, Kahani and Makroli Minors, Jasrana Minor, Rurki Minor, Asan Minor, Kiloi Minor, and Ismaila Minor and Bhaloth Branch, Jhajjar Branch, Bhiwani Branch and Kahanaur Branch.

(b) the designed capacity of each of the Minors and Branches referred to in part (a) above.

(c) whether at any time during the period referred to in part (a) above water flowed at full supply level in the Minors referred to in part (a) above and in Bhiwani Sub-Branch and in Kahanaur or Dadri Branch.

(d) if reply to part (c) above be in the negative whether any proposal is under consideration of the Government to lower the crest level of the outlets thereof; and

---

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Starred Question and Answers, *26 Oct. 1971, Vol. II, No. 6, Page (6)* 62-63

(e) the steps being taken or proposed to be taken to let the water flow at full supply level in the Minors and canals referred to in part (a) above; if not the reasons therefor?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : (a), (b), (c), (d) and (e)

A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The information is given in Annexure-I

(b) The designed capacity of the channels in part (a) above is under :-

Dhutana Disty	:	146-00 Cs.
Rohtak Disty	:	107-25 Cs.
Chiri Minor	:	17-00 Cs.
Titoli Minor	:	20-35 Cs.
Kahani Disty	:	35-00 Cs.
Makroli Minor	:	15-00 Cs.
Jasrana Minor	:	85-00 Cs.
Rurki Minor	:	9-20 Cs.
Asan Minor	:	20-75 Cs.
Kiloi Minor	:	8-50 Cs.
Ismaila Minor	:	17-35 Cs.
Bhiwani Sub-Branch	:	744-0 Cs
Kahnaur Disty	:	364-0 Cs.

(c) These channels have been generally running with authorised full supply discharge.

(d) Question does not arise.

(e) The channels referred to in part (a) above are capable of drawing full discharge. However, where defect is noticed the same is removed.

HARYANA VIDHAN SABHA

Tuesday, 26th Oct, 1971*

Tariff of Electricity

***1300. Chaudhri Ranbir Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the year-wise total number of new connections, category-wise given by the Electricity Board since its formation;

(b) the tariff of electricity before and after the formation of Haryana State Electricity Board separately to-gether with the increase made therein and the reasons thereof; and

(c) the increase made after the formation of the Board in the tariff of electricity power consumed for agricultural purposes?

Irrigation and Power Minister (Shri Ram Dhari Gaur) : (a), (b) and (c).

A statement containing the requisite information is laid on the Table of the House

**Haryana Vidhan Sabha Debates, Official Report,* Written Answers to Starred Question Laid on the Table Under Rule 45, *26 Oct. 1971, Vol. II, No. 6, Page (6)* 80-81

Statement

(a) Category	Increase no. of connections during the years.			
	1967-68	1968-69	1969-70	1970-71
Domestic	24,324	32,149	34,348	47,022
Commercial	4,951	4,500	5,157	5,659
Industrial	962	1,897	1,687	2,746
Agricultural	7,399	17,781	22,856	18,229
Others	25	28	51	29
TOTAL	37,661	56,355	64,090	73,685

(b) A statement showing the tariff before and after the formation of Haryana State Electricity Board is at Annexure 'A'

The reasons for revision of tariff are as follows :-

(i) Section 89 of the Indian Electricity (Supply) Act, 1948 provides that the Board shall not carry out its operation at a loss and shall adjust its tariff accordingly from time to time. Even with the revision of tariff the Board ran almost on no profit no loss basis upto 1969-70 while in 1970-71 the Board has suffered a loss in the commercial sense.

(ii) The Board has given an undertaking to the World Bank through the State Govt. that the Board would earn a net return of 8.5 percent after meeting Operation, Maintenance, Establishment and Depreciation charges and this undertaking had to be fulfilled to obtain further credits from the World Bank.

(iii) The Govt. of India and the State Govt. had accepted the recommendation of the Venkatraman Committee that the Board should earn a net profit of 3 percent on their Capital base, after meeting the expenditure.

(c) The increase in rates works out to about 66 percent.